राजस्थान विधान सभा

७५वीं बैठक, सोमवार, दिनांक २० सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८-१० (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १८३४

बिना नाम की भूमियों पर सरवाड़ तहसील में इस वर्ष काश्त न करने देना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील में बिना नाम की जमीनों को जिन्हें किसान वर्षों से काश्त करते आये हैं इस वर्ष काश्त करने से रोका जा रहा है ?

(ख) यदि हां तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि बिना नाम की जमीनें काश्त करने की इजाजत के लिए सरकार द्वारा नक्शा फीस वसूल की जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो, उक्त प्रकार की फीस कब से किस कानून के अन्तर्गत चालू की गई ?

(ङ) किस किस्म की फीस राजस्थान में अन्यत्र कहां कहां वसूल की जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जी नहीं। सरवाड़ तहसील में सिवाय चक की जमीन पर जो काश्तकार काश्त करते आये हैं उन्हीं किसी तरह काश्त करने से नहीं रोका जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.2

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता !

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बिना नाम की जमीनों पर काश्त करने के सम्बन्ध में सरकार से आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बिना नाम की जमीनों के लिए आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री चांदमल मेहता—इस तरह आज्ञा लेना कब से आवश्यक बनाया गया है। वर्षों से जो काश्तकार काश्त करते आये हैं, उनके लिए उन जमीनों पर आज्ञा प्राप्त करना कब से आवश्यक बनाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आज्ञा कब जारी की गई, इसकी ठीक तारीख तो मालूम नहीं। पर बिना नाम की जमीनें होती हैं उनके लिए आज्ञा लेना जरूरी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वर्षों से जो काश्तकार जिन खेतों पर काश्त करते आये हैं उन खेतों पर आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस वर्ष ही जारी की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—इसका क्या कारण है कि जो काश्तकार वर्षों से उन जमीनों पर काश्त करते आये हैं उन पर काश्त करने के लिए उनको आज्ञा हासिल करना आवश्यक रखा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है मालूम करना कि कौन कितने साल से काश्त करता आ रहा है। गवर्नमेंट की जमीनों पर अन-ऑथोराइज्ड एन्क्रोचमेंट नहीं हो, इसके लिए यह आवश्यक रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—अगर नक्शा फीस वसूल होती है तो क्या सरकार वसूल की हुई रकम वापिस दिलाने व आयन्दा वसूल नहीं करने सम्बन्धी आदेश जारी करेगी ?

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने पहले ही कहा कि वसूल नहीं की जाती है। अगर कोई खास उदाहरण ध्यान में लाया जायगा तो उस पर गौर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८३५

सिरोंज ग्राम की पाठशाला में अध्यापकों की कमी

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोंज ग्राम के स्कूल में कितने अध्यापक हैं ?

(ख) उक्त स्कूल में कितने अध्यापकों के स्थान इस वक्त रिक्त हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) सिरोंज ग्राम के स्कूल में एक अध्यापक कार्य कर रहा है।

(ख) उक्त स्कूल में इस समय अध्यापक का कोई स्थान रिक्त नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रश्न के आने के बाद में अब अध्यापक भेजा गया है ?

श्री भोलनाथ—आप जो इन्फोर्मेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है ?

श्री चांदमल मेहता—मतलब यह है कि इस प्रश्न के आने के बाद में भेजा गया है या पहले ही ?

श्री अध्यक्ष—The Vanity is satisfied.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसका मतलब यह है कि पहले वहां मास्टर नहीं था और इस प्रश्न के पूछने के बाद भेजा गया है क्या ?

श्री भोलानाथ—पहले भी कह दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सिरोंज मे एक अध्यापक था जो ट्रेनिंग में भेजा गया था। उसे कब ट्रेनिंग में भेजा गया और दूसरा अध्यापक वहां कब भेजा गया ?

श्री भोलानाथ—यह सब पहले जवाब दिये जा चुके हैं।

प्रश्न संख्या १८३६

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला ।

(अनुपस्थित—कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८३७

किशनगढ़ का सदर कानूंगो तथा उसका कार्यालय

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सदर कानूंगो की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के लिये भी सदर कानूंगो की पोस्ट रखी गई है ?

(ग) यदि हां, तो उसका हैड क्वार्टर कहां है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) राजस्थान में सदर कानूंगो की संख्या २६ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इसका हैड क्वार्टर जयपुर में है ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ के सदर कानूंगो का हैड क्वार्टर जयपुर में रखने के क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार अब सदर कानूंगो, किशनगढ़ का हैड क्वार्टर किशनगढ़ भेजने का आदेश जारी करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पहले इसकी जांच करेंगे कि कहां रखना हर तरह से ज्यादा लाभप्रद है।

कु० श्री जसवन्त सिंह— जब तक कि विधान सभा की मीटिंगें होती हैं तब तक के लिए क्या सरकार एक मिनिस्टर केवल किशनगढ़ के लिए नया नियुक्त करने का प्रबन्ध करेगी ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री) — वह काम तो हम लोग कर ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८३८

सदर कानूंगो के ग्रेड नायब तहसीलदारों से अधिक नहीं

श्री चान्दमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सदर कानूंगो के तनख्वाह की ग्रेड क्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि कलेक्टर्स कान्फ्रेन्स में उन्हें नायब तहसीलदार से ऊंची ग्रेड देना तय किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या अमल किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)— सदर कानूंगो की तनख्वाह की ग्रेड ७५-५-१५० है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १८३६

ग्राम बोहड़े तथा चिकारडे में कन्या पाठशालाएं खोलना

श्री जगतसिंह झाला—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) क्या सरकार बड़ी सादड़ी तहसील के सबसे बड़े ग्राम बोहड़े व डूंगला तहसील के सब से बड़े ग्राम चीकारडे में इसी वर्ष से कन्या पाठशाला खोलने का विचार करती है ?

(ख) क्या इन दोनों ग्रामों की जनता द्वारा इस कार्य के लिये मकान का प्रबन्ध करने पर कन्या पाठशाला खोलने का आदेश शीघ्र देगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) जनता की ओर से ऐसी मांग आने पर और स्कूल भवन आदि की व्यवस्था होने पर इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह मांग नहीं आई ?

श्री भोलानाथ—अभी तक तो नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १८४०

डेगाना स्टेशन से इडवा, पालडी, नीमडी, जावला व हरसोर रिड की बस सर्विस वर्षा में बन्द

श्री भोपालसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डेगाना स्टेशन से ईडवा, पालडी, नीमडी, जावला व हरसोर रिड के लिये बस सर्विस इजाजत से चलती है ?

(ख) यदि हां, तो वर्षा के मौसम में सर्विस बन्द क्यों की जाती है ?

(ग) अगर रास्ता खराब हो जाता है तो वर्षा के बाद तत्काल ही रास्ता साफ कर सर्विस क्यों नहीं चालू की जाती है ?

(घ) क्या सर्विस चलाने वाले दो मालिक हैं जो अपना खर्च लगाने में गुरेज करते रहते हैं ?

[श्री भोपालसिंह]

(ड) क्या सर्विस नहीं चलने से मुसाफिरों को मोटर स्टेशनों तक ३-४ माइल से आ आ कर जेर बार होना पड़ता है ?

(च) क्या यह जनता की तकलीफ दूर करने के लिए सरकार मोटर मालिकों से सर्विस रेग्युलर चलाने का इकरारनामा लिखवायेगी और अगर ये लोग रेग्यूलर चलाने से इन्कार हों तो किसी दूसरे को मोटर बस चलाने की मोनोपोली देने की कृपा करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—(यातायात मन्त्री) (क) जी हां।

(ख) रास्ता कच्चा है और बीच में जावला नदी व नाले पड़ते है, जिससे वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए सर्विस चलना मजबूरन बन्द हो जाता है।

(ग) वर्षा ऋतु के पश्चात् रास्ता ठीक किया जाता है और सर्विस चालू हो जाती है ।

(घ) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(ङ) जब मोटर सर्विस नहीं चलती तब मुसाफिरों के लिये पैदल या अन्य साधनों से आना-जाना अनिवार्य हो जाता है।

(च) मोटर मालिकों को रेग्युलर सर्विस चलाने के लिये पाबन्द किया जाता है और यदि ये लोग रेग्यूलर चलाने से इन्कार होते हैं तो उनके परमिट खारिज किये जाकर दूसरों को इजाजत दी जाती है। मोनोपोली भारतीय संविधान के अन्तर्गत कायम नहीं की जा सकती किन्तु वर्षा के कारण नदी-नालों से रास्ता खराब होने से मोटर बन्द हो जाना अनिवार्य कारण है।

श्री भोपालसिंह—क्या रेग्युलर सर्विस चलाने के लिये उनसे एग्रीमेंट नहीं लिखाया जाता ?

श्री रामकरण जोशी—रेग्युलर सर्विस नहीं चलाने में बरसात ही एक अनिवार्य कारण है। बरसात में नदी नाले चलने से सर्विस चलाना असंभव हो जाता है।

श्री भोपालसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस रूट में नदी-नाले कहीं नहीं हैं, सिर्फ इर्द गिर्द से रास्ता ठीक करने की जरूरत है।

श्री रामकरण जोशी—बीच में जावला नदी पड़ती है।

श्री जवानसिंह—सड़कों की मरम्मत सरकार कराती है या सर्विस के मालिक ?

श्री रामकरण जोशी—जहां सरकार की सड़कें नहीं हैं और कच्चे रास्ते हैं वहां उनकी देख-रेख सर्विस वाले करते हैं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार कोई हिस्सा देती है उसमें ?

श्री रामकरण जोशी—उसमें बड़ा हिस्सा लेती है, ज्यों ही रास्ते चालू होते हैं, सड़कें बनाती है।

श्री जवानसिंह— नहीं, मेरा मतलब नहीं समझे, मेरा मतलब यह है कि जो सर्विस के मालिक कच्चे रास्तों की मरम्मत करवाते हैं उसमें सरकार भी क्या खर्चा देती है ?

श्री रामकरण जोशी—फेयर वैदर रोड के लिये देती है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार को इमदाद देने के लिये ऐसा करते हैं या अपनी बसों को ठीक रखने के लिये ऐसा करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार को इमदाद देने की भावना से कोई काम नहीं करते। वे अपनी मोटरों को ठीक रखने और मुसाफिरों को सुविधा देने के लिये ऐसा करते हैं।

श्री जवानसिंह—मरम्मत के लिये जो रुपया सरकार देती है उसको मोनोपोली होल्डर्स खर्च करते हैं या सरकार खर्च करती है।

श्री रामकरण जोशी—मैंने बताया कि मोनोपोली है नहीं।

श्री जवानसिंह—सर्विस होल्डर्स खर्च करते हैं या पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत खर्च होता है।

श्री रामकरण जोशी—पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत खर्च होता है।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि आया यह रकम पी० डब्ल्यू० डी० की मार्फत खर्च होती है या सर्विस होल्डर्स खुद इस रकम को खर्च करते हैं।

श्री रामकरण जोशी—इसकी मरम्मत सर्विस होल्डर भी करते हैं और पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये से भी होती है। सर्विस होल्डर उतना काम करते है जितना वे कर सकते हैं। नदी नाले बनाना व पुलिये बनाना उनके अधिकार में नहीं है।

Page No.9

श्री भोपालसिंह—मैं यह बता देना चाहता हूँ कि कोई नदी नाला नहीं है, थोड़ी बहुत मरम्मत करने से काम चल सकता है।

श्री रामकरण जोशी—जावली नदी वहां पर आती है, ऐसी मुझे इत्तिला मिली है। अगर कोई नदी नहीं आती तो आप मुझसे आकर मिलिये। मैं उन साहब को भी बुला लूंगा जिन्होंने यह सूचना दी है।

श्री भोपालसिंह—जावली नदी नहीं आती है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सरकार की जानकारी में है...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जहां नदी नहीं होती वहां राजस्थान सरकार नदी कर देती है।

श्री रामकरण जोशी—बरसाती नाले नदी कहलाते हैं।

श्री भोपालसिंह—नदी और नाला कोई भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८४१

राजस्थान की तहसीलों में अकाल स्थिति निवारण सम्बन्धी व्यवस्था

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष कई तहसीलों में वर्षा की कमी की वजह से अकाल जैसी स्थिति हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसी तहसीलें कौन कौन हैं ?

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में उन तहसीलों में क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां, इस वर्ष राजस्थान की अनेक तहसीलों में वर्षा की कमी के कारण अकाल जैसी स्थिति हो गई है। किन्तु अभी वर्षा हो रही है उससे कई स्थानों की फसल कुछ ठीक हो सकती है। कई स्थानों पर इस माह में वर्षा हो जाने से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) बीकानेर डिविजन के नहरी इलाकों को छोड़ कर समस्त तहसीलों की स्थिति सर्वाधिक खराब है । जोधपुर डिवीजन में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, नागोर और जालोर जिलों में, जयपुर डिवीजन के अलवर, भरतपुर, सीकर, झुन्झूनू, जिलों में, कोटपुतली तहसील, उप जिला शाहपुरा और किशनगढ़, उदयपुर डिवीजन के डूंगरपुर जिले के कुछ भागों में और जिला भीलवाड़ा के कुछ हिस्से अकाल की स्थिति में है ।

(ग) सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सीकर जिले का भी नाम है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो नाम पढ़ कर सुनाये हैं फिर से दुहरा दूं तो आपको मालूम हो जावेगा । जयपुर डिवीजन के अलवर, भरतपुर, सीकर ...।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तहसील बिलाड़ा भी इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तहसील बिलाड़ा जोधपुर डिवीजन में आ जाता है ।

श्री कानसिंह—बीकानेर डिविजन में वर्षा नहीं होने से अकाल है ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—भादरा और नोहर मे १, १॥ इंच के करीब वर्षा थी ।

श्री चांदमल मेहता—अब तक सरकार की तरफ से राहत दिलाने के संबन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी वर्षा चल रही है और अभी राहत कार्य करने की स्थिति नहीं है । हां, बीकानेर डिविजन के लिये सबसे पहले काम करना चाहते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अकाल की वजह से मवेशी बाहर जाते हैं और उनको तहसीलदार बाहर जाने के लिये परमिट नहीं देते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, अभी तो परमिट नहीं दिये जाते । जब तक यह यह नहीं कर दिया जावे कि जानवरों को कहां ले जाना है, तब तक परमिट देना ठीक नहीं होगा ।

श्री चांदमल मेहता—अब तक परमिट देना उचित नहीं था तो अब कब तक परमिट देना उचित मानती है ?

Page No.11

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—आम तौर से १५ अक्टूबर के आस-पास मवेशी माइग्रेट होते हैं और ज्यादा तादाद में जाते हैं मामूली तौर से फोडर होने पर। आस-पास के राज्यों से पूछताछ की जा रही है कि कौनसे इलाके में भेजना होगा।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सरकार को मालूम है कि मवेशी एक महीने पहले से जाने शुरू हो गये हैं और तहसीलदार की तरफ से परमिट नहीं देने से काफी परेशानी होती है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—राजस्थान में इधर उधर मवेशी जा आ सकते हैं, लेकिन परमिट तो तभी दिये जावेंगे जब सरकार दूसरी जगह भेजने का तय कर देगी कि मवेशी को किधर जाना है।

श्री **चांदमल मेहता**—राजस्थान के बाहर के लिये परमिट क्यों नहीं देते ? यदि सरकार इन्तजाम नहीं करना चाहती तो परमिट तो देना चाहिये।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मध्य भारत राजस्थान के मवेशियों को लेने के लिये तैयार नहीं। अगर वहां मवेशी भेजें और वहां भी मवेशियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो तो फिर उसकी जिम्मेवारी सरकार की हो जाती है, अगर बाहर जाने के लिये परमिट दिये जाते हैं।

श्री **चांदमल मेहता**—अब तक वह क्यों नहीं किया गया ?

श्री **अध्यक्ष**—ये कहते हैं कि वर्षा हो रही है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—बाहर के राज्यों के वहां भी ऐसी ही स्थिति कहीं न हो इस बात को जानने के बाद ही निश्चित तौर से यह तय किया जा सकता है कि मवेशी कहां भेजे जावें ? वे तब तक नहीं भेजे जा सकते और तय होने के बाद ही परमिट दिया जा सकता है। जहां सबसे खराब स्थिति है, जैसे बीकानेर में वहां के मवेशी बाहर जा नहीं सकते, सिवाय पंजाब के या नहरी इलाके के।

श्री **कानसिंह**—कहतसाली की वजह से कितना रुपया भारत सरका की तरफ से मिला है और कितना रुपया राजस्थान सरकार व्यय करेगी ? उसमें से बीकानेर पर कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं आपके प्रश्न को पूरे तौर से नहीं समझ पाया, लेकिन जहां तक समझ पाया हूं वह यह है कि कितना भारत सरकार और कितना रुपया राजस्थान सरकार देगी और उसमें से बीकानेर को कितना रुपया दिया जवेगा। यह तो सारी बातें तय हो जावेंगी। भारत सरकार मौजूदा वक्त में ५० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक लोन और एड के तौर पर देती है।

Page No.12

श्री कानसिंह—क्या सरकार रुपया खर्च करते समय कमेटी बनाएगी और दूसरे लोगों से भी राय लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस संबन्ध में पिछले समय कार्यवाही की गई थी, उसी तरह से कार्यवाही की जावेगी और समय समय पर लोगों से राय भी ली जावेगी जिस प्रकार पहले ली गई थी।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या उदयपुर में वर्षा नहीं हुई है और उस कारण फसल नष्ट हो गई है, क्या यह सरकार के ध्यान में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वस्तु स्थिति क्या है, यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन उदयपुर में सरवाड़ और डूंगरपुर जिले के कुछ तहसीलों में अकाल की स्थिति है।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार ने इस संबन्ध में स्टेटमेंट के जरिये स्थिति पर प्रकाश डालने का कहा था ? क्या सरकार इस परिस्थिति में है कि अपना स्टेटमेंट देकर परिस्थिति को साफ करें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी वह परिस्थिति नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद पैदा हो सकती है और स्टेटमेंट कुछ समय के बाद दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८४२

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

(अनुपस्थित प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात।

प्रश्न संख्या १८४३

सराड़ा तहसील की मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक पाठसालाएं

श्री लक्ष्मण हीराल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखि प्रश्न का उत्तर देंने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर जिला सराड़ा तहसील में कितने मिडिल स्कूल व प्रारम्भिक पाठशालायें हैं और वे कहां कहां हैं ?

Page No.13

[श्री लक्ष्मण हीरात]

(ख) क्या यह सच है कि कई प्रारम्भिक पाठशालाओं में कई महीनों से अध्यापक नहीं भेजे गये हैं ?

(ग) इस वर्ष कितने नये स्कूल कहां कहां खोले जायेंगे ?

(घ) क्या यह आबादी के लिहाज से पर्याप्त है ?

श्री **भोलानाथ** (शिक्षा मंत्री)—(क) उदयपुर जिला सराड़ा तहसील में मिडिल स्कूलों की संख्या २ व प्राइमरी स्कूलों की संख्या १५ हैं। जहां जहां पर यह खुले हुए हैं उसकी सूची निम्न है :

मिडिल स्कूल : १. चावन्ड। २. देवपुरा।

प्राइमरी स्कूल्स सलवाडा जयसमुद्र, अहवास, सुरखंड का खेड़ा, वडगांव, जावर, केजड़, सगतडा, सेमारी, झाडोल, सराड़ा इन्टाली, पादन सराड़ा, थाना, बांरा।

(ख) नहीं, ऐसा कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जहां पर अध्यापक कार्य न कर रहे हों।

(ग) इस वर्ष सराड़ा तहसील में निम्नलिखित स्थानों पर भवन का प्रबन्ध होने पर नये स्कूल खोलने का विचार है :

पालनधारा, पलोदरा, सेपुर, खेखल, सखतावतों का गुढ़ा, दयाली

(घ) ये स्कूल आबादी के अनुपात को ही ध्यान में रखते हुए खोले गये हैं।

प्रश्न संख्या १८४४

रूरल वाटर सप्लाई योजना के अन्तर्गत सिरोही तहसील के लिए स्वीकृत रकम

श्री **जवानसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत सिरोही तहसील में कितने रुपये किस किस स्थान के लिए स्वीकृत किये गये हैं। अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.14

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—इस वर्ष सिरोही तहसील में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत निम्न कार्यों के लिए सरकारी सहायता स्वीकार की गई है ;

१. नीलसागर तालाब की मरम्मत ।		४०००)
२. मकराना गांव में ओटा तालाब की मरम्मत		१४००)
३. गांव राजपुरा में गांवाई तालाब की मरम्मत		२७००)
	कुल	८१००)

श्री जवानसिंह—इसके अलावा किसी भी गांव में कोई पीने के पानी के लिए कुआ खुदवाने की व्यवस्था की गई है क्या ?

श्री रामकरण जोशी—यह व्यवस्था सरकार नहीं करती है । गांव वालों की मांग आती हैं, उसमें कुछ गांव वाले खर्च करते हैं और कुछ सरकार सहायता देती है ।

श्री जवानसिंह—सिरोही जिले के किस गांव से यह मांग नहीं आई ?

श्री रामकरण जोशी—सिरोही तहसील के लिए पूछा था सो जवाब दिया गया । अगर आप सिरोही जिले के लिए पूछते हैं तो अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री जवानसिंह—मेरे प्रश्न को इस तरह से समझ लिया जाय कि सिरोही तहसील में किसी गांव से ऐसी मांग नहीं आई है क्या ?

श्री रामकरण जोशी—हां, नहीं आई ।

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्री तक मांग नहीं पहुँची है, तो क्या वाजिब जांच करेंगे कि मांग आई है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी मांग नहीं आई है, इसके बारे में जांच करने के लिए कहते हैं तो अवश्य जांच की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८४५

त० बड़ी सादड़ी (जि० चित्तौड़) के लिए पशु-चिकित्सालय का प्रबन्ध

श्री जगतसिंह झाला—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) क्या तहसील बड़ी सादडी (जिला चित्तोड़गढ़) में कोई मवेशियों का शफाखाना है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां एक मवेशियों का शफाखाना खोलने का विचार करेगी ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) सरकार का विचार हर एक तहसील में एक पशु चिकित्सालय खोलने का है, किन्तु अर्थाभाव के कारण निकट भविष्य में संभव नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रिद्धि चन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या १८४६

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

(अनुपस्थित-कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८४७

बाड़मेर व चोहटन के बीच के ३२ मील के मार्ग का २) रु० बस किराया

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या बाडमेर और चौहटन के दरमियान का फासला सड़क के जरिये ३२ माइल का है ?

(ख) अगर हां, तो क्या लारी का कॉन्ट्रेक्टर जो २) रुपये चार्ज करता है, वह वाजिब है ?

(ग) क्या इस बारे में कलेक्टर बाडमेर व आर० टी० ओ० जोधपुर के पास शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(घ) क्या यह भी सही है कि दोनों बसें जो वहां चलती है वे काबिल चलन के नहीं हैं और टाइम पर नहीं पहुँचाती हैं ? क्या उनका कोई टाइम मुकर्रर है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन लौरियों में मुसाफिरों के साथ साथ माल भी भरा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त शिकायतों पर ध्यान देगी व उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—(क) ३० माइल का है।

(ख) वाजिब है।

(ग) दरियाफ्त करने से मालूम हुआ है कि गत तीन वर्ष में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आयी।

(घ) गाड़ियां चलाने काबिल हैं। उनका हर छठे महीने मेकेनिकल इन्स्पेक्शन होता है। टाइम पर न पहुँचने की कोई शिकायत नहीं आयी। टाइम मुकर्रर शुदा है।

(ङ) ऐसी आम शिकायत नहीं है। केवल एक केस हुआ है, जिसका चालान कर दिया गया है। नतीजा नहीं आया है।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—इस पर माईल दर क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने अपने पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सड़क का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। (ए), (बी), व (सी) ये तीन क्लासेज़ हैं। (ए) आठ पाई पर मील, (बी) १२ पाई पर माइल और [सी] १४ पाई पर मील।

श्री जवानसिंह—इस सडक को कौनसी क्लास में माना गया है ?

श्री रामकरण जोशी—१२, [बी] क्लास में और १४, [सी] क्लास में।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८४८

सिरोही जिले में बीज वितरण

श्री जवानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(क) सन् हाल में अब तक सिरोही जिले में कितना, किस किस अनाज का बीज वितरण किया गया ?

(ख) क्या सिरोही तहसील में भी उपरोक्त बीज का वितरण किया गया है ?

(ग) अगर हां, तो कितना और किस से, किस भाव से, खरीद कर किस तरह वितरित हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—अभी इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसका उत्तर आगे दे दूंगा ।

प्रश्न संख्या १८४९

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १८५०

ग्राम चैनपुरा (त० जोधपुर) की प्राथमिक पाठशाला को मिडिल स्कूल बनाना

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर तहसील के ग्राम चैनपुरा में प्राइमरी स्कूल कौन से सन में खुली थी, और उस समय कितने अध्यापक व छात्र थे ?

(ख) जब से अब तक उक्त स्कूल में किस २ वर्ष में, कितने २ अध्यापक, कौन २ सी कक्षाएं व कितने २ छात्रों की संख्या में बृद्धि हुई ?

(ग) इतने अल्पकाल में उक्त स्कूल में कक्षाओं, अध्यापकों व छात्रों की संख्या को बढ़ती हुई देखकर क्या सरकार इस स्कूल को अगले वर्ष से मिडिल स्कूल कर देगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) जोधपुर तहसील के चैनपुरा में प्राइमरी स्कूल भवन १९३-३४ में एक अध्यापक से खोली गई थी। छात्रों की संख्या उस समय ३० थी।

[श्री भोलानाथ]

(ख) ज्यों ज्यों छात्रों की संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों अध्यापकों की संख्या बढ़ती गई. अभी मौजूदा छात्रों की संख्या १६४ हैं तथा अध्यापकों की संख्या ७ है।

(ग) चैनपुरा प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने के प्रश्न पर अन्य ऐसे ही स्कूलों के साथ इस स्कूल की उपयुक्तितानुसार गांव वालों की ओर से भवन आदि की सुविधा मिलने पर तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

प्रश्न संख्या १८५१

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।...

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १८५२

भीलवाडा जिले की गोचर भूमि का अलाटमेंट नहीं होने से किसानों व जागीरदारों में संघर्ष

श्री चुन्नीलाल बिड़ला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि भीलवाड़ा जिले में ग्राम वाइज गोचर भूमि का अलॉटमेंट अब तक नहीं होने से अधिकतर ग्रामों में, बाहम किसानों में व किसान व जागिरदारों के बीच कशमकश चल रही है ?

(ख) क्या सरकार विभागीय अफसरों से इस देरी का जवाब तलब करके उचित कार्यवाही करेगी ?

(ग) क्या गोकलपुरा तहसील भीलवाड़ा की जनता लगभग दो साल से चरनोट के झगड़े को नहीं निपटाने से परेशान है ?

(घ) क्या चरनोट की हद समय पर महदूद नहीं होने से काल्यास तहसील आसिन्द राजपुरा तहसील मांडल आदि में जागीरदारों ने चरनोट बेचकर हजारों रुपये किसानों को लड़ाकर अपनी जेबों में भर लिये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) इस जिले में किसी गांव में जो भूमि गोचर के लिए काम आ रही है या पड़त पड़ी है, उसमें से गोचर भूमि कायम की जा रही है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) इस बारे में और जानकारी प्राप्त की जा रही है और अगर स्थानीय अधिकारियों की शिथिलता प्रतीत हुई तो आवश्यक आदेश दे दिये जावेंगे ।

(ग) इस ग्राम में अभी सेटलमेंट का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । परन्तु इस विषय का मामला एस. डी. ओ की कोर्ट में चल रहा है ।

(घ) इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न संख्या १८५३

श्री अध्यक्ष—श्री अंगदराम शास्त्री ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १८५४

जोधपुर शहर के निकट मसूरिया पहाड़ के पीछे के भवन में प्राइमरी पाठशाला स्थापित करना

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर शहर के पास मसुरिया पहाड़ के पीछे स्थित एक सुन्दर भवन आज कल धर्मार्थ विभाग के चार्ज में है ?

(ख) क्या सरकार उसमें आस पास के गांव के किसानों के छात्रों को पढ़ाने के लिए जल्दी ही, इसी वर्ष प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) उस जगह के आस पास के गाँवों के छात्रों की पढ़ाई का अभी क्या प्रबन्ध हैं ? यदि नहीं, तो सरकार का क्या विचार है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हां, जोधपुर शहर के पास मसूरिया पहाड़ी के पीछेएक भवन है जो कि पहले शिकारखाने के कब्जे में था । यह भवन अच्छी प्राथमिक पाठशाला के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आम रास्ते से दूर है और अध्यापक के रहने के लिए कोई उचित प्रबन्ध नहीं है ।

[श्री भोलानाथ]

(ख) इस स्थान से एक डेढ़ माइल तक की दूरी के जो गांव हैं, उन गांवों के बच्चे या तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौपासनी में या मसूरिया पहाड़ी के पूर्व में सरदारपुरे में स्थित पाठशालाओं पढ़ने आते हैं। ऐसी हालत में कोई नया स्कूल स्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता।

(ग) उपरोक्त भवन के २ या ३ माइल के अर्धव्यास में कोई गांव नहीं है ! सूथला, तिलवारिया एवं चौखा चौपासनी, जाल, बोरा, नाडा इत्यादि गांव इस जगह से तीन माइल व्यास से अधिक दूरी पर हैं। सूथला, तिलवारिया आदि छोटे गांवों के लड़के राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौपासनी में पढ़ने जाते हैं। चौखा, बोरा,नाडा आदि गांवों में राजकीय पाठशालायें हैं। चौपासनी में स्कूल भवन तथा अध्यापकों के रहने की अच्छी व्यवस्था है और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के बच्चों के उपरोक्त प्याऊ पर पाठशाला के रूप में उपयुक्त हो सके।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या इस भवन की प्रत्यक्ष जांच करके या निरीक्षण करके यह उत्तर दिया गया है ?

श्री भोलानाथ—हर एक प्रश्न का उतर देने से पहले जगह का निरीक्षण होना आवश्यक नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—उसमें स्कूल भवन के अलावा अध्यापकों के रहने की व्यवस्था है ?

श्री भोलानाथ—जंगल में रहना अध्यापक पसन्द नहीं करेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—तीन मील के रेडियस में हो, ऐसा नहीं है। आधा मील और १॥ मील के आस-पास ६-७ गांव आये हुए हैं। यह मैंने इन्सपेक्टर को साथ ले जाकर बताया है।

श्री भोलानाथ—जमीन आपने बताई उसमें पूरी आवश्यकता नहीं है। दूर दूर जो व्यवस्था है, उसकी सूचना मैंने आपको दे दी है।

श्री संतोषसिंह—आपने चौपासनी स्कूल बताया और फासला साढ़े तीन मील बताया किन्तु जो भवन मैंने बताया वह तो आधा मील दूर है।

श्री भोलानाथ—तो मतलब यह है कि जो स्थान मैंने बताया उससे मतभेद है या नहीं।

श्री संतोषसिंह—जो स्थान मैंने बताया वह सही है और जो मन्त्रीजी ने बताया वह गलत मालूम होता है।

श्री भोलानाथ—यह सूचना डिपार्टमेंट से आई है, जो सोच-समझकर आई है और गलत समझने का कोई कारण नहीं। आप बतायें यदि इसमें और कोई हो तो।

श्री सन्तोषसिंह—वहां नल लगे हुए हैं, मकान स्थित है, गांव की बस्ती में है। मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे स्वयं उसका निरीक्षण करें और व्यवस्था करें।

श्री भोलानाथ—अच्छा।

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या १८५५

दौसा में पत्थर की पट्टियां तथा कातले क्रेताओं द्वारा म्युनिस्पिल टेक्स देना

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दौसा में पत्थर की पट्टियां कातले खरीदने वालों को कोई म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है ?

(ख) टैक्स फी रुपया क्या देना पड़ता है और वह टैक्स कब लगाया गया है ?

(ग) क्या उक्त टैक्स प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है या कोई मुश्तसना भी रखा गया है ?

(घ) क्या म्युनिसिपल चेयरमैन ने इस वर्ष पट्टियां कातला खरीदा है और उसका टैक्स दिया है ? अगर दिया है तो उसकी रसीद किस तारीख को कटी है और कितना टैक्स जमा हुआ है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) दो पाई प्रति रुपया। यह कर सन् १९५३-५४ में लगाया गया था।

(ग) कोई भी व्यक्ति इस कर से मुक्त नहीं रखा गया है।

(घ) चेयरमेन ने जो पट्टी कातले खरीदे उसका टैक्स २ रु० ५ आना हुआ था। दो रुपया पांच आना ता० २०-२-५४ को दो रुपये और ७-७-५४ को पांच आने रसीद द्वारा जमा कराये गये हैं।

श्री भोपालसिंह—पट्टी कातले कब खरीदे गये ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल नहीं है। जो पैसा म्युनिसिपेलिटी में जमा हुआ है, वह मैंने आपको बता दिया।

श्री भोपालसिंह—मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि कातले कौनसी तारीख को खरीदे गये और टैक्स किस तारीख को जमा कराया गया ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो कायदा होगा उसी के मुताबिक कातले खरीदे गये होंगे और उसी के मुताबिक पैसा जमा होता होगा।

श्री भोपालसिंह—यह नहीं हुआ है, इसीलिए तो प्रश्न पूछा गया है।

श्री रामकरण जोशी—यह नहीं हुआ है तो यह न तो इस प्रश्न से ताल्लुक है और न इसके उत्तर का ही कारण है।

कातले वगैरह जरूरत पड़ने पर हरेक खरीदता है। मैंने भी अपने मकान के लिए खरीदे हैं। मेरा मकान म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, खेत में है।

श्री भोपालसिंह—टैक्स जमा कर दिया गया या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने कहा कि मेरा मकान म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, खेत में में है।

श्री भोपालसिंह— आपने इसका टेक्स दिया है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, इसलिये टेक्स नहीं लिया जाता है।

श्री भोपाल सिंह—तो क्या आपने पट्टी कातले के स्थान पर कोई दूसरी चीज लगाई है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने कहा कि यह तो म्युनिसिपल टेक्स है और म्युनिसिपल हद के अन्दर ही वसूल किया जाता हैं।

श्री भोपाल सिंह—जो कातले या पट्टी आपने खरीदे हैं, उनका म्युनिसिपल टेक्स दिया है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—जिस जगह माल जाता है, उसी माल पर टेक्स वसूल होता है जिस नगरपालिका के हद में माल जायगा वहां की नगरपालिका वह टेक्स वसूल करेगी। अगर हदूद के बाहर माल जाता है, तो टेक्स नहीं लगता है ।

प्रश्न संख्या १८५६ ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामरतन टिक्कीवाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १८५७

ग्राम पिचियाक (त० बिलाड़ा) की बांध की जमीन का एलोटमेंट .

श्री संतोषसिंह कछवाहा,—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तहसील बिलाडा के गांव पिचियाक के बन्ध की जमीन का जो एलॉटमेन्ट किया गया है, क्या उसमें नदी की जमीन के अलावा बेरों की जमीन का भी एलॉटमेन्ट करने का हुक्म दिया गया है ?

(ख) अगर हां, तो किन किन काश्तकारों के बेरों को एलॉटमेन्ट से वंचित रखा गया है और क्यों ?

(ग) उपरोक्त बन्ध की जमीन का एलॉटमेन्ट कम से कम कितने वर्ष की आयु तक के काश्तकार को कितने कितने बीघा तक देने की सरकारी आज्ञा है ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त एलॉटमेन्ट में २ से ३ वर्ष की आयु के मासूम बच्चों के नाम भी जमीन एलॉट की गई है ?

(ड-) अगर हां तो क्या सरकार इस तरह के सारे ही काश्तकारों के छोटे बच्चों के नाम काश्त के एलॉटमेन्ट में नाम दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)— (क)जी हां। पिचियाक के बन्ध के पेटे में गैर आपी जमीन, जिसमें गैर आपी के बेरे (कुए) भी शामिल हैं, एलॉट की गई।

ख. प्रत्येक काश्तकार को २५ बीघा फी व्यक्ति के हिसाब से एलॉटमेन्ट किया गया है। बेरों का अलग एलॉटमेन्ट नहीं किया गया, इस लिए किसी को वंचित रखने का प्रश्न नहीं उठता।

ग. एलाटमेन्ट करने के लिये आयु का कोई विशेष नियम नहीं है।

घ. जी नहीं।

ड. यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १८५८.

ग्राम काली वेरी (त० जोधपुर) के निवासियों द्वारा प्राथमिक पाठशाला के भवन हेतु चन्दा एकत्रित करना

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—क्या शिक्षामंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या जोधपुर तहसील के गांव काली वेरी के किसानों ने करीब ३, ४ हजार रूपयों की लागत के एक स्कूल भवन का निर्माण प्राइमरी स्कूल के वास्ते श्रमदान में किया है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त श्रमदान में बने हुए स्कूल भवन में जल्दी ही प्राइमरी स्कूल, इसी चालू वर्ष में खोलकर गरीब किसानों के पिछड़े हुए बच्चों को विद्या दान देने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या इस गांव से कई माइल की दूरी तक कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं है ? यदि है तो कहां ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) हां। जोधपुर तहसील के गांव कालीबेरी में गांव वालों ने एक पुरानी इमारत को श्रमदान से मरम्मत करके प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण किया है।

(ख) गांव वालों ने यहां पर नया स्कूल खुलाने के संबन्ध में अभी हाल ही में प्रार्थना पत्र दिया है। आसपास वाली वस्तियों में आबादी कम है, फिर भी जनता के उत्साह को देखते हुए यहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने के प्रश्न पर अन्य ऐसे स्कूलों के साथ इसकी उपयुक्ततानुसार विचार किया जावेगा।

(ग) कालीबेरी से दो मील से कम की दूरी पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है।

(घ) दो मील की दूरी पर सूरसागर व बागों आदि स्थानों पर राजकीय प्राइमरी स्कूल विद्यमान हैं।

प्रश्न संख्या १८५६

जयपुर नगर के ठेलेवालों से थड़ियोंवालों की अपेक्षा अधिक म्युनिसिपल टैक्स लेना

श्री भोपाल सिंह—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न उतर का देने की कृपा करेंगे:

[श्री भोपाल सिंह]

(क) क्या जयपुर शहर में गरीब व्यवसायी दुकान किराये पर नहीं ले सकने की हालत में सड़कों की पटरियों पर लकड़ी की दुकानें बनाकर माल बेचते हैं और उनसे म्युनिसिपल टेक्स ४८ रूपया सालाना लिया जाता है ?

(ख) क्या इनसे भी गरीब व्यवसयी है, जो ठेले में माल रख कर सड़कों पर बेचते फिरते हैं और उनसे भी ७२ रूपये लिये जाते हैं ?

(ग) क्या ठेले में म्युनिसिपेलिटी की कोई जगह लकड़ी की बनी हुई दुकानों से ज्यादा रुकती है ?

(घ) क्या यह टेक्स बहुत भारी नहीं है और क्या इस टेक्स को बहुत हलका करने का सरकार विचार करेगी ? अगर करेगी तो कबतक और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री **रामकरण जोशी** (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) पटरियों पर लकड़ियों की थड़ी रख कर माल बेचने वालों से १० रू. लेकर २ रू. मासिक तक का किराया वसूल किया जाता है, विभिन्न सड़कों का किराया इन थड़ियों का पृथक पृथक निम्न प्रकार है;—

	प्रत्येक थड़ी
(१) जौहरी बाजार, त्रिपोलिया, खंदा बाईजी, पुरोहितजी, मानकचौक, हवामहल तथा सड़क रामबाग	१० रू.
(२) चान्दपोल बाजार व मिर्ज़ा इस्माइल रोड़	६ रू.
(३) बाजार किशनपोल, रामगंज, हवामहल, खंदा चौपड, आमेर व रामगंज चौपड़	५ रू.
(४) हवाली शहर गर्बी, रेजीडेन्सी सड़क, मोती डूंगरीरोड व आमेर सड़क	४ रू.
(५) घाटगेट, गनगोरी बाजार	३ रू.
(६) मोती कटला बाजार, सूरजपोल बाजार, सड़क घोड़ा निकास, खेतडी हाउस रोड व झोंट वाडा सड़क	२ रू.

[श्री रामकरण जोशी]

(ख) ठेले में माल बेचने वालों से ६ रूपया मासिक फीस हैडक्वार्टर्स बाइलॉज़ के तहत ली जाती है।

(ग) ठेला व्यवसायिक दृष्टि से सब बाजारों में फिरता है। थड़ी एक ही स्थान परस्थित रहती है। अतएव दोनों की तुलना नहीं हो सकती। लाभदायक एवं विशिष्ट बाजारों में अधिक व साधारण बाजारों में कम किराया लिया जाता है। ठेला सब जगह जा सकता है।

(घ) नहीं। यह लाइसेन्स फीस जयपुर के समय से ही लागू है। यह प्रश्न नहीं उठता

श्री भोपालसिंह—यह जो किराया गरीब ठेले वालों के लिये रखा है क्या उस किराये में कमी की जायगी?

श्री रामकरण जोशी—नहीं।

श्री भोपाल सिंह—क्या प्रजा राज्य में इस किराये को ज्यादा नहीं समझते?

श्री रामकरण जोशी—मैंने जैसा कि निवेदन किया इसका ताल्लुक राजा राज्य से है, प्रजा राज्य में कोई नया नहीं लगाया गया।

श्री भोपाल सिंह—इसमें कमी करने का इरादा है, क्या इसप्रजा राज्य मे?

श्री अध्यक्ष—आपको उत्तर दिया 'नही'।

श्री भोपाल सिंह—प्रजा राज्य में इसको बढ़ाने का इरादा है क्या?

श्री रामकरण जोशी— अभी इरादा नहीं है।

श्री जवान सिंह—प्रजा राज्य और राजा- राज्य दोनों के क्या अधिकार बराबर माने ये हैं?

प्रश्न संख्या १८६०

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रश्न का पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः अगली टर्न पर इसका जवाब दूंगा।

प्रश्न संख्या १८६१

त० सिवाना में गतवर्ष और इस वर्ष अकाल होने के कारण आवश्यक अकाल कार्यवाही

श्री मोटाराम चौधरी— क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील सिवाना में गत वर्ष अकाल था और इस वर्ष भी कम वर्षा व टिड्डियों के आक्रमण के कारण अकाल से भी भयंकर स्थिति है ?

(ख) क्या सरकार गांव के किसानों व मवेशियों की सहायता के लिये अभी से ही कुछ कार्य शुरू करने की व्यवस्था करेगी ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि गत वर्ष भी पीड़ितों की सहायतार्थ सरकार द्वारा ४७ हजार रुपये जो उन गांवों में सड़क बनाने के वास्ते खर्च करने थे। वे भी खर्च नहीं हुए हैं

(घ) क्या सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के हेतु उनके लगान की माफी की आज्ञा शीघ्र ही जारी करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) गतवर्ष तहसील सिवाना के कुछ गांवों में अकाल की स्थिति पर इस वर्ष टिड्डियों का आक्रमण होते हुए भी फसलों को अधिक हानि हुई है क्योंकि टिड्डियों को अधिक मात्रा में नष्ट कर दिया गया और उसके पश्चात् वर्षा होने से अब हालत ठीक प्रतीत होती है।

(ख) अभी इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ग) गत वर्ष अकाल-सहायता का कार्य कुछ देरी से शुरु हुआ और वर्षा आरम्भ से मजदूर नहीं मिलने पर कार्य बन्द करना पड़ा जिससे पूरी रकम व्यय नहीं हो सकी।

(घ) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि इस तहसील में इस वर्ष अकाल की स्थिति होने की आशा नहीं है।

श्री जवान सिंह—क्या यह सही है कि इस वर्ष में पहले वर्षा हो जाने पर और बाद में वर्षा न होने के कारण फसलें उखाड़ ली गई हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी सूचना नहीं है।

श्री जवानसिंह—सिवाना तहसील से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है, फसलें उखाड़ लेने के बारे में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है।

श्री मोटाराम चौधरी—सिवाना तहसील में वर्षा नहीं होने से वहां की फसलें जो खडी थीं वे भी सूख गई हैं। आप जो कह रहे हैं वहां मौजूद हैं, क्या आप इस बारे में जांच करायेंगे कि क्या बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जहां तक आपका मकसद समझ सका हूं वह यह है कि फसलें सूखने पर काट दी गईं। इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको बता सकता किन्तु वर्षा के अलग अलग फीगर्स मेरे पास हैं। उनको देखते हुए वहां की फसल में कोई नुकसान होने वाला नहीं प्रतीत होता।

श्री मोटाराम चौधरी—सिवाना खास में बरसात हुई है, किन्तु वहां के गांव में बिल्कुल बरसात नहीं है, क्या यह माननीय मंत्रीजी के जानकारी में है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने जैसा कि अर्ज किया, अलग अलग परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं, ताकि जवाब दिया जा सके।

श्री जवानसिंह—गत वर्ष जिन लोगों से लगान वसूल नहीं किया गया क्या इस वर्ष उनसे वसूल किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां अकाल की स्थिति होगी वहां नहीं।

श्री जवानसिंह—अकाल के अलावा स्केअरसिटी एरिया होने की वजह से गतवर्ष फसल नहीं हुई, क्या इस वर्ष गत वर्ष का लगान उनसे लिया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस साल जिसको स्केअरसिटी एरिया घोषित किया जायगा वहां वसूल नहीं होगा। इस साल कितना हुआ और पिछली साल कितना कम हुआ, इस सारी स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जायगा।

प्रश्न संख्या १८६२

महाराजा कॉलेज जयपुर के गणित विभाग में इसके प्रिंसिपल द्वारा एम. ए. की कक्षाओं को नहीं पढ़ाना

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Willthe Minister for Education be pleased to state;-

Page No.29

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

(a) Is it a fact that there is a shortage of Senior Lecturers and professors in the Mathematics Department of the Maharaja's College at Jaipur ?

(b) Is it a fact that the principal of this College is the Senior-most profe- ssors of Methematics, but he is not taking the M.A., M.sc. (Prev- and Final) Classes of Mathematics regularly, for the last so many years, and instead junior Lecturer and new hands are engaged for teaching the M. A., M. sc (prev. & Final) classes of Mathematics of this College ?

(c) what was the result of the M.A., M.sc. (prev. & Pinal) Classes of Math- ematics of this college during the sessions 1951-52, 1952-53 and 1953-54

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(a) No.

(b) Yes. He is the senior-most. The Principal has also been taking classes and not the juniors only.

(c) The results are given in the statement :—

M. A. and M. Sc. (Previous)

Session	N. of students who got admissio to M. A. & M. Sc. [Prev.]	No. of Students who appeared in all the papers	No. of Students who got through.	Percentage
1951-52	M. A. 4	3	2	66.6%
	M. Sc. 10.	6	5	83.3%
1952-53	M. A. 4	1	0	0%
	M. Sc. 14.	3	2	66.0%
1953-54	M. A. 1	1	1	100%
	M. Sc. 11.	8	6	75%

Page No.30

[श्री गोपीलाल यादव]

M. A. and M. Sc. [Final]

1951-52	M. A. 2	1	1	100%
	M. Sc. 6	3	2	66.6%
1952-53	M. A. 2	2	1	50%
	M. Sc. 8	7	7	100%
1953-54	M. A. x	x	x	—
	M. Sc. 4	3	2	66.6%

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह अभी प्रश्न किया उस वक्त से शुरु किया या पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—अरसे से पढा रहे हैं और फिर मैं तो मानता हूं कि जो अच्छे प्रिन्सिपल होते हैं वे स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको मैं अच्छा प्रिन्सिपल मानता हूं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—महाराजा कॉलेज में टोटल स्ट्रेन्थ मैथेमोटिक्स के प्रोफेसरों की कितनी है ?

श्री भोलानाथ—७

श्री हिम्मतसिंह—लेक्चरार कितने हैं और प्रोफेसर कितने हैं ?

श्री भोलानाथ—प्रोफेसर्स २ और लेक्चरार्स ५ हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—मैथेमेटिक्स के पेपर्स कितने आते हैं ?

(हंसी)

अध्यक्ष—Perhaps the Hon'ble member is not apcrp rng for M. A. classes ?

श्री भोलानाथ—पेपर्स की सूची तो मैं नहीं लाया हूं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फाइनल एम. ए. और एम. एस.सी. में कितने मैथेमैटिक्स स्टूडेन्ट्स हैं ।

श्री भोलानाथ—मैं बताता हूँ आपको, (विराम) कौन से साल के।

कु० श्री जसवन्तसिंह—लास्ट ईयर के बता दीजिये।

५३-५४ में एम. ए. में निल और एम. एस. सी में ४।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रहा तो सेन्ट पेरसेन्ट।

श्री हिम्मतसिंह—यह लेक्चरार जो हैं उनकी टीचिंग क्वालिफिकेशन कितने वर्षो की है?

श्री भोलानाथ—प्रिन्सिपल श्री के. एल. वर्मा ओवर ३० ईयर्स।

प्रोफेसर ,, जी सी पाटनी ओवर १२ ईयर्स।

लेक्चरार ,, एम सी गुप्ता ६ वर्ष।

,, ,, आर. सी. सिंघवी ६ वर्ष।

,, ,, के. एन. भट्ट लगभग २ वर्ष।

,, ,, पी. डी. वर्मा ओवर १ ईयर।

,, ,, आर एस जोशी Appointed temporarily this year.

श्री भोपालसिंह—क्या यह बताने की आप कृपा करेंगे कि एजूकेशन डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से इसकी सालाना रिपोर्ट जाती है?

श्री हिम्मतसिंह—लेक्चरार होने के संबन्ध से यह रिजल्ट निल प्रसेन्ट रहा है क्या?

श्री भोलानाथ—पर्सेन्टेज तो बहुत अच्छा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—५२-५३ में एम. ए. क्लास का क्या रिजल्ट रहा?

श्री भोलानाथ—एक बैठा और एक फैल हो गया।

श्री सन्तोषसिंह—इतना बडा महाराजा कॉलेज है, फिर भी वहां एम. ए. प्रीवियस और फाइनल में १६ ही, लड़के हैं इसका क्या कारण है?

श्री भोलानाथ—पढ़ने में बहुत जोर पड़ता है, मैथेमैटिक्स में।

श्री सन्तोषसिंह—इन सोलह स्टुडेन्ट्स पर कितने प्रोफेसर हैं और उन पर कितना खर्च आता है?

श्री अध्यक्ष—It is not the purpose of the question.

(घंटी)

इन्टर से एम. ए. तक को पढाते हैं, एक ही क्लास को वे नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८६३

महाराजा कॉलेज जयपुर के गणित विभाग में एम. ए. की कक्षाओं के लिए अच्छे शिक्षकों का प्रबन्ध

श्री राज हिम्मतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state;-

(a) What was the total number of students admitted at the beginning of the session 1952-53 in the M.A. M.Sc. classes of Mathematics Department in the Maharajas College at Jaipur?

(b) How many of those students had filled their forms for admission to the M. A., M. Sc. (prev. & Final) examination to be held at the end of Session 1952-53?

(c) What was the percentage of the result?

(d) Is it a fact that this low percentage was solely due to the fact that these classes were taught throughout the session by new hands?

(e) Has the Government mape necessary and suitable arrangements in this direction to remove the defects therein? If so, to what extent?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(a) The number of students admitted at the beginning of the session 1952-53 to M. A. and M.Sc. (Mathematics) previous and Final classes were as under:--

M. A. Previous	4.
M. Sc. Previous	14.
M. A. Final	2.
M. Sc. Final	8.

(b) The number of students who filled their form for admission to previous and final examinations were 18, as shownbelow:—

[श्री भोलानाथ]

M. A. Prev.	1.
M. Sc. Prev.	8.
M. A. (Final)	1.
M. Sc. (Final)	7.

(c) as under.

Class	No. of students who appeared in all the papers	No. of stu dents who got through.	Pass Percentage.
M. A, (Prev.)	1	0	0
M. Sc. (Prev.)	3	2	66:6%
M. A, (Final.)	2	1	50%
M. Sc. Final	7	7	1 00%

(d) Not a fact, The Principal continued to take the M. A. and M. Sc (Final) Classes as usual from the beginning of the session. Two new hands (who were later on selected by the P. S. C.) had to do some work temporarily on account of some teachers having been retired or transferred. Steps were being taken by the Government for making permanent appointments.

(e) No special arrangements were considered necessary.

प्रश्न सं १८६४

पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमहितकारी कार्यों के लिए सहायता

श्री सन्तोषसिंह—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में श्रम हितकारी कार्यों के लिए कौ कौन से वर्ष में कितने कितने रुपयों का बजट बनाया गया था और उनमें से कितने कितने रुपयोंकीन सहायता किस किस वर्ष में प्रदान की गई ?

(ख) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दी हुई रकम में से उपरोक्त कार्य में किस किस जगह कितने कितने रुपयों की रकम किस किस कार्य के हेतु खर्च की है ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(क) पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान मे श्रम हितकारी कार्यों के लिए किसी वर्ष में कोई रकम नहीं मिली।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह जो रकम नहीं मिली तो क्या इसकी आवश्यकता नहीं थी या आपने मांगी नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—यह वहां की योजना में ही नहीं थी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह योजना बनाकर आप भेजते हैं या केन्द्रीय सरकार ?

श्री रामकरण जोशी—केन्द्रीय सरकार कुछ रकम किसी निश्चित काम के लिए निकालती हैं, उसमें से प्रान्तीय सरकारों को मिलता हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मालूम होता हैं आपने अपनी इस रकम को लेने की कोई कोशिश नहीं की।

श्री रामकरण जोशी—किसी का हिस्सा ही नहीं निकाला है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सेन्टर की सरकार राजस्थान का हिस्साकभी भी नहीं निकालेगी अब ?

श्री रामकरण जोशी—हिन्दुस्तान में कहीं के लिए श्रम हितकारी कार्य के लिए नहीं निकाली है कोई रकम।

प्रश्न संख्या १८६५

कारखानों में कानून के अनुसार श्रम जीवियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किन किन फैक्ट्रियों में फैक्ट्री एक्ट १६४८ के अनुसार हर एक श्रम-जीवी को, जो किसी भी कारखाने में काम करता है, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का हकदार होते हुए भी छुट्टी नहीं मिलती है ?

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

(ख) इसी प्रकार वीकली होली डे एक्ट १६४२ के अनुसार दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी व गुमास्तों को सप्ताह में एक दिन सवैतनिक छुट्टी मिलती है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल के लिए सरकार ने किस प्रकार के साधन अपनाये हैं और उसमें सरकार को कहां तक कामयाबी हुई है ? अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिन जिन स्थानों पर साप्ताहिक छुट्टी लागू है उन उन स्थानों पर दुकानों में काम करने वालों को एक छुट्टी सप्ताह में सवैतनिक मिलती है। इसके निरीक्षण के लिए जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा में वहां के श्रम अधिकारियों को और अन्य स्थानों पर वहां के तहसीलदारों को नियुक्त किया गया है।

(ख) कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी मिलने लगी है और न देने पर कसूरवार को सजा मिलेगी।

श्री संतोषसिंह—यह साप्ताहिक छुट्टी मिलती है या नहीं, इसकी जांच करने के लिये कितने इन्सपेक्टरों को रखा है सरकार ने ?

श्री अध्यक्ष—यह तो अलग क्वेश्चन हो गया।

श्री संतोषसिंह—मेरा तो यह पूछना है कि इसकी जांच किस तरह होती है कि छुट्टी होती है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने इसके बारे में आपसे कहा कि कानून के अन्तर्गत इसका निरीक्षण करने के लिए जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा में वहां के श्रम अधिकारी नियुक्त किये गए हैं और बाकी जगहों के लिये वहां के तहसीलदार नियुक्त किये गये है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता जैसे व्यक्ति गुमाश्ता कानून की अवहेलना करते हैं और कर्मचारी छुट्टी नहीं पाते।

श्री रामकरण जोशी—शिकायत करने पर वे सजा के हकदार हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—Now the questions are over.

श्री जवानसिंह—एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी है साहब।

श्री अध्यक्ष—Today or tomorrow.

[श्री अध्यक्ष]

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक प्रश्न रह गया है। अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर आ जायगा। दोनों ही रह जाते आपके। सबको रिवाइज़ करना पड़ेगा।

कई आवाजें—टाइम तो है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्यों का इसमें कोई कसूर नहीं है। सरकार के ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का कुसूर है कि लॉरी देर से पहुँचती है।

श्री अध्यक्ष (श्री रामकरण जोशी से)—प्रश्न संख्या १८३६

प्रश्न संख्या १८३६

पंचायत बोर्ड, बड़ी सादड़ी के चुनाव शीघ्र करवाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि पंचायत बोर्ड बड़ी सादड़ी के चुनाव को चार वर्ष से ज्यादा का समय हो गया ?

(ख) क्या सरकार नगरपालिका के चुनाव तक इसी ग्राम पंचायत को बनाये रखना चाहती है ?

(ग) क्या यह सच है कि दो दफे चुनाव होते होते आगे बढ़ाया गया ?

(घ) नगरपालिका का चुनाव कब तक हो जाने की आशा है ?

(ङ) क्या सरकार नगरपालिका के चुनाव नहीं हो जाने तक दूसरा नया पंचायत का चुनाव शीघ्र कराने का आदेश देगी, का ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क.) हां।

(ख) नहीं। इस पंचायत का चुनाव करवाने का आदेश दिया जा चुका है।

[श्री रामकरण जोशी]

(ग) पहले १२-८-५४ को चुनाव करवाने का आदेश दिया गया परन्तु चुनाव अधिकारी इस दिनांक को निर्वाचन न करवा सके। अतः अब २८-६-५४ निर्वाचन की तिथि निश्चित की गई है।

(घ) नगरपालिका स्थापित करने के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गई, उन पर विचार हो रहा है। कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर सरकार अन्तिम निर्णय करेगी।

(ङ) इसका उत्तर प्रश्न (ग) के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री जगतसिंह झाला—चुनाव नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—निर्वाचन अधिकारी ने वहां उस दिन पहुँचने में अपनी असमर्थता प्रकट की, इसलिए दूसरी तारीख २८-६-५४ नियुक्त की गई है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा— चुनाव अधिकारी असमर्थ थे तो वे ऐसा क्या कर रहे थे ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो उनसे पूछने पर मालूम होगा कि वे क्या कर रहे थे। उस दिन उनको जरूरी काम था इसलिये रुक गये थे। वे निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर स्वतन्त्र होते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह अफसर सरकार के मातहत होते हैं या स्वतन्त्र ?

श्री रामकरण जोशी—निर्वाचन के काम में सरकारी आदेश नहीं चलते हैं। वे उस काम में स्वतन्त्र होते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या वे जो स्वतन्त्र होते हैं तो टाइम पर पहुँचना या नहीं पहुँचना भी उनकी मर्जी पर होता है।

श्री रामकरण जोशी—नहीं, यह भी पब्लिक ड्यूटी है, इसलिए वे निश्चित समय पर जाते हैं। कोई अनिवार्य कारण होने से रुक जाते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—रुक जाते हैं तो क्या उनके रुकने का कारण बतलाने की जरूरत है या जब चाहें तब रुक सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जब चाहें तब तो नहीं रुक सकते है। वहां के निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार थे। किसी जरूरी काम से रुक गये। वे नहीं पहुँच सके और दूसरी तारीख रखी गई है। जो कारण बताया, वह जरूरी था।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—उस तारीख को जो उन्होंने काम बताया था तो सरकार उसको किस तरह से जरूरी समझती है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि तहसीलदार तो वहां मौजूद थे, लेकिन पंचायत बोर्ड के अधिकारी नहीं आये थे ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायत के अधिकारियों का पहुँचना जरूरी नहीं है, निर्वाचन अधिकारी का पहुँचना जरूरी है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि वहां पर पंचायत के ऑफिसर नहीं पहुँचे इसलिए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई, ऐसा उन्होंने कहा था ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई बात नहीं है। तहसीलदार निर्वाचन अधिकारी हैं, करवा सकते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जब वहां पर वे मौजूद थे, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो फिर चुनाव नहीं करवाने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—इतने डिटेल में तो मैंने जवाब नहीं पूछा है। उनकी तरफ से यह लिखा हुआ आया कि किसी जरूरी कारण से वे उस दिन चुनाव नहीं करवा सके, इसलिये दूसरी तारीख रखने की इजाजत दी जाय और वह २८-९-५५ को नियुक्त की गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य ने कहा कि वे वहां पर मौजूद थे और चुनाव नहीं करवा सके तो क्यों नहीं करवा सके ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—उन्होंने अपना जवाब दिया है कि वे उस दिन चुनाव नहीं करवा सके किसी अनिवार्य कारण से। अगर उन्हें इससे संतोष नहीं है तो माननीय सदस्य अलग से शिकायत लिख कर दें तो उनसे जवाब तलब किया जा सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उनका जवाब सदन के सामने रखा जायगा ? जब वह वहां मौजूद होते हैं तो फिर क्या अनिवार्य कारण था ?

श्री रामकरण जोशी—सदन के सामने दूसरी बार जवाब पूछियेगा तो आपको संतुष्ट कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

प्रश्न संख्या १८४२

गंगापुर कस्बे की गोचर भूमि

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल —क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर कस्बे के लिए गोचर भूमि बड़ी उदेई गांव के हार में दी हुई है वह कौन कौन से नम्बर की है और कितने कितने बीघा है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष फिर उस भाग के कुछ हिस्से में कुछ व्यक्तियों द्वारा काश्त कर ली गई है ?

(ग) इन व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

[घ) राजकर्मचारी, पटवारी व तहसीलदार क्या इस प्रकार की अनियमितता करने वालों को सहयोग देने के दोषी हैं ?

श्री अध्यक्ष—गोचर भूमि गंगापुर के बारे में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इस संबन्ध में कुछ शिकायतें अलग अलग तरह की वहां से आती रही हैं । उनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है । उनकी जानकारी प्राप्त होने पर उनका उत्तर दूंगा ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—कुल कितनी शिकायतों पर जांच आवश्यक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी बात नहीं है । जांच एक शिकायत पर भी हो सकती है और कई बार, कई शिकायतें आने पर भी नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द ।

प्रश्न संख्या १८४६

वजीरपुर में अगले वर्ष हाई स्कूल खोलना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री रिद्धिचन्द पालीवाल]

इस वर्ष हाई स्कूल कक्षायें राजस्थान में कहां कहां खोली गई हैं? क्या सरकार वजीरपुर (तहसीलगंगापुर) में आगामी वर्ष हाई स्कूल कक्षाएं खोलने को तैयार है जब कि वहां का तहसील भवन इस कार्य के लिए प्राप्त हो सकता है?

श्री भोलानाथ—प्रथम भाग का उत्तर तारीख १४-३-५४ को वाइड क्वेश्चन नं० १७७१ दिया जा चुका है। दूसरे भाग के सम्बन्ध में इस समय केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अन्य हाई स्कूलों की मांगों के साथ इस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री अंगदराम शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री रामरतन टिक्कीवाल।

(अनुपस्थित)

Finished.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १६५३

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजनेस। कौनसी क्लॉज़; ११६ लेंगे या ११२?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—क्लॉज़ १२३।

श्री अध्यक्ष—Clause 123 Shri Kapil Deo had already moved his amedment.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, गत शुक्रवार को मैं बोल रहा था, उसी बीच में हाउस एडजोर्न हो गया था। मुझे आज बोलने की...

(श्री सचिव और श्री अध्यक्ष की बातचीत के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १२३ में बोल रहा था कि इस क्लॉज़ के अन्तर्गत यह रूल रखा गया है कि किसान अगर लगान नहीं दे तो उसको बेदखल किया जा सकता है, और उस किसान को अपने खेत से बेदखल करने का क्या तरीका है, तहसीलदार किस तरह से नोटिस देकर खेत से उसको बेदखल कर सकता है, वह एक तरीका दिया गया है। मैं जब बोल रहा था उस समय उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने जो कि भरतपुर जिले से आये हैं एक एतराज उठाया था और कहा था कि ११९ ए जब पास कर दिया गया है और यह मन्जूर कर लिया गया है प्रिन्सीपली कि किसान को बेदखल किया जा सकता है "on the ground of arrear of rent" १२३ के जरिये गुन्जाइश रहती है। माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये मैं हाउस के प्रत्येक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रिन्सीपली इसको हम गलत मानते हैं कि किसान को एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिए, लगान बाकी रह गया है इसलिए बेदखल किया जायगा। अगर यह माना गया तो मैं कहूंगा कि यह पूरा का पूरा कानून कतई प्रगतिशील नहीं रहेगा। लेकिन जिस हक के लिए किसान पीढ़ियों से लड़ा है, १२००साल के बाद उसको हक मिला है कि वह खातेदार टिनेन्ट बन सकता है,On payment of Compensation पीढ़ियों के बाद जिस किसान को खातेदारी राइट्स मिले हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रोप्राइटरी राइट्स कुछ हद तक। कुछ हालत में उस दृष्टिकोण से कोई खुल्लम खुल्ला मानना चाहे कि लैंड के अन्दर प्रोप्राइटरी राइटस दिया गया है या नहीं, मैं यह तो कह सकता हूं कि जब कि एक टिनेन्ट को अपनी जमीन को बेचने का अधिकार दिया गया है, उसको जमीन मोर्टगेज करने का अधिकार दिया गया है तो वह उस जमीन का मालिक है, प्रोप्राइटर है और उसको उस जमीन से कॉस्टीट्यूशन के मातहत कोई बेदखल नहीं कर सकता है, जब तक कि उसको कम्पेन्सेशन पूर्णतया नहीं दिया जाय। क्लॉज़ ११९ ए किस तरह से पास हुआ है ? मैंने उस दिन कहा था कि इस क्लॉज़ को चुपचाप पास कर लिया गया है, वह बहुत हद तक सही है। जब हम कानून बनाते हैं तो इस नीति को अपनाना चाहिए कि उस क्लॉज़ को पब्लिक ओपीनियन के लिये दिया जाय। ११९ ए मूल कानून के अन्दर नहीं था और उससे पहले जो कानून था उसके अन्दर नहीं था।

अचानक ११९ ए नया क्लॉज़ खड़ा हो गया। उसको सर्क्युलेट नहीं किया गया, किसी की राय नहीं ली गई और क्लॉज़ पास कर दिया गया; जिसके अनुसार किसानों को बेदखल कर दिया जा सकता है, यदि वे दो साल तक लगान नहीं जमा करावें। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों से, हाउस से और खासकर टिनेन्सी बिल को पायलोट करने वालों से निवेदन करूंगा कि आप गलती करेंगे, यदि आप किसानों को २ साल लगान नहीं देने की हालत में बेदखल कर देंगे; इसलिये इस पूरे के पूरे चेप्टर को हटा देना चाहिये। मैं क्लॉज़ ११९ ए. का घोर विरोध करता हूं, क्योंकि न तो यह क्लॉज़ पब्लिक के सामने आया जिसका कि विरोध किया जाता और न इसको सर्क्यूलेट किया गया। मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। प्रोप्राइटरी राइट के बाद किसी भी किसान को आप किसी भी हालत में बेदखल नहीं कर सकते। एक साल तो क्या दस साल तक लगान नहीं दे तो भी बेदखल नहीं कर सकते। अरबन एरिया में म्युनिसिपेलिटीज़ द्वारा हाउस टेक्स लगाया जाता है। अगर कोई हाउस टेक्स लगातार नहीं दे तो आप उस आदमी को मकान से निकाल नहीं सकते। प्रत्येक आदमी को अपने मकान में रहने का

[श्री मोतीलाल चौधरी]

पूरा राइट है। जब तक उस मकान की पूरी कीमत नहीं दे देते आप उस आदमी को उसके मकान से बेदखल नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही बड़े से बड़ा कानून क्यों न लगा दें। जब तक उस जमीन के मालिक को जो शहर में रहता है आप पूरी कीमत दे नहीं देते तब तक आप उसका कुछ नहीं कर सकते, चाहे उस आदमी को उस जमीन का पट्टा भी नहीं दिया हो। जब कि आप शहर में रहने वालों की जमीन, जो कि बगैर पट्टेशुदा होने पर भी किसी के कब्जे में है, तो बिना पूरा कंपेनशेसन दिये आप उससे नहीं ले सकते; तो ऐसी हालत में गावों में रहनेवालों को खेत से कैसे बेदखल कर सकते हैं! मैं हाउस से अर्ज करूंगा कि ऐसा सभी मानते हैं कि देश की उन्नति खेती से होती है और खेती गांवों में रहनेवाले किसान ही अधिकतर करते हैं। खेती की जमीन पर उन लोगों को प्रोप्राइटरी राइट्स दिये हैं, उनसे बिना कारण सिर्फ एरियर ऑफ रेन्ट दो साल का रहने की सूरत में उनको इजेक्ट कर देंगे तो हो सकता है कि इससे एक नया विद्रोह उठ खड़ा हो, इससे नया वातावरण पैदा हो सकता है। शहरों में जिनके पास पट्टा भी नहीं है उनको कंपेन्सेशन पाने का अधिकार है तो गांवों में जिनके पास पीढ़ियों से जमीन है और जिनको प्रोप्राइटरी राइट्स मिले हैं और जो शिकमी काश्तकार थे उनको खातेदारी राइट प्राप्त करने के लिये २०-२० गुना कंपेन्सेशन देना पड़ा है और बाद में उनको प्रोप्राइटरी राइट मिला है या खातेदार बनते हैं तो उनको २ साल का एरियर नहीं देने की हालत में बेदखल करने का प्रोविजन आपने रखा है वह कांस्टीट्यूशन के भी विरूद्ध है। मैं कहूंगा कि ऐसी धारा रहेगी तो मुमकिन है कि किसान विद्रोह करें। शहर के रहने वाले के लिये तो आपने पूरा कंपेन्सेशन पाने का हक दिया है तो गांवों में रहनेवालों के लिये आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं। राजस्थान में १ करोड़ ५५ लाख जनता रहती है जिनमें से २० लाख लोग शहरों में रहते हैं और बाकी १ करोड़ ३५ लाख लोग गांवों में रहते हैं, उनमें से १ करोड़ २० लाख लोग किसान हैं। उन किसानों का प्रोप्राइटरी राइट नहीं मानते हैं और शहरवालों का मानते हैं तो आप किसानों की अवहेलना करते हैं और आप किसानों को कुचलना चाहते हैं। राजस्थान में कहानियां है, जिनसे पता चलता है कि यहां पर किसानों को किस तरह से कुचला गया है। हम यह सोचते थे कि राजस्थान में जागीरें समाप्त होने के बाद किसानों को माथा ऊंचा करने का मौका मिलेगा लेकिन मालूम होता है कि आप उन गांवों में रहनेवाले किसानों को जमीन का हक नहीं देना चाहते। विधान के अनुसार आप उनके हक को रोक नहीं सकते। उनके पास आज रुपया नहीं है, आप से लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है, हाई कोर्ट में जाकर आपके कानून को चैलेंज़ करने की ताकत नहीं है, वे अनपढ़ हैं इसलिये आपके इस एक्ट को चेलेंज़ नहीं कर सकते। इसलिये आप यह सेक्शन ११६ ए. चुपचाप लाये हैं। यह आपने उन किसानों के साथ विश्वासघात किया जो अनपढ़ हैं। सेक्शन ११६ ए. पहले कानून में नहीं था, इसका पता भी नहीं था, वह पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं आया, हाउस में इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। आप जिस कानून के द्वारा राजस्थान में किसानों का ढांचा बदलना चाहते हैं उन पर कुठाराघात करने के लिए आप इसे चुपचाप ले आये। इसका असर राजस्थान की १ करोड़ २० लाख जनता पर पड़ेगा। इसको चुपचाप पास करना मैं विश्वासघात करने के अलावा कुछ नहीं समझता।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

माननीय अध्यक्ष, मैं अपील करूंगा जागीरदार भाइयों से कि उनके दिमाग से बेदखली की बात.......

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will confine himself to the scope of the discussion on the present clause and not indulge in a general discussion. This is not a public platform.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, जो प्रिन्सिपल इस क्लॉज़ में माना गया है एरियर ऑफ रेन्ट में उसी पर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—No. no, The Hon'ble Member is concerned only with the scope of the amendment.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—On a matter of personal explanation, Sir. अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जागीरदारों को दिमाग साफ रखना चाहिये। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि हमारा दिमाग तो बिल्कुल साफ है लेकिन माननीय सदस्य के दिमाग में हौवा बैठ गया है, उसको ठीक करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I think if the Hon'ble Member would not have spoken, it would have been better.

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं कुंवर साहब को जागीरदार मानता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will not speak on persons. Come to the point.

श्री मोतीलाल चौधरी—जिनको आपत्ति है उनसे नहीं कहूँगा। जागीरें खत्म होने के बाद वे भी किसान हो जायेंगे। उनका हक भी किसानों के हक के साथ सम्बन्धित है। वे पहले जागीरदार थे लेकिन जागीरें खत्म होने के बाद अब तो वे भी किसान हैं। किसानों की दृष्टिकोण से यह क्लॉज़ खराब है। अनपढ़ किसानों पर जिस तरह से यह इफेक्ट करेगा उसी तरह से आपकी भी इफेक्ट करेगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं। मैं फिर हाउस से निवेदन करूंगा कि आप कड़े से कड़ा कानून लगा दीजिये, रेन्ट रीअलाइज करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप उनके माल को अटेच कर सकते हैं। आप उनके घर और खेती के अलावा जो प्रोपर्टी है उसको अटेच कर सकते हैं। आप उनको खुद को सिविल जेल भेज सकते हैं। आप यह भी कर सकते हैं कि जो समय पर लगान नहीं देंगे उनको डेढ़ा लगान देना पड़ेगा। लेकिन आप उनको

[श्री मोतीलाल चौधरी]

जमीन से मत निकालिये। जिस जमीन के द्वारा एक किसान जिन्दा रहता है उसको यदि आप उस जमीन से बेदखल करेंगे तो वह क्या खायगा और अपने बाल बच्चों को क्या खिलायगा ? यदि आप समाज के इकोनोमिक स्ट्रक्चर को ऊंचा करना चाहते हैं तो वह जमीन के द्वारा ही हो सकता है। आज तक किसानों के सर पर जागीरदारों की तलवार लटकी हुई थी। उनके डर से लोग खेती पर उन्नति नहीं कर पाते थे। आज जब उनको प्रोप्राइटरी राइट मिले हैं और वे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस क्लॉज़ को लागू करने के बाद उनको डर रहेगा कि कहीं उनका इजेक्टमेंट नहीं हो जाय। इस तलवार के रहते हुए वे खेती का डेवलेप्मेंट करने से डरेंगे।

इसमें इन्वेस्टमेंट करने में वह डरेगा, ज्यादा रुपया लगाने में वह डरेगा। अगर कोई कहे कि लगान के पैसे किसान के पास मिल सकते हैं, तो यह गलत है। किसानों की वास्तविक कन्डीशन यह है कि उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं मिलता। क्या हुआ १०० में से सिर्फ १० की हालत कुछ ठीक होती है। हर वास्तविक बात यह है कि किसानों की आम इकोनोमिक कन्डीशन्स अच्छी नहीं है।

अगर हम यह मानते हैं कि किसानों को प्रोप्राइटरी राइट्स देने पड़ेंगे तो उनके इस हक को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आप उन पर कड़े से कड़ा कानून लगाइये, पर उसे उस जमीन से निकालिये मत। अगर कोई व्यापारी इन्कम टैक्स, सेल्सटैक्स नहीं देता तो उसकी आप लिबरटी ऑफ बिजनेस नहीं छीनते, जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दिये बगैर उनकी जागीर को जब्त नहीं कर सकते, विधान के अनुसार आप बिना कम्पेन्सेशन दिये उसे हटा नहीं सकते। तो इसी तरह से जो खातेदार टिनेन्ट बन गया है उसका उस जमीन पर प्रोपर्टी राइट हो गया है और अगर उसे हटाते हैं तो उसको भी उसी तरह से कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये, नहीं तो वह सब इल्लीगल हो जायगा।

मैं तो यह भी कहूँगा कि जो रेंट आप लेते हैं वह भी इकोनोमिकल है या नहीं, इस पर सोचना चाहिये। एक किसान के पास २५ बीघा जमीन है। उससे उस जमीन का रेंट लेना भी चाहिये या नहीं, रेंट लेना उचित भी है या नहीं? एक समय आयेगा जब देखना पड़ेगा कि किसान के इतनी इन्कम होती है और यह सब देखकर टेक्स लगाना पडेगा।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will not repeat the same arguments.

श्री मोतीलाल चौधरी—तो माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इजेक्टमेंट का पूरा चेप्टर जो है इस पर फिर से विचार किया जाय और इसे हटा दिया जाय। आप कड़ी से कड़ी पीनाल्टी रख दें पर उसे जमीन से नहीं हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष—On clause 123 there is another amendment. I think this has been circulated from the office. Amendment to be moved by Shri Nathuram Mirdha. We have received it only yesterday,

श्री चांदमल मेहता—It has not been circulated,

श्री अध्यक्ष—May be.

श्री नाथूराम मिर्धा—(a) will not be moved because that has been moved by Shri Kapildeo. Part (a) (i) of amendment No. 396 is the same as moved by Shri Kapildeo. So I shall not move the first part of my amendmont.

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२३ टिनेन्सी बिल का, एक प्रोसीजर इस बात का तय करता है कि अगर एक किसान ने उस जमीन का लगान नहीं दिया है जिस जमीन वह बोता है तो उसको एक नोटिस दिया जायगा और उसके जरिये उसको बताया जायगा कि या तो लगान जो बाकी है वह अदा करो और यदि वह अदा नहीं किया तो इसके लिये उस जमीन से तुम्हें बेदखल कर दिया जायगा। इस क्लॉज़ में अमेंडमेंट मूव करना है वह इस प्रकार है :—

"For the words '30 days of the service of' substitute the words' ch time as may be specified in'"

मैं इस अमेंडमेंट को मूव करना नहीं चाहता क्योंकि इसका जिस तरह क अभी अमेंडमेंट होगा उससे ठीक तरह का डिस्क्रिशन तहसीलदार को मिल जायगा। आज ३० दिन के लिये हैं और कल अमेंडमेंट के बाद ३० दिन को घटा कर ७ दिन का भी हो सकता है। इसलिये इस संशोधन को मैं पेश करना नहीं चाहता।

दूसरा जो संशोधन मेरा इस क्लॉज़ में है वह.. ...

श्री अध्यक्ष—यह भी मूव कर दीजिये। Shri Kapildeo does not want to move his amendment.

श्री नाथूराम मिर्धा—इसीलिये मैंने कहा, जैसा कि रखने के लिये कहा था। इसका सुझाव भी मैंने पेश कर दिया। इसका जो प्रोविज़ो है उसमें मेरा यह संशोधन है कि प्रोविजन के पहले :

"Omit the words 'of the notice or' in the proviso." अभी जो प्रोविज़ो है वह इस प्रकार है :

"Provided that no notice shall be issued under this section for the Payment of an arrear which on the date of the notice or of the application therefor has been outstanding for more than three years."

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इसके लिये जो शब्द प्रोविज़ो में हैं: 'of the notice or' यह शब्द हटाने के लिये कहा है। इन शब्दों को हटाने से माननीय अध्यक्ष, मेरी मंशा यह है कि इस प्रोविज़ो के जरिये हम ३ साल की जो मयाद लगाना चाहते हैं कि अगर लगान किसी लैंड होल्डर का ३ साल से ज्यादा आउट-स्टेन्डिंग हो तो बकाया ३ साल से ज्यादा का वसूल नहीं किया जायगा। तीन साल के बाद का लगान जो है उसे आउट स्टेन्डिंग शुमार नहीं किया जा सकेगा, यह कानून में है। पर इस वक्त जैसे कि इस प्रोविज़ो में शब्द हैं: 'of the notice or' इसमें इसी प्रकार रहते हैं तो इसका और अर्थ होगा। जो नोटिस इसमें होगा वह सिर्फ नोटिस के लिये नहीं लागू है, बल्कि एप्लीकेशन के लिये लागू है; वह एप्लीकेशन के ज़रिये लागू होगा। इससे यह साफ अर्थ निकल जाता है कि लैंड होल्डर की बकाया लगान की दरख्वास्त पर ३ साल से अधिक का लगान वसूल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वह लिमिटेशन के ऊपर होता है।

इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष, मेरा दूसरा संशोधन इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२) के बारे में है। सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है:

"A notice issued under this section, shall, in addition to the particulars specified in sub-section (1) of section 122A, specify the instalments of rent payable by the tenant for the holding in future, and shall state that he would be liable to ejectment from the holding in default of his paying the arrears."

इस क्लॉज़ को हटा कर मैंने, माननीय अध्यक्ष, यह संशोधन रखा है:

"A notice issued under this section shall state that the tenant would be liable to ejectment from the holding in default of his paying the arrears."

सिर्फ इतनी ही बात इस प्रोसीज़र में रखी है, इसमें दूसरी बात जो थी वह हटा दी है। एक तो यह कि क्लॉज़ १२२ के तहत जो बातें नोटिस इश्यू करते समय स्पेसिफाइ करनी हों वे नहीं रहनी चाहिये। इसीलिये हटा दी हैं कि नोटिस इश्यू करने की जो बात है वह क्लॉज़ १२२ ए. में लिखी हुई है:

"Every notice to be issued to a tenant shall contain under this chapter shall contain the following particulars." यह बात तो साफ कर दी गई थी इसलिये इस चीज़

[श्री नाथूराम मिर्धा]

का यहां रहना जरूरी नहीं है । इसके बाद दूसरी बात 'specify the intalments of rents payable by the tenant'; पहली मरतबा नोटिस किसान के पास जाता है उसमें इन्सटालमेंट की बात की जरूरत नहीं है । जब उसके पास नोटिस आता है और नोटिस के जरिये वह अदालत में आकर यह कहे कि उसके अन्दर एरियर ऑफ रेन्ट बाकी है तब इन्सटालमेंट की बात होती है । अगर उसके अन्दर कोई रकम बकाया नहीं हो तो इन्सटालमेंट की बात ही नहीं रहती । इसलिये पहले इन्सटालमेंट लिखने की जरूरत नहीं है । पहला एक नोटिस उसके पास जावेगा, उसमें यह लिखा रहेगा कि इतना लगान बाकी है । वह आकर यह कहेगा कि कोई लगान बाकी नहीं है या है । अगर वह मंजूर करता है कि उसको देना है तो दूसरा नोटिस देने की बात पैदा होती है । इसीलिये माननीय अध्यक्ष मैंने मौजूदा क्लॉज़ २ को हटाने के लिये कहा है । एक सीधा क्लॉज़ रहेगा और उसको नोटिस दिया जावेगा कि अगर वह लगान नहीं देगा तो उसको बेदखल कर दिया जावेगा । यह बात इस सब क्लॉज़ (२) में रखी गई है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी श्री मिर्धाजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसके मुतल्लिक मुझे यह निवेदन करना है कि यह सब क्लॉज़ (१) में ३० दिन की जो अवधि दी गई उसको हटाना चाहते हैं । मेरी समझ में नहीं आया कि इसको हटाने से क्या नतीजा निकलेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, मैं हटाना नहीं चाहता । मैंने पहले अमेंडमेंट मे "स्पेसिफाइड" लिखा था । ३० दिन का रेस्ट्रिक्शन रखने के बजाय "such time as may be specified" रखने से इसका यह भी अर्थ निकल सकता है कि ३० दिन से भी कम का नोटिस तहसीलदार दे सकता है । इसलिये मैंने अपना वह अमेंडमेंट मूव नहीं किया और यह बात रखी है कि ३० दिन रहने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—Now is it clear ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—So the amendment to Sub clause (1) has not been moved, and neither Mr. Kapildeo intends to move but if the Hon'ble member wants to give a speech I can give time. But does the Hon'ble Member intend to move ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह तो आवश्यक है "Whenever the rent for a longer period..."

("Word 'a' was not printed" की एक आवाज)

श्री अध्यक्ष—यह तो क्लेरिकल है, we will correct it.

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १२३ इस संबन्ध में है कि यदि कोई किसान दो वर्ष तक लगान नहीं दे सके तो उसको बाद में नोटिस दिया जावेगा कि वह अपना रेन्ट अदा करे और नोटिस देने के बाद रेन्ट अदा नहीं करने पर उसको जमीन से बेदखल कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष, किसानों को जमीन के संबन्ध में इस एक्ट में कई हक दिये गये हैं। जो किसान काश्त करता है उसको इस एक्ट के साथ ही खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं और उसके बाद में जो Sub-tenant या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हैं उनको खातेदारी राइट्स एक्वायर करने की व्यवस्था होती है ; यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई सब टिनेन्ट अपने होल्डिंग से बेदखल न हो सके।। लेकिन यह धारा ऐसी है जिसके माफिक किसान को अपनी जमीन से इजेक्ट होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों की स्थिति बहुत ही सोचनीय है और वह स्थिति उन लोगों की इस वजह से है कि राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ता रहता है और हर दो तीनसाल के बाद अकाल पड़ जाता है और जब भी अकाल पड़ता है तो किसान को अपनी जमीन को छोड़ कर और मवेशियों को लेकर बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन काश्तकारों पर दो वर्ष के लगान का बोझ बहुत बड़ा भार बन जाता है। मवेशियों को बाहर ले जाने और पैदा नहीं होने से वे लगान नहीं दे सकते और इस प्रकार राजस्थान के किसानों की स्थिति बहुत ही सोचनीय हो जाती है। इसी वजह से कई दफा ऐसा अवसर आता है कि वे अपनी जमीन में पूरी तरह से खाद नहीं डाल सकते। कई बार ऐसा मौका होता है कि वे अपने खेत को साफ नहीं कर सकते, उनके बैल बैठ जाते हैं। हो सकता है कि बैल बैठ जाने के कारण उसको हायर्ड लेबर से काम लेना पड़े और उसके पास अर्थ के अभाव में हायर्ड लेबर नहीं हासिल कर सकता। कई मौके होते हैं जिससे बहुत कम पैदा होती है। ऐसी स्थिति में उनको कोई छूट तो मिलती नहीं, न कोई मौका आता है। छूट तो उन्हें अगर कोई अकाल हो गया या कोई दूसरी केलेमिटी हो गई तो मिलती है। वरना किसान अगर अपना रेन्ट अदा नहीं कर सकता तो उसको अपने खेत से इजेक्ट होना पड़ेगा। उसके पास जीवन निर्वाह करने के लिये वही एक जमीन का साधन है और अगर उसको जमीन से इजेक्ट होना पड़ता है तो उसके बाद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है कि वह अपनी जीवका पैदा कर सके। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह धारा जो इस बिल में है इस पर फिर से गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। वैसे तो नकदी लगान से पहले लगाई का सिस्टम था, उसमें कभी इस प्रकार का मौका नहीं मिलता था। अगर पैदा होती तो उसमें से हिस्सा ले लिया जाता था और अगर पैदा नहीं होती तो नहीं लिया जाता। मगर इस लगाई की अन्य बुराइयां को देखकर अब नकदी के रुप में लगान लिया जाने लगा। नकदी लगान में यह व्यवस्था होने की जरूरत है कि जो पैदा हो उसमें से किसान की मेहनत जो वह खेत में करता है, किसान का दूसरा खर्चा जो लगता है या खर्च पड़ता है उसको बाद देने के बाद जो उसकी बचत हो तो रेन्ट लिया जावे। इस तरह का

[श्री चांदमल मेहता]

व्यवस्था पुराने राजाओं के जमाने में थी कि काश्तकार को जो वह बीज आदि लगाता उसको बाद देने व उसकी लेबर को बाद देने के बाद लगान लिया जाता था। दूसरी जगह की बात तो मैं कह नहीं सकता लेकिन किशनगढ़ के बारे में तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस प्रकार की प्रथा थी। आज हम प्रगतिशील जमाने में आ रहे हैं और राजाओं के वक्त में जो बुराइयें थी उनको दूर कर रहे हैं। इस धारा के जरिये, जो सुविधाएं राजाओं ने दीं उससे भी हम पीछे हट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसानों से रेन्ट हासिल करने के सम्बन्ध में क्लॉज़ १२७ के सब क्लॉज़ के माफिक इन्सटालमेंट को व्यवस्था हो सकती है, उसके बाद में यह भी मौका आ सकता है कि दूसरी प्रोपरटी जो उसकी हो उससे लगान वसूल किया जा सकता है, जो कानून के माफिक है। इसका परिणाम यह होता है कि अगर इस तरह की धारा रखते हैं तो पहले किसान किश्तों में लगान अदा नहीं कर सकेगा तो उसके बाद में यह मौका आवेगा कि उसकी दूसरी प्रोपर्टी से वह लगान वसूल किया जावेगा और उसकी दूसरी प्रोपर्टी को भी समाप्त कर दिया जावेगा और इजेक्टमेंट का भी मौका आ जावेगा। मैं यह कहूँगा कि इस तरह से किसान बरबाद हो जावेगा। उसको बनाने के लिये यह जरूरी होता है कि दूसरी प्रोपरटी से लगान वसूल किया जावे और उसे बेदखल किया जावे। जब इस प्रकार का मौका आवे कि उसकी जमीन इजेक्ट हो रही है तो उसकी जो प्रोपर्टी है उसकी जितनी रकम मिलनी चाहिये नहीं मिलेगी। कम कीमत मिलेगी और इससे भी बहुत नुकसान होगा।

जो दूसरे काम धन्धे करते हैं उनके लिए तो कुछ ऐसी व्यवस्थायें है जिनके जरिये से वे अपनी पूंजी को बचा सकते हैं और उसके जरीये से जीवन निर्वाह के साधन जुटा सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ब्योपारी को ले लीजिये। यदि उसको कोई बडा नुकसान हो जाता है तो भी वह रास्ता निकाल लेता है, पोपर्टी को दूसरे आदमी के नाम ट्रान्स्फर करके इन्सोलवेन्ट बन जाता है और आगे के लिए साधन बना लेता है कमाई के। लेकिन जब किसान को रेंन्ट देने की स्थिति आती है, उसकी सारी प्रोपर्टी तो खत्म हो जाती है और उसके बाद भी जमीन नहीं बची रहती है वह भी इस प्रकार चली जाती है। तो अध्यक्ष महोदय, इस धारा को डिलीट करने के बारे में यानि रेन्ट नहीं देने की स्थिति में जमीन से किसानों को इजेक्ट किया जाता है, जो संशोधन माननीय सदस्य जो परबतसर डीडवाना से आये हैं उन्होंने रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। राजस्थान की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की धारा को पास करना आवश्यक तो नहीं है। जहां सिंचाई के साधन ठीक हो वहां यह हो सकता है, किन्तु यहां की स्थिति को देखते हुए इसमें तब्दीली की जाय।

कुं श्री जसवन्त सिंह—माननीय अध्यक्षजी, में उस समय पूरा नहीं बोलने पाया था। मैं प्रोवीजो वगैरह के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—और सोच लीजिये कहीं बाकी न रह जाय ? Wait for some time more so that all other members may first speak or if you want to speak just now you may do so

कु० श्री जसवन्तसिंह—I want elucidation.

मुझे सिर्फ एक दो बातों को ही साफ कराना है इसलिए मैं जानना चाहूँगा उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि यह अमेन्डमेंट रखा है कि इन्स्टालमेंन्ट का सब्जेक्ट मेटर यहां सब क्लॉज़ (२) से हटा दिया जाय। उन्होंने भाषण में फरमाया था कि टिनेन्ट तहसीलदार के सामने आयगा, वह तय करेगा और फाइनल नहीं करेगा। तो फिर स्टालमेंन्ट को किस तरह से प्रोवाइड किया गया है जिससे तहसीलदार इन्स्टालमेन्ट को फिक्स कर सके। जो अगले क्लाजेज़ १२४, १२५, १२६ रखे हैं उनमें इन्स्टालमेन्ट की तजवीज नहीं की गई है। तहसीलदार इन्स्टालमेंट फिक्स करेगा और यदि यहां से इन्स्टालमेंट का विषय हटा दिया जायगा तो फिर किस प्रोविजन के नीचे यह होगा ? यहां से हटाते हैं तो किस प्रोविजन के अन्तर्गत इसको रखेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—१२४ सब क्लॉज़ (४)।

कु० श्री जसवन्तसिंह—विधेयक के क्लॉज़ १२७ से यह कवर हो जाता है !

श्री कपिलदेव—"127 (4) (ii) allow payment into the court of such amount"...

कु० श्री जसवन्तसिंह—अगर इसमें से इन्स्टालमेन्ट्स निकालते हैं तो जो रीज़न्स दिये गये हैं वे मुझे साफ नहीं हुए हैं। उनके रीजन्स तो यह होने चाहिए थे कि चूंकि यह क्लॉज़ १२७ में आ गया है, इसलिए यहां इसकी आवश्यकता नहीं है । आपने जो रीज़न दिया था उसमें यह कहा था कि तहसीलदार खुद कर देगा। रीज़न्स में साफ करना चाहिए था कि यह सुपरफ्लुअस है यहां पर।

प्रोवीज़ो है उसमें ये वर्ड्स हटाये गये हैं (उद्धरण नहीं दिया गया) भाषण में फरमाया था कि इनको उडाने की जरूरत इसलिए पड गई है कि नोटिस सरकार नहीं देगी। ऐरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल कर लेते हैं तो फिर एप्लीकेशन की क्या जरूरत पड़ जायगी ? एप्लीकेशन लेन्ड होल्डर देगा और एप्लीकेशन देने के पश्चात् तहसीलदार नोटिस इश्यू करेगा। तो दोनों पोइन्ट्स इस तरह से हुए हैं कि एक लेन्ड होल्डर ने कदम उठाया, एप्लीकेशन दी लेन्ड होल्डर ने और उस एप्लीकेशन पर तहसीलदार ने नोटिस जारी किया। तो ये दोनों स्टेप कलेक्टेड हैं। एक स्टेप को आप छोड़ना चाहते हैं और एप्लीकेशन को रखना चाहते है। उसके लिए रीज़न्स दिये थे कि उसमें स्टेट शामिल है। चूंकि स्टेट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि नोटिस देने में जब स्टेट शामिल है तो उसमें भी आये।

श्री कपिलदेव—नोटिस देगा तहसीलदार।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—आप 'of the notice or' उड़ाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। मुमकिन है कि मैं गलती पर हाऊं। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले को साफ कर दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—बहुत संक्षेप में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय कुंवर साहब को यह मुगालता हुआ है कि लैंड होल्डर दो किस्म के हैं; एक सरकार की ओर से और दूसरे प्राइवेट इन्डीविजुअल्स को तरफ से। सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार, असिस्टेन्ट कलेक्टर, कलेक्टर वगैरह हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां तक सरकारी लगान बाकी होने का प्रश्न है उस बकाया लगान के बारे में टिनेन्ट को सूचना देना जरुरी हो जाता है कि तुम्हारे जिम्मे इतना लगान बाकी है इसलिए उसकी अदायगी क्लॉज़ १२३ के अन्तर्गत करो, वरना तुम्हारे खिलाफ दूसरा कदम उठाया जायगा। क्योंकि वह लैंड होल्डर है और एग्जीक्युटिव ऑफिसर और वाकियात के सम्बन्ध में कदम उठाता है, वह स्टेट हो ऐसी कोई जरूरत नहीं हैं। प्राइवेट इन्डीविज्युअल लैण्ड होल्डर है तो अपने एरीयुर्स के सम्बन्ध में मूव करना पड़ेगा तहसीलदार को। अपनी एप्लीकेशन में कहेगा कि ये तमाम फेक्ट्स हैं, इतना रेन्ट है, फलां टिनेन्ट देता नहीं है, इसलिए इसको क्लॉज़ १२३ के मातहत वसूल किया जाय या इजेक्टमेन्ट किया जाय या जो रेमेडी वाजिब है वह की जाय इसलिए प्राइवेट इन्डीविजुअल्स के बारे में तहसीलदार बिना एप्लीकेशन के किस प्रकार नोटिस देगा। उसके बाद देनदार अदायगी के सम्बन्ध में टाइम चाहेगा। तहसीलदार इंस्टालमेंट कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है और रेमेडी हो सकती है। इसलिए यह तो हुआ माननीय कुंवर साहब के सन्देह के बारे में।

कुछ माननीय मित्रों ने एरियर्स ऑफ रेन्ट के सम्बन्ध में इजेक्टमेन्ट को गलत बताया है। प्रिन्सिपली यह रास्ता ठीक नहीं है, हार्ड है और इन्इक्वीटेबल है और इससे काश्तकारों की बरबादी होती है। वास्तव में यह सही कदम है और काश्तकारों के सम्बन्ध में सारे के सारे क्लॉज़ेज़ को अगर मुलाहिज़ा फरमावें तो पता चलेगा कि हमने उनको बहुत रियायतें दी है, काफी हक़ूक दिये हैं। जहां तक जमीन का सवाल है वे उसको ट्रान्सफर कर सकते हैं, मोर्टगेज कर सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, उसको सबलेट कर सकते हैं और अगर साथ में प्रोपर्टी है तो उसको डिस्पोज़ ऑफ करके लगान अदा कर सकते हैं। लगान अदा करने के सिलसिले में सहूलियतें दी हुई हैं। एक व्यक्ति इतना हठी हो, गैर जिम्मेदार हो, लगान अदा नहीं कर सके, कई सालों का लगान चढ़ जाय तो कोई चारा नहीं रह जाता है कि उसको नोटिस नहीं दिया जाय। जिस जमीन का एवज़ाने के बतौर रेन्ट देना है, वह यदि नहीं अदा करता है और तमाम प्रोड्यूस वह लेता है तो उसके मुकाबले का नावाजिब इन्सान दुनिया में और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो जो एरियर्स ऑफ रेन्ट से संबंधित व्यक्ति हैं तो इस प्रकार के व्यक्ति को इजेक्ट करना चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिये मैं यह जानकारी चाहूँगा कि कानून लिमिटेशन गवर्नमेंट पर लागू होता है या नहीं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हां, लागू होता है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(जारी रखते हुए) मैंने तो यह समझ रखा था कि तीन साल तक रिअलाइज़ कर सकते हैं, सरकार पर कानूनन लिमिटेशन लागू नहीं है ।

Then I have got no objection.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, अगर हम क्लॉज़ १२३ को ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें लिखा है कि अगर सरकार का लगान बाकी है तो तहसीलदार खुद नोटिस देगा बगैर किसी दरख्वास्त के । अगर किसी लेण्ड होल्डर का लगान बाकी है तो वह दरख्वास्त तहसीलदार के पास भेजेगा और उस दरख्वास्त पर तहसीलदार नोटिस देगा । सवाल सिर्फ इतना था । माननीय मित्र ने जो तरमीम पेश की उसमें यह था :

"Provided that no notice shall be issued under this section for the payment of an arrear which on the date of the notice or of the application therefor has been outstanding for more than three years."

तो अगर ये शब्द यों के यों कायम रहें तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि सरकार का लगान ऑन दी डेट ऑफ नोटिस, तीन साल से ज्यादा का आउट स्टेन्डिंग है तो उसका नोटिस इश्यू नहीं किया जायगा । उस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लाई नहीं करता । लगान तीन साल पहले का बकाया है वह इन प्रोवीज़न्स के तहत वसूल किया जाना चाहिए; वसूल नहीं किया जा सकता । इससे कुछ गलत फहमी हो जाने की आशंका थी इसलिये यह प्रोविज़ो इसमें से कम कर दिया जाय :

"Provided that no notice shall be issued under this section for the payment of an arrear which on the date of the application..." Because the Government does not give any application. इसलिये गवर्नमेंट एप्लाई नहीं करेगी, प्राइवेट इन्डिवीज्युअल जो होंगे वे एप्लाई करेंगे । इससे मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो शंका उपस्थित की थी वह काफी स्पष्ट हो गई है ।

दूसरा सवाल यह था कि जिन माननीय सदस्यों ने इन्स्टालमेंट के बारे में तरमीम रखी थी, जिन माननीय सदस्यों ने उसमें आशंका प्रकट की थी, मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने इस क्लॉज़ को गौर से पढ़ने की कोशिश नहीं की है क्योंकि सब क्लॉज़ यह है :

"A notice issued under this section, shall, in addition to the particulars specified in sub-section (1) of section 122A, specify the instalments of rent payable by the tenant for the holding in future......"

तो इसका मतलब सिर्फ यह था कि जिसमें तीन साल का आउट स्टेन्डिंग रेन्ट का है । ऐसा लेन्ड होल्डर तहसीलदार के पास दरख्वास्त पेश करेगा कि मेरा इसमें तीन साल

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

का लगान बाकी है इसलिये उसको नोटिस दिया जाकर उसकी वसूली की कार्यवाही कर सके। जहां तहसीलदार एरियर्स ऑफ रेन्ट का नोटिस देता है वहां तहसीलदार के लिये क्लॉज़ १२३ के सब क्लॉज़ (२) में यह लाजिमी रखा गया है कि जब तक एरियर्स का तसफिया नहीं होता तब तक लगान उसका पेन्डिग जमा रहेगा। एरियर्स तय करते रहेंगे, मौजूदा लगान इन्स्टालमेन्ट के रूप में तय होते रहेंगे। जहां क्लॉज़ १२३ के सब क्लॉज़ में फ्युचर इन्स्टालमेन्ट के लिये फिक्स करने की बात है, क्योंकि इसमें बड़ा झगड़ा पड़ सकता है। मैं बांटे के रूप में नहीं देता, केश में लगान देता हूँ, और दूसरा कोई तिजारे में लगान देता है। फ्युचर इन्स्टालमेंट्स में किसी को विरोध होगा तो उन सब कॉम्पली-केशन्स के ऊपर कोर्ट फैसला देता है और डिक्री देता है तो उस कोर्ट की डिक्री आने पर ही उनको हटा दिया जायगा। यह तहसीलदार के अधिकार में दिया गया था।

"pending the decision of this ejectment application a notice for the arrears of rent..." ये अधिकार वाजिब नहीं समझे गये जिन माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है उनकी तरफ से। इसलिये ये शब्द हटाये गये :

"A notice issued under this section, shall, in addition to the particulars specified in sub-section (1) OF SECTION 122A, specify the instalments of rent payable by the tenant for the holding in future."

ये शब्द हटने पर खाली इतना रख दिया गया :

"A notice issued under this section shall state that the tenant would be liable to ejectment from the holding in default of his paying the arrears."

मैने जैसा कि अर्ज किया ये शब्द इसलिये हटा दिये गये क्योंकि ये तहसीलदार के लिये बहुत खराब साबित हो रहे हैं। जहां तहसीलदार को एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिए नोटिस मिला हो और एरियर्स ऑफ रेन्ट की दर्खास्त जेर तजवीज है; उससे पहले कि तहसीलदार तय करे कि तुम्हें २०० रुपये प्रति छठे महीने अदा करने होंगे तब तुम्हारा एरियर्स ऑफ रेन्ट का तसफिया होगा, इससे टिनेन्ट के लिये बड़ी मुसीबत होती रहेगी इसलिये माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है ताकि काश्तकारों को मुसीबत न हो। जहां तक माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिये काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाना चाहिये इस पर बहुत जोरदार शब्दों में उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से किसान गरीब है। इस तरह से करने में उनको बहुत नुक्सान पहुँच सकता है इजेक्टमेंट करने से। मैं यह अर्ज करता हूं कि यह सब बातें वास्तविकता से परे हैं। आप इजेक्टमेंट के चेप्टर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जबतक किसान बिल्कुल यह इरादा नहीं कर लें कि उसको जमीन छोडनी है तब तक वह किसी भी किस्म से बेदखल नहीं हो सकता। इन धाराओं को देखेंगे, जिसमें एक धारा यह है, दो साल तक लगान नहीं देवें, तीन साल तक लगान नहीं

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

देवें तो दो साल पहले के लिये नोटिस इश्यू नहीं होगा। उसके बाद नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद अगर वह कहता है कि मुझमें कुछ लगान भी बाकी नहीं तब तो वह स्यूट की तरह से ट्रीट होगा और उसकी तहकीकात शुरू होगी। किसान अगर यह कहता है कि मुझमें बाकी है लेकिन मेरी देने की स्थिति नहीं है तो तहसीलदार उसके लिये एक पीरियड मुकर्रर करेगा कि इस पीरियड में वह लगान दे देवे। अगर उस पीरियड में भी वह अदा नहीं करता है तो तहसीलदार उसकी जमीन को इजेक्ट करने का हुक्म देता है। अगर वह तहसीलदार से इजेक्ट नहीं हो पाता तो हुक्म देने के बाद वह एस. डी. ओ. के पास भेज देता है। फिर एस. डी. ओ क्या करेगा ?

"The S. D. O. may on the application of the tenant, extend the time for the payment of the decretal amount for a period not exceeding three months from the date of such order, or

allow payment into the court of such amount by instalments. specifying the time for the payment thereof": उसके बाद एस. डी. ओ जरूरत समझता है तो एस. डी. ओ उसको और टाइम दे देता है। अगर वह उस पीरियड में भी अदा नहीं करता है तो उसकी जायदाद आदि से वसूल करने की आज्ञा देता है। जब कोई सूरत नहीं देखता है लगान वसूल होने की तब वह लास्ट कोर्स के अन्दर उसको इजेक्ट करता है। यह आप देखेंगे क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ ५ में यह कहते हैं :

"Notwith standing anything in this section the teannt shall not be ejected for failure to pay any portion of his rent which has been remitted or suspended under the provisions of section 85."

जहां किसान के ऊपर मुसीबत आ गई है या कहीं फेमीन हो गया है या अतिवृष्टि होगई है या किन्हीं वजहों से लगान माफ कर दिया गया है, उस सूरत में वह बेदखल नहीं होगा। इतनी रियायतें देने के बाद में अगर किसान बेदखल न हो तो आखिर किस तरह से किसान से लगान वसूल कराया जा सकता है ?

दूसरा तरीका यह हो सकता है, किसान को बेदखल न किया जाकर लेन्ड होल्डर और गवर्नमेंट को यह छूट दे दी जाय। वह किसान से उसकी जायदाद से या हर किस्म से लगान वसूल कर सके। इसका तरीका यह हो सकता है कि किसान को बेदखल करने के बजाय जो सिविल कोर्ट में डिक्री एग्जीक्यूट होती है और जिस तरीके से वह वसूल होती है और वे तरीके ले लें तो इसका मतलब यह होगा कि एक किसान लगान न देने की सूरत में जेल जा सकता है, उसके बैल और हल कुर्क करके नीलाम किये जा सकते हैं, और खेत के उसके सभी साधन भी नीलाम किये जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत में कोई भी किसान बेदखल होना ज्यादा अच्छा समझेगा बजाय इसके कि अपने बैल और हल और यहां तक कि उसके पास जो भी कुछ हो उसको नीलाम किया जावे

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

क्योंकि वह यह सोच सकता है कि अगर ये चीजें उसकी कायम रहेंगी तो सम्भव है कि वह दूसरी जगह जाकर खेती कर सकता है, पर सब कुछ नीलाम हो चुकेगा और खेत कायम रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि इससे उसे क्या फायदा हो सकता है । तो इन सब बातों को सोचकर यह इक्विटेबल समझा गया था कि बेदखल होने का विरोधी मैं नहीं हूँ, पर यह नहीं हो कि किसी भी कारण से वह बेदखल हो जाय । यह तो लास्ट तरीका है कि अगर कोई तरीका नहीं मिल सके कि जिससे किसान लगान देने की स्थिति में है पर फिर भी वह न दे तो क्या किया जा सकता है ? तो मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं कि लास्ट रिपोर्ट में वह देख लिया जावे और कोई चारा नहीं बचता है, इसके सिवाय उन सब तरीकों को अपना लेने के बाद । तो जो प्रोविजन इसमें रक्खा गया है वह सही है । पर यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो भाषा प्रोविजन्स की है उससे इसका जो मतलब है इन क्लॉज़ों का वह इस भाषा से स्पष्ट नहीं होता है तो जैसे जैसे जो क्लॉज़ेज़ आवेंगे मैं अर्ज करूंगा । उनमें तरमीम की इस भाषा की दृष्टि से भी बहुत गुंजायश है और मेरे खयाल से मेरा यह संशोधन बहुत ठीक है और जैसी जैसी इन धाराओं की भावना है उसी मुताबिक उन प्रोवीजन को ठीक किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—जवाब दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष,...

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ कहना चाहता हूं इस पर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे बोलें या मैं बोलूं ।

श्री अध्यक्ष—आप बोलें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ १२३ पर काफी चर्चा आज भी हुई और उस रोज भी जब सदन की बैठक आज के लिये स्थगित हुई थी चर्चा की गई थी । मैं समझता हूं कि जो चर्चा हुई उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे इस क्लॉज़ से खयाल किया जाता है कि किसान के हित में इसका परिणाम निकले, उसी प्रकार के इन्टरप्रीटेशन करना सही नहीं है ।

ज्यादातर इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य की तरफ से यह बात कही गई कि इजेक्टमेंट किसी भी कन्डीशान में होना ही नहीं चाहिये और जिस तरह से दूसरी प्रोपर्टीज़ होती हैं उसी तरह किसान की जमीन को भी कन्सीडर किया जाना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक मेरा खयाल है दूसरी प्रोपर्टीज़ के सम्बन्ध में भी अगर सरकार का किसी में टैक्स बकाया है तो उस एक्सटेन्ट तक उसकी उस प्रोपर्टी को एटेच किया जा सकता है

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और किया जाता है और मुझे मालूम है कि ऐसे मामलों में ऐसा होता है। तो यह समझ कर चलना कि कोई प्रोपर्टी अटैच नहीं की जाती है या किसान को इजेक्ट नहीं किया जाना चाहिये तो वह धारणा तो इस आधार पर सही नहीं है।

अब रहा सवाल इजेक्टमेंट का। इसमें हमें यह देखना है कि हमने कहीं इस इजेक्टमेन्ट को बहुत ईज़ी (eesy) तो नहीं कर दिया है; इसके पहले हमें यह देखना है कि दूसरे सम्भावित उपायों को काम में लाने के बारे में हमने गुंजायश रखी है या नहीं? तो इस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं और इसमें जो क्लाजेज़ हम पास कर चुके हैं उनको देखने से यह ज्ञात होगा कि हमने इसमें बड़ी सेफगार्ड्स किसानों को दी हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि फेमीन राजस्थान में बहुत पड़ते हैं, इस कारण एरियर्स एकुम्युलेट हो सकते हैं और फिर किसान बेदखल हो जावे तो अध्यक्ष महोदय, अगर फेमीन है और स्केअरसिटी कन्डीशन्स हैं तो इनके बारे में तो रेमिशन और सस्पेन्शन्स के सरकार के नियम हैं और जहां जितनी आवश्यकता होती है उतनी सहूलियतें वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए दी जाती हैं। तो इस हालत में एरियर्स के एक्युम्युलेट होने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिये। पहले रेन्ट बहुत होता था, तब भी यह सम्भव था कि बहुत सी लाग-बागों और लगान को वजह से भी बहुत एरियर हो जाता होगा और वह देना पड़ता हो। कहीं १।३ था, कहीं हाफ और कहीं पर इससे भी ज्यादा था तो इस कारण से रेन्ट एरियर में पड़ सकता था। पर अब जो क्लॉजेज़ पास किये गये हैं उनके अनुसार रेन्ट को काफी हद तक फिक्स कर दिया गया है, कटैल कर दिया गया है और केश रेन्ट भी आम तौर से लागू कर दिया गया है। जब ये चीजें कर दी गई हैं कि रेन्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता है, उचित है उतना ही लिया जावेगा और पहिले जैसी लाग-बाग का भी अब कोई सवाल नहीं रह गया है तो उसके बाद में मैं नहीं समझता कि रेन्ट पे नहीं करने की कौनसी स्थिति हो सकती है?

एक-आध साल का हो भी सकता है। किसी साल किसी कारण विशेष से ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो तो इसमें भी गुंजाइश दी गई है कि एक साल, दो साल तक भी वह इसे चुका सकता है पर अगर दो साल तक रेन्ट पे नहीं करे बराबर, तो इन क्लॉजेज़ पर कार्यवाही शुरू होती है। दो साल तक लगातार अगर कोई लगान नहीं देता है, कि जो सस्पेन्शन और रेमिशन इन सारी चीजों की सहूलियतें देने के बाद भी जो बकाया रहता है, इसको भी अगर कोई पे नहीं करता है तो इस हालत में अगर हम इसमें यह चीज न रखें तो हमारी समझ में इस तरह और क्लॉजेज़ का भी दुरुपयोग हो सकता है।

जो क्लॉज़ १२७ का रेफ़रेन्स इसमें दिया गया उससे भी जाहिर होता है कि लगान नहीं देता है कोई तो तुरन्त ही कोई एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर पास नहीं होने वाला है।

Page No.57

[श्री मोहनलाल सुखडिया]

सबसे पहले अगर वह इन्कार करता है लगान पे करने से दो साल के बाद भी, तो बाकायदा मुकदमे के तौर पर मामला चलता है और एस. डी. ओ. वगैरह इन कारणों में जाकर देखेंगे कि उसने रेन्ट पे किस वजह से नहीं किया है, उसमें क्या कारण है और इन सबों में जाने के बाद इन्स्टालमेंट में पे करने की बात हो सकती है उसके कोर्ट से तो इससे भी लगान चुक सकता है। तो इसकी भी पहले कार्यवाही की जावेगी। और इन सारी चीजों के पूरा कर लेने के बाद कहीं यह प्रश्न पैदा होता है, तो जो रूल्स फ्रेम किये गए हैं जैसा कि १२७ क्लॉज़ में दिये गये हैं कि इस बिल के अनुसार जो रूल्स तय किये जावेंगे उनके अनुसार उसको इजेक्ट किया जावेगा। तो इसका कोई भी एक ईज़ी मैथड हो, उसे आसानी से हटा दिया जावेगा, ऐसी बात नहीं है। जितने प्रीकॉशन्स जरूरी हैं वे सारे इसमें लिये गये हैं।

लेकिन साथ साथ इस क्लॉज़ को रखना इसलिये भी मैं आवश्यक समझता हूं कि जान-बूझकर कोई अगर इस बात का प्रयत्न करे कि उससे नॉन पेमेन्ट जैसी स्थिति पैदा हो तो इसको भी मैं एन्करेज करना पसन्द नहीं करूंगा। हमें इस प्रकार की गुंजाइश सरकार को भी देनी चाहिये कि अगर कोई जान-बूझकर नॉन पेमेन्ट की नीयत से लगान न दे तो उससे वह वसूल कर सकें। हमें हर जगह लैंण्ड लॉर्ड और काश्तकार की कल्पना ही करके नहीं चलना चाहिये। आगे जाकर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वे जान-बूझकर लगान-बन्दी जैसी स्थिति पैंदा करें, तो ऐसी स्थिति जब पैदा होती हो तो गवर्नमेन्ट के लिए यह कहा जावे कि ऐसा कोई इजेक्टमेन्ट तो सम्भव ही नहीं है। उसके लिए तो मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं होगा।

और हमने भी जहां तक किसी का वाजिब हक होता है उसे मानने का पूरा प्रयत्न किया है और इस कानून में इसको पूरी गुंजाइश रहने की है। लेकिन कोई हमारे लिए ट्रेसपासर को सपोर्ट करने की बात करे और कहीं पर जान-बूझकर एरीयर लगान न दे तो उसके लिए न लेने की बात करें तो मैं समझता हूं कि वाजिब स्पिरिट की बात नहीं होगी और उचित चीज नहीं होगी। हमने इसमें हर इमर्जेन्सी के लिये गुंजाइश रक्खी है। हमने यहां तक गुंजाइश रखी है कि अगर कभी भावों के उतार चढ़ाव की वजह से लैण्ड रेवेन्यू के अन्दर भी परिवर्तन करने नौबत आवे तो वह परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो जब इस हद तक गुंजाइश दे दी गई है और तब भी अगर कोई लगान को जान-बूझ कर देना नहीं चाहता उसे तब भी टालना चाहता है तो इसके लिए कुछ रोक उस पर भी होना जरूरी है, इतना अंकुश तो उस पर भी मेरे खयाल रहना चाहिये, वरना किसान को हक है कि अगर वह वाकई लगान देना चाहता है तो पहले इसके कि हम उसकी प्रोपर्टी को अचैट करें बैल नीलाम करें व लगान अदा कर दें तो हम तो इसे ज्यादा ठीक समझते हैं। यह ओपोर्चुनिटी तो यहां तक उसे दी गई है कि अपनी जमीन का एक छोटा पोर्शन बेचकर भी अगर वह चाहे तो लगान चुका सकता है। तो अगर वह अपनी जमीन का एक हिस्सा भी बेचना चाहता है तो इसकी उसको मना नहीं है। वह बेचकर यह एरीयर अदा

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

कर सकता है, अगर किसी के पास एकाध बैल ज्यादा है तो उसे बेचकर दे सकता है, पर वह कुछ न करके लगान न देकर ही बैठ जाना चाहे और जानबूझ कर यह कहे कि मैं तो लगान नहीं देना चाहता, एरीयर नहीं चुकाना चाहता तो इस हालत में इसमें यह गुंजाइश होनी ही चाहिए कि सारी चीजों को ट्राई करने के बाद भी इसमें कोई लगान नहीं देता है तो फिर इजेक्टमेंट के लिए गुंजाइश हो और वह गुंजाइश भी बहुत बन्धनों के साथ हम करना चाहते हैं। इस पर भी यह कहा गया है कि इससे किसान और लैंड होल्डर के बीच, किसान और सरकार के बीच देश में एक बडा भारी विद्रोह पैदा हो जावेगा। यह एक नई और ऐसी चीज हम किसान के लिए करने जा रहे हैं कि जिससे विद्रोह फैल जावेगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी नई बात नहीं करने जा रहे हैं, यह तो पहले ही से कानून में मौजूद है। हम तो फिर भी इस पर इतने बन्धन डाल रहे हैं और यह तो उन सारे बन्धनों को लांघने के बाद की स्टेज में मामला आता है। नहीं तो जयपुर, जोधपुर आदि के ही टिनेन्सी कानूनों को आप ले लीजिये। इन सबमें यही प्रोविजन मौजूद है। तो अगर इन कानूनों के रहते हुए आज तक कोई क्रांति और आन्दोलन या विद्रोह पैदा नहीं हुआ तो कोई वजह नहीं कि इससे आज जब कि इसके विपरीत बहुत सी ऐसी बडी बडी सहूलियतें किसानों को दी गई हैं जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं थीं, कोई विद्रोह हो जावेगा। एरीयर्स ऑफ रेन्ट पर इजेक्टमेंट की खुली क्लॉज़ इन पुराने कानूनों की धाराओं में मौजूद होते हुए भी कोई यह नहीं बता पावेगा कि आज तक कितने विद्रोह के मामले हुए तो आज इतनी सहूलियतें मिल जाने के बाद ऐसा विद्रोह हो जावेगा, यह तो एक काल्पनिक खतरा और कल्पनिक स्थिति ही हो सकती है इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन इस क्लॉज़ के होने पर ऐसा मानता हूँ कि नॉन-पेमेंट के लिए आज कहा जा सकता है कि किसी को, उस किसान को चेक निश्चय ही लगने वाला है और वह चेक आवश्यक है, और उसको देखते हुए यह क्लॉज़ रहना चाहिए और इस क्लॉज़ के अन्दर जो संशोधन मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको मानने में मुझे एतराज नहीं है क्योंकि शब्द जो इसमें थे उनका समावेश १२२ व १२७ में पूरा हो जाता है। इसलिए उन शब्दों को स्वीकार कर सकता हूं। एक एमेंडमेंट था जिसको वे मूव नहीं करना चाहते हैं, तो कोई खास आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं ठीक है, निश्चित समय रहे तो उसमें डिस्क्रीशन नहीं करना है, उस पर चेक रहेगा। तो उन चीजों को देखते हुए यह क्लॉज़ श्री मेडता से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन के सहित स्वीकार किया जाय, यह निवेदन करना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि किसी प्रकार का इसमें भ्रम रखने की गुन्जाइश नहीं है कि कोई ऐसी क्लॉज़ इसमें लगा रहे हैं कि जिसके जरिये इजेक्टमेन्ट के राइट्स लेने की बात हो।

श्री मोतीलाल चौधरी—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, मैं यह कह रहा था कि खातेदार टिनेन्ट को बेदखल करेंगे तो मुआवजा देना होगा। नये कॉन्स्टीट्यूशन के आने के बाद किसी भी आदमी को प्रोप्राइटरी राइट्स से हटाते हैं तो बगैर मुआवजा दिये नहीं हटा सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अर्ज कर रहा हूं कि हटाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी प्रापर्टी है उसको सैल कर देगा और लगान चुकता कर देगा। उसको कौन रिफ़्यूज करता है उसकी प्रपर्टि को एडवान्टेज्यसली काम में नहीं लाने के लिए।

श्री अध्यक्ष (श्री मोतीलाल चौधरी से)—आप जवाब देना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—जी।

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १२३ में सदन के दृष्टिकोण में मतभेद रहा। माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने अपने जवाब के अन्दर जो बातें कहीं उनमें खास तौर से यह कहा गया कि हमें किसी तरह से भी किसान को बेदखल नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी अपने भाषण के दौरान में कहा था कि किसान की प्रापर्टी के अन्दर आपको उसका प्रोप्राइटरी राइट मानना पड़ेगा। खातेदार टिनेन्ट जो है वह उस खेत का मालिक है। वह उस खेत को बेच सकता है। उसी दृष्टीकोण से मैंने उदाहरण भी दिया था कि रेन्ट इज ए टेक्स इसके नॉन पेमेन्ट में उस खातेदार का हक छीन नहीं सकता। रही प्रोसीजर की बात, तो इसके लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रोसीजर के अन्दर दिया गया है कि लास्ट रिसोर्ट यह रहेगा कि अगर कोई रेन्ट का पेमेन्ट नहीं करेगा तो हम उसको इजेक्ट कर सकेंगे। यह भी कहा था कि लास्ट रिसोर्ट के बाद भी हम उसको शायद कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार बेदखल नहीं कर सकेंगें इसी क्लॉज़ पर, मैं आपसे अर्ज करूं कि हो करता है कि यह कानून आपका इनवेलिड घोषित किया जायगा। किसी के दिमाग के अन्दर यह नहीं रहे कि किसी किस्म के विद्रोह की तैयारी की जाय, लगान नहीं देने की तैयारी की जाय। यह उनके बराबर के हक की बात है, प्रोप्राइटरी राइट और उसूल की बात है। जब कि अरबन एरिया के अन्दर एक जमीन के ऊपर एक मालिक का हक मानते हैं तो उसको बेदखल कतई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको उसके बराबर की जमीन देते हैं, कम्पेन्सेशन देते हैं। तो मैं कहूंगा खातेदार टिनेन्ट के लिए, ट्रेसपासर के लिए नहीं कहता, माननीय मन्त्रीजी ने अपने भाषण के अन्दर यह कहा था कि इजेक्टमेंट ट्रेसपासर के लिए भी नहीं करें; मेरा यह नहीं कहना था। मेरा कहना यह था कि एक खातेदार टिनेन्ट है जिसको कि प्रोप्राइटरी राइट मिला है, कम्पेंसेशन देकर मिला है। आपने इस कानून के मातहत रखा है कि नया हकदार बनने के लिए, खातेदारी राइट्स लेने के लिए कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा और बीस गुना देना पड़ेगा लगान का, इसी तरह गंगानगर एरिया से और भरतपुर एरिया के अन्दर जो किसान कीमत देकर जमीन खरीदता है उन खातेदारों के राइट्स आप किसी तरह बिना उसकी प्रोपर्टी की कीमत दिये हुए किसी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहता और यह भी मेरी मान्यता नहीं कि किसान लगान नहीं दे, स्टेट लगान नहीं ले, बल्कि यह है कि आप दो तरह के राइट्स नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रीमिनेशन नहीं कर सकते हैं। वह बराबर रहे और बराबर नहीं रहेंगे तो विद्रोह होगा और अवश्य होगा कोई अपने दिमाग में सन्कोच नही रखे। यह किसानों के हक की लड़ाई है। यह उसके मालिकाना हकों के लिए लड़ाई है न कि यह लड़ाई रेवेन्यू मिले या नहीं मिले, रिकवरी हो या नहीं हो। यह लड़ाई, यह आन्दोलन,

[श्री मोतीलाल चौधरी]

यह आवाज इसलिए है कि प्रोप्राइटरी राइट्स दो तरह के नहीं हो सकते हैं। आप गांव के किसान जो कि अनपढ़ हैं, जिनकी आवाज आप समझते नहीं हैं, चाहे जहां उसके राइट्स को करटेल करने के लिए, उसके हक को करटेल करने के लिये कानून बना सकते हैं।

साथ ही साथ माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि आज भी यह जोधपुर, जयपुर के कानून के अंदर रखा गया है, अगर किसान दो साल या ३ साल तक रेन्ट नहीं देगा तो निकाल दिया जायगा। मारवाड टिनेन्सी एक्ट में सिर्फ खालसा गांवों के अन्दर यह था कि अगर किसान लगान ३ साल तक नहीं देगा तो उसको बेदखल किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिए माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, विरोध स्वरूप नहीं, नम्र निवेदन करके, बल्कि अच्छे शब्दों में, कि इस पर पुनर्विचार करके अन्दर डिस्क्रिमिनिटेरी राइट्स नहीं करें, जिससे कि दो तरह की भावना पैदा हो। इन बातों से गांव और शहर की जनता के अन्दर एक तरह का हक होना चाहिये, उसके लिए फर्क पैदा हो। उन्होंने कहा कि जोधपुर और जयपुर टिनेन्सी एक्ट के अन्दर ऐसा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दोनों टिनेन्सीज बिफोर कॉन्स्टीट्यूशन के बनी हुई है। कॉन्स्टीट्यूशन आने के पहले जोधपुर टिनेन्सी के मातहत जागीरदार लोगों से बिना मुआवजा दिलाये खातेदारी राइट्स दिलाये गये थे। जागीरदारों को बिना किसी तरह का मुआवजा दिये ६ अप्रेल, १९४८ को जो उस जमीन के अन्दर था उसको हक दिया गया है। उसको रुपया नहीं देना पड़ा और आज कॉन्स्टीट्यूशन आने के बाद आप किसी भी टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स किसी जागीरदार से उस जमीन पर दिलवाना चाहें तो कम्पेन्सेशन देता है, उसी तरह कोई भी खातेदारी राइट्स के लिए कम्पेन्सेशन देकर खातेदार बनता है, जो रुपया देकर प्रोपर्टी को लेता है तो वह उसकी प्रोपर्टी होती है। उसके आप राइटस कर्टेल नहीं कर सकते हैं। उसको खेत से नहीं निकाल सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पुनर्विचार किया जायगा इस पर। इसमें जल्दी नहीं की जाय, इसके लिए ज़िद नहीं की जाय।

माननीय सदस्य जो कि नीम के थाने से आये हुए हैं उन्होंने यह कहा कि किसान बेदखल होना पसन्द करेगा, न कि बैल बेचना पसन्द करेगा। माननीय सदस्य किसान तो हैं नहीं, इसलिए वह अपने भाषण में इस तरह की चीज कह सकते हैं। समाज के कुछ अंग चाहते हैं कि समाज के अन्दर डिस्क्रिमिनेशन रहें जिसमें कि आपस में दुर्भावना पैदा रहे। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि किसान कभी भी नहीं चाहता है। उसका खेत छीना जाय। किसानों ने अपने खेतों के खातेदारी हक लेने के लिए अपनी जानें तक दे दी हैं, कई आन्दोलन हुए हैं और इस राजस्थान के अन्दर, इतिहास यह कहता है कि खेत के मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए खातेदारी राइटस लेने के लिए किसानों ने कुरबानियां की हैं। वह बलद बेच सकता है। खातेदारी राइट्स छोड़ देगा पर बलद बेचना पसंन्द नहीं करेगा, यह बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता

[श्री मोतीलाल चौधरी]

है कि असमझदारी की सो सीधी बात है। यह उनको एफेक्ट नहीं करती है। उनको महसूस होने का तरीका नहीं हैं, क्यों कि वे न तो खातेदार है और न और तरह के किसान हैं। वे उस समाज के अंग हैं जो किसान और जागीरदार दोनों से फायदा उठता रहा है।

श्री अध्यक्ष—असंगत बात मत कहियेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) दूसरा उन्होंने कहा कि क्लॉज़ १२७ के अन्दर प्रोविजन दिया है गया कि यदि पेमेन्ट नहीं करेंगे तो तहसीलदारएस.डी.ओ.के पास ऑर्डर के लिये भेजेगा। माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ को पढ़कर सुनाया। जिस समय यह लाया गया था उस समय यह पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा गया था। पहले इसमें ६ महीने का समय रखा गया था उसको बाद में बदल कर ३ महीने का समय रखा गया है, इसमें यह भी साफ दिया गया है कि "The sub divisional Officer may"और इसके बाद तीनों प्रोविजन्स में और शब्द लगाया है। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि नोटिस देने के बाद तहसीलदार के कहने से ऐरियर ऑफ रेन्ट नहीं देता है तो तहसीलदार एस.डी. ओ. के पास भेजे और तहसीलदार के पास से आने के बाद एस.डी.ओ.तीन तरह के कदम पहले उठावेगा; पहले तो वह किसान को ३ महीनों के अन्दर अन्दर जमा कराने का कहेगा, उसके बाद भी नहीं देता है तो कोर्ट में इन्सस्टालमेन्ट्स से देने का कहेगा, और अगर उस पर भी एरियर नहीं देता है तो कानून के अनुसार उस किसान को प्रोपर्टी को अटेच किया जा सकता है। इस पर भी अगर एरियर वसूल नहीं होता है तो फिर वह किसान इजेक्ट कर दिया जायगा। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इसमें "may" शब्द है और इन तीनों में "or" शब्द काम में लिया गया है इसलिये एस. डी ओ. को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स हैं। वह चाहेगा जैसा करेगा। वह तीनों चीजों को न करके ज्योंहीं एप्लीकेशन उसके पास आयगी वह इजेक्टमेन्ट करने का हुक्म देगा। वह तीनों खण्डो को काम न लाकर सीधा चौथी को ही काम में लायगा। इस क्लॉज़ में यह नहीं दिया है कि पहले (१) को काम में लावे, फिर (२) को काम में लावे और फिर(३)को काम में लावे और फिर इन तीनों से भी काम नहीं बना हो तो(४)के अनुसार उसे इजेक्ट करे लेकिन आपका कानून यह नहीं कहता। अनपढ़किसान के लिय काला अक्षर भैंस बराबर है,वे कुछ नहीं समझते कि आपके कानून में क्या है। आप के तहसीलदारऔ एस.डी.ओ.जैसा कर देंगे वैसा हो जायगा। अगर आप इसमें प्रोविजन कर देंगे कि तीनों सब क्लॉजे.ज के अनुसार कार्यवाही होने के बाद चौथे के अनुसार कार्यवाही हो सकती है तो किसान भी सोचेंगे कि पहले ये तीनों आयेंगे और फिर इजेक्ट करने की बारी आयगी। इसलिये मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रिंसिपली आप नहीं मानते हैं, उनको मनना तो प्रिन्सिपल को चाहिये, तो कम से कम यह तो कर दें कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा प्रोविजन काम में लाया जायगा।

माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा कि गलती होगी यदि एरियर ऑफ रेन्ट को नियमित नहीं करेंगे तो यह अन्याय होगा। मुझे आश्चर्य है कि किस जमाने में वे

Page No.62

[श्री मोतीलाल चौधरी]

रह रहे हैं आप क्या लैंड रिफोर्म कर रहे हैं ? किसानों को क्या हक दे रहे हैं ? आप उनके हकों को कर्टेल करने की कोशिश न करें। इस क्लॉज़ को पास करने से पहले मैं सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों से और मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको पहले स्थगित करें और फिर उस पर सोच-विचार करें। केवल इतना ही नहीं है कि जमीन से उनको इजेक्ट करेंगे बल्कि इसमें राइट और हकों की लडाई है। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस पर अच्छी तरह से सोच-विचार किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि क्लॉज़ १२७ इसके बाद में जब आयगा उस समय इस पर विचार हो सकता है।

कुछ माननीय सदस्य—वह बाद में आयगा। उस समय विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२३ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने क्लॉज़ १२३ के अंतर्गत रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १२३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२४, श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा टिनेन्सी बिल का क्लॉज़ १२४ यह वर्णन करता है कि नोटिस इश्यू होने के बाद किस तरह का प्रोसिजर फोलो किया जायगा। इसमें कुल ५ सब क्लॉजेज़ हैं और मेरा जो संशोधन इस क्लॉज़ में है वह सब क्लॉज़ (१) में ३ संशोधन करने के बारे में है अभी जो सब क्लॉज़ १ है वह इस प्रकार है :

"(I) If the tenant does not appear or appears and admits the arrear claimed and the instalments of rent specified in the notice issued under section 123, the Tehsildar shall pass an order directing him to pay such arrear within such period not exceeding three months as the Tehsildar may fix."

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

इस में मेरे दो संशोधन हैं पहला और दूसरा। पहला जो मेरा संशोधन है उसके जरिये सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि "and the instalments of rent specified in the notice issued under section 123," यह शब्द इसमें से काट दिये जायें।

दूसरा संशोधन जो मेरा है वह यह है :

"within such period, not exceeding three months, as the Tehsildar may fix,"

इसके बजाय : "within such time as may be specified in the notice"...यह मेरा दूसरा संशोधन है इसको मैं मूव नहीं करना चाहता। पहले संशोधन को ही मूव करना चहता हूं। पहले संशोधन को मूव करने का मतलब यह है कि हमने क्लॉज़ १२३ में जो नोटिस इश्यू करने और फ्युचर इन्सटॉलमेंट का जिक्र था जब वह बात हटा दी है नोटिस की तो यह कांसीक्वेन्शियल चेन्ज है। जब पहले में जिक्र नहीं है तो अब भी इन्सटॉलमेन्ट्स का जिक्र नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा पहला संशोधन जरूरी है और मैंने पेश किया है।

इसके बाद जो दूसरा संशोधन था "within three months" के बजाय "such time as may be specified in the notice" करना चाहिये। यह संशोधन नहीं रखने का यह मतलब है कि इसको रखने से जो ३ महीने का लिमिटेशन दिया है वह नहीं रखना इसलिये लाजमी है कि ३ महीने तक नहीं रखने से डिस्क्रीशनरी हो जाता है और उसके अनुसार बजाय ३ महीनों के ३-४ दिन ही रख दें ऐसा करने का मौका मिल जाता है, इसलिये ३ महीने का मौका जरूर देना चाहिये। इसलिये बिल के मूल क्लॉज़ में जो भाषा रखी गई है वही रहनी चाहिये। यही कारण है कि दूसरे संशोधन को नहीं रखना चाहता।

इसके बाद में मेरा तीसरा संशोधन है। प्रोविजो में मैंने यह लिखा है :

[श्री नाथुराम मिर्धा]

"For the word 'court' appearing in the proviso, substitute the word 'Tehsildar" इस संशोधन को रखने का मतलब यह है कि यहां पर यह जो प्रोसीजर है नोटिस की कार्यवाही का, उसमें तहसीलदार के कोर्ट की कार्यवाही नहीं मानी है, कोर्ट के अलावा कार्यवाही मानी है। कोर्ट रखने से कन्फ्युजन पैदा होता है।

तो अभी जो मौजूदा प्रोविजो है उसमें से वर्ड 'कोर्ट' हटा कर 'तहसीलदार' रखने से जो प्रोविजो पढ़ा जायगा वह इस तरह से होगा :

"Srovided that if the order is passed ex-parte, the tenant may apply for setting aside such order, and if he satisfies the Tehsildar that either the notice was not served on him or that he had sufficient cause for non-appearance on the date fixed, the Tehsildar shall set aside the order and shall proceed to hear the case in the manner hereinafter prescribed."

इसके बाद में जो मेरा तीसरा संशोधन है वह सब-क्लॉज़ेज़ (४) और (५) में है :

" Sub-clauses (4) and (5) be omitted and in their places the following sub-clauses shall be inserted"...

इसमें जो संशोधन मैंने रखा है और जो सदन के सामने सर्कुलेट हुआ है उसके बारे में मैंने यह रखा है कि अभी जो मौजूदा क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ेज़ (४) और (५) हैं वे यों रीड करते हैं :

"(4) If the tenant appears and pleads that he is not liable to pay the instalments specified in the notice, the Tehsildar shall pass an order directing him during the currency thereof to pay such instalments or such amounts as he may, for reasons to be recorded, determine.

(5) No appeal shall lie against an order of a Tehsildar regarding the payment of instalments passed under the Provisions of sub-section (4), but no such order shall be a bar to a suit under the provisions of this Act for fixation of rent or for the recovery of arrears of rent."

मेरा यह संशोधन रखने का मतलब यह है कि इन दोनों क्लॉज़ेज़ को हटाना भी कोन्सीक्वेन्शियल तरीके से जरूरी हो जाता है। १२३ में नोटिस देने का और हटाने का रख दिया है तो (४) और (५) सब क्लॉज़ेज़ में जहां इन्सटालमेंट न देने का जिक्र आता है वह नेचुरली ड्रोप

[श्री नाथूराम मिर्धा]

हो जाता है। इसलिये इन सब-क्लॉज़ेज़ को ड्रोप कर देना चाहिये, क्योंकि हमें फ्युचर इन्सटालमेंट्स के बारे में किसानों के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं हटाना है। इन्हें हटाने से सब कुछ ठीक हो जायगा।

इसके बाद में मैंने संशोधन रखा है कि :

(4) "If the court finds that no part of the arrears claimed is due from the tenant, it shall dismiss the suit."

यह जो पार्ट है सब्स्टीट्यूट करने के बारे में, माननीय सभापति, यह संशोधन भी मैं इस वक्त मूव नहीं करना चाहता। क्योंकि इसको रखने की जरूरत नहीं है। जो सूट अपने आप डिस्मिस होने को है उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। जब कोर्ट को यकीन हो जायगा जिसका कि जिक्र सब-क्लॉज़ (४) में है कि अगर किसान कन्टेस्ट करता है तो तहसीलदार को हक होगा कि उस पर कोर्ट फी लगवा दें और प्रोपर कोर्ट में फार्वर्ड कर दे। तो मेरा अमेंडमेंट (४) और (५) को डिलीट करने का जो है उसे कायम रखा जाय और इसकी बजाय यह जो अमेंडमेंट है उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी।

इस क्लॉज़ में जो संशोधन मैंने रखे हैं उनको फाइनली मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ।

सब क्लॉज़ (१) में मेरा एक अमेंडमेंट है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों मैंने पेश नहीं किये हैं और न पेश करना चाहता हूं इसके रीज़न्स बताये हैं। सब क्लॉज़ (३) में पेश किया है वह पास होना चाहिए। (४) और (५) को डिलीट करने का मेरा संशोधन है उसे स्वीकार करना चाहिये। सब्स्टीट्यूट का क्लॉज़ रखा है वह नहीं रहना चाहिए, जिसके कि मैंने रीजन्स रखे हैं।

इस तरह से कर दिया जायगा तो यह सही प्रोसीज़र होगा।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री कपिलदेव का भी अमेंडमेंट है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं मूव करना नहीं चाहता।

श्री गोपीलाल यादव—एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे माननीय मित्र का सुझाव है कि 'कोर्ट' को हटा कर 'तहसीलदार' कराना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं कि 'कोर्ट' ही रखा जाय। आगे दिया है :

Page No.66

[श्री गोपीलाल यादव]

"(3) If in such suit the Court finds that any amount is due from the tenant, it shall pass a decree directing him to pay such amount into the court."

'कोर्ट' शब्द भी वहां है, डिक्री शब्द भी वहां है, इसे मैं साफ करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा—जी नहीं।

श्री गोपीलाल यादव—I want to know whether the ward 'court' appears in the proviso ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Proviso to sub-clause (1) of clause 124.

श्री गोपीलाल यादव—"Provided that if the order is passed ex-parte, the tenant may apply for setting aside such order and if he satisfies the Court that either...." In place of 'court', 'Tehsildar' रखना चाहते हैं। "the Tehsildar shall set aside the order and shall proceed to hear the case in the manner hereinafter provided."

इसमें एक जगह कोर्ट और दूसरी जगह तहसीलदार इसलिए रखा गया है कि बार बार "तहसीलदार" शब्द का रिपिटिशन होता है। कोर्ट है जहां वह एडजुडिकेट कर रहा है और डिक्री दे रहा है रेन्ट की। जैसा कि १२४ के सब क्लॉज़ (१) में देखिये इसमें आप कोर्ट को तहसीलदार नहीं कराना चाहते। सब क्लॉज़ (३) में है :

"(3) If in such suit the court finds that any amount is due from the tenant, it shall pass a deeree directing him to pay such amount into the court."

तो यहां ऊपर वाला अफसर है, तहसीलदार उसको भेज देगा और फिर : the Tehsildar will act as the Court or the S. D. O. will act as the court because both of them are competent to pass a decree. Therefore they are courts.

तो इसलिये वहां तहसीलदार के रिपिटिशन के बजाय जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय चेअरमेन, मेरा पहला निवेदन तो यह है कि जो अभी पहला संशोधन प्रस्तुत किया गया है, वह यह है :

"and the instalments of rent specified in the notice issued under section, 123." ये शब्द डिलीट कराने के लिये पहला संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मेरा यह ख्याल है कि जहां पर ये तमाम शब्दों को डिलीट करने के सम्बन्ध में संशोधन है, वहां मेरा संशोधन इस तरह स्वीकार किया जावे :

[श्री जवान सिंह]

"and the instalments of rent specified in the notice issued under section 123"

यहां तक है इसे डिलीट किया जावे और बाकी जो शब्द हैं संशोधन में : "in the notice issued under section 123" वे रहने दिये जावें। यहां पर रेफरेन्स है १२३ का। १२३ में हमने नोटिस का जिक्र किया है, उसका हवाला दिया है १२४ में इसलिये इन शब्दों का रहना जरूरी है।

"in the notice issued in section 123" शब्द रखे जाने चाहिये।

श्री जवान सिंह—अभी मुझ से पहले वक्ताओं ने निवेदन किया है कि हमने एक जगह केवल "कोर्ट" की जगह तहसीलदारों को सब्स्टीच्यूट किया है। मेरा ख्याल है कि इस पूरे क्लॉज़ को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें तहसीलदारों का उपयोग किया गया है। इस पूरे के पूरे क्लॉज़ को पढ़ें तो हमको तहसीलदार ही नजर आते हैं। मेरा खयाल है कि यह ठीक नहीं है।

तीसरी बात यह है कि अब तक जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उनमें सब क्लॉज़ेज़ (४) और को (५) डीलिट करने के लिये निवेदन किया गया है। मेरा ख्याल है कि सब क्लॉज़ (४) उस क्लॉज़ को गवर्न करता है, जहां जमीन पर काश्त करने वाला अपना लगान नहीं दे सकता हो और उसके लिये इन्स्टालमेंट कायम हो जाते। सब क्लॉज़ (५) उस संबन्ध का है जहां पर इसके अलावा लेन्ड होल्डर्स का और काश्तकार का ताल्लुक है। तो ये दोनों सब क्लॉज़ेज़ (४) और (५) जरूरी प्रतीत होते हैं।

पहला इसलिये कि क्लॉज २ के सब क्लॉज़ेज़ (१) और (२) में पर्टिकुलर स्टेज का प्रोसिजर कायम किया है और वह इस प्रकार है :

"(1) in the event of such notice having been issued by the Tehsildar suo moto no court fee shall be payable and the proceedings shall not be taken to be a suit, and ....."

हमने यहां पूछा है कि यह केवल प्रोसीजर ही रहेगा क्या? बल्कि उसके प्रोसीजर को माने जाने के बारे में कार्यवाही क्या होगी वह की गई सब क्लॉज़ (४) में :

"(4) If the tenant appears and pleads that he is not liable to pay the instalments specified in the notice, the Tehsildar shall pass an order directing him during the currency thereof to pay such instalments..........determine."

तो हमने आगे का यह प्रोसीजर कायम किया है। हमने एक स्टेज पर तहसीलदार को मान लिया। अब प्रोसीज़र के माफिक क्या कार्यवाही होगी वह सब क्लॉज़ (२) और (४) में दिया

[श्री जवान सिंह]

है। तहसीलदार यह देखेगा कि कितना एरिएर देना है और वह उसको इन्स्टालमेंट के जरिये अदा करने की आज्ञा दे सकता है। इसलिये सब क्लॉज़ (४) का रहना आवश्यक है। अब रहा सब क्लॉज़(५) का सवाल कि उसको डिलीट कर दिया जावे। जहां तक "No appeal shall lie against an order of a Tehsildar regarding the payment of instalments passed under the provisions of sud-section (4)"

यहां तक अगर इसको डिलीट करने के लिये कहा जाता तो थोड़ी देर के लिये माना जा सकता था और यह मांग भी उपयुक्त मांग थी, उसको स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन आपत्ति यह है सब क्लॉज़ (५) को डिलीट करने के लिये है। सब क्लॉज़ (५) में अधिकार दिया गया उन काश्तकारों को जो कि रेन्ट के संबन्ध में आगे अपील कर सकते हैं। या इस प्रोविजन में होते हुए भी दावा कर सकते हैं तो यह परेशानी पैदा हो सकती है कि कुछ लोग अपना इन्फलुएन्स काम में ला कर फैसला अपने फेवर में ले सकते हैं। और कह सकते हैं कि तहसीलदार ने तय कर दिया है। इसलिये अब बाद में दावा नहीं लिया जा सकेगा। इसलिये हमने इस उलझन को निकालने के लिये यह रखा है। सब क्लॉज़ (५) में यह हो सकता है कि वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर दावा कर सकता है और जो लगान लेने का अनुचित हक मिला है उसको खारिज करा सकता है। यह राइट हमने सब क्लॉज़ (५) में दिया है :

इस प्रकार जो वह सब क्लॉज़ (४) है वह कायम रहना चाहिये और सब क्लॉज़ (५) में जहां यह अधिकार है :

"No such order shall be a bar to a suit under the provisions of this Act for fixation of rent or for the recovery of arrears of rent."

तो ये जरूरी हैं और मैं यह कहूंगा कि ये अवश्य इसमें रहने चाहिये।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—माननीय उपाध्यक्ष, जो आपत्तियें मेरे माननीय सदस्य सिरोही से आने वालों की तरफ से उठाई गई हैं मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि वे सही नहीं हैं। क्लॉज़ १२३ यह कहता है कि एरियर्स ऑफ रेन्ट बाकी होने की सूरत में तहसीलदार नोटिस देगा और उसके साथ ही साथ एक नोटिस और देगा। जो सब क्लॉज़ (२) में है वह क्या होगा :

"(2) A notice issued under this section shall in addition to the particulars specified in sub-section (1) of section 122A, specify the instalments of rent payable by the tenant for the holding in future" एक नोटिस एरियर ऑफ रेन्ट का देंगे और उसके साथ ही साथ यह स्पेसिफाई करेंगे कि इतना रेन्ट बाकी है और जब तक नोटिस की तहकीकात चलती रहेगी तब तक उसको रेन्ट देना चाहिये। मगर हमने १२३ के सब क्लॉज़ (२) से यह भविष्य की बात

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

हटा दी है कि आगे क्या होगा। इसलिये तहसीलदार २ नोटिस देगा। एक तो यह "If the tenant appears and contests the claim for arrears the notice shall on payment of the proper court fee be deemed to be a suit for arrears of rent" ऐसी हालत में दूसरा नोटिस बेकार है। १२३ के एरियर ऑफ रेन्ट व भविष्य की बात का जवाब सब क्लॉज़ (४) में व सब क्लॉज़ (२) में दिया गया है :-

"If the tenant appears and pleads that he is not liable to pay the instalments specified in the notice... "तो जब हम १२३ सब क्लॉज़ (२) में फ्युचर इन्स्टॉलमेंट के नोटिस की जरूरत नहीं रखते तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य बगैर नोटिस के लिये क्या चाहते हैं? क्लॉज़ १३२ (२) में इन्स्टॉलमेंट का नोटिस नहीं है, इन्स्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं। इसलिये जब कि क्लॉज़ १२३ का सब क्लॉज़ (२) हमने ऑमिट कर दिया है तो लाज़मी है कि हमें क्लॉज़ १२४ पर से सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करना पड़ेगा। इसलिये मेरे ख्याल से आपने इस क्लॉज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं है या देखा नहीं है, वरना आप किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते। सब क्लॉज़ (५) में यह कहते हैं "No appeal shall lie against an order of a Tehsildar regarding the payment of instalments passed under the provisions of sub-section(4), but no such order shall be passed..."तो यह सब क्लॉज़ (४)का ही नतीजा है। एक आदमी कहता है कि वह ५००) रुपया सालाना लगान का लेता है और उसका तीन साल का एरियर बाकी है। इस हिसाब से उस काश्तकार को १५००) रुपयों का नोटिस दिया गया। वह काश्तकार अदालत में आता है और कहता है कि उसको १००) रुपये लगान साल के हिसाब से जमीन दी गई थी और उसके ३०० रुपये देने बाकी हैं। तहसीलदार ५०), ५०) रुपये का इन्स्टालमेंट कायम कर देता है। वह कहता है कि २५०) रुपये की किश्त होनी चाहिये। तहसीलदार उसके फ्यूचर के लिये कुछ भी करे उसके लिये कोई बान (ban)नही होगा। जब हमने वह इन्स्टॉलमेंट के बारे में पोर्शन डिलीट कर दिया है तो ऐसी हालत होगी कि तहसीलदार कोई ऑर्डर नहीं देगा और इस लिहाज से सब क्लॉज़ (५) बिल्कुल रिडन्डेन्ट है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि अगर आप इस लाइट में देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आपत्ति आपने उठाई है वह बिल्कुल सही नही है।

नगर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई और कहा कि कोर्ट की जगह तहसील क्यों रखा जावे?

श्री जवानसिंह—कोर्ट को तहसीलदार से सबस्टीट्यूट कर दिया गया है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं यह कहूंगा कि उनको १२३ और १२४ क्लॉज़ेज़ एक साथ पढ़नी चाहिये। १२३ में लिखा है कि अगर सरकारी लगान बाकी हो वहां "Tehsildar

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

having the executive power and not the Tehsildar as revenue court "है। डिफॉल्टर को नोटिस देंगा कि इतना लगान देना है, देओ, वरना तुमको इजेक्ट कर दिया जावेगा।

जहां लेन्ड होल्डर का लगान बाकी है, वह दरख्वास्त देगा तहसीलदार के पास, not to the Court, but to the Tehsildar. और तहसीलदार नोटिस देगा कि लगान नहीं देते हो तो इजेक्ट किया जायगा। अगर कॉन्टेस्ट करेगा तो that will be turned into judicial proceedings, सूट हो जायगा। तो सब क्लॉज़ (२) कहता है कि :

"(2) If the tenant appears and contests the claim for arrears, the notice shall, on payment of the proper court fee, be deemed to be a suit for arrears of rent."

Pending that stage वह कोई ज्युडिशियल प्रोसिडिंग नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे तो प्रोविजो में यह लिखा हुआ है कि :

"Provided that, if the order is passed ex-parte, the tenant may apply for setting aside such order and if he satisfies......"

To whom ?

श्री गोपीलाल यादव—Exparte order is always by a court, not by an executive officer.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—It can be passed by anybody, it can be passed departmentally. Suppose a junior officer is tried on a charge of indiscipline, and the senior officer orders that if he desires he may attend the trial and he does not attend it, then the senior officer may pass an order ex-parte. The junior officer may say that he had no opportunity and that he might be given an opportunity to be heard and the order may be set aside. That is different but my dear, Sir, it is under the rules that this ex-parte order can be passed.

श्री जवानसिंह—The Hon'ble Member must address the Chair and not as 'my dear, Sir,'

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I am sorry.

इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि यह जो ऑर्डर है वह तहसीलदार को रेफर करता है और कोर्ट को नहीं करता है और इसलिए यहां पर 'तहसीलदार' शब्द ही रहना चाहिये। कोर्ट करेगी तो मेरे लायक दोस्त से पूछिये कि कैसे कोर्ट को रेफर होगा।

The court has not come into play.

श्री सभापति—Look at me.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Sometimes it is more impressive to look at the gentleman who raises the objection.

श्री गोपीलाल यादव—I do not object if he looks at me !

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसलिये माननीय चेयरमेन, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो लफ्ज 'court' है वह मिसफिट है, यहां लफ्ज 'tehsildar' ही होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ (१) में यह है कि : "(1) If the tenant does not appear or appears and admits the arrear claimed and the instalment of rent specified in the notice issued under section 123..."

उसके लिए माननीय सदस्य ने यह कहा है कि ये लफ्ज़ कायम रहने चाहिये कि "admits the arrear claimed and the instalments of rent specified in the notice issued under section 123"

तो मैं यह अर्ज करता हूं कि यह भी गलत है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह रिडन्डेन्ट है, क्योंकि आप १२३ की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि :

" of the service of the notice to pay the amount of the arrear or to appear and admit or contest the same."

तो क्लॉज़ १२३ यह कहता है। इसलिये १२३ के नोटिस में लिखा हुआ है कि क्या क्या देखना है, या कन्टेस्ट करना है ? १२४ यह कहती है कि :

"If the tenant does not appear or appears and admits the arrear claimed and the instalments of rent specified in section 123"

इसलिये यहां जो क्लॉज़ १२४ है वह क्लॉज़ १२३ के कोन्सीक्वेन्स में है। १२३ में नोटिस जारी हुआ और १२४ में नहीं। इसलिये इसको यहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, चेयरमेन साहब, विद्वान हैं, वे समझ चुके हैं कि यह गैर जरूरी है। पहले भी वे मानते थे और अब अवश्य ही मान जावेंगे कि आपत्ति जो उठाई है वह आपत्ति के खातिर ही आपत्ति थी और उन्होंने दो-तीन दिन पहले भी इस सदन में इस प्रकार की आपत्ति उठाई थी और मजबूरी के खातिर ही आपत्ति के लिए आपत्ति उठाई थी और आज

Page No.72

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

भी आपत्ति के खातिर आपत्ति उठायी है और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, वे उन्हें वापिस ले लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ पर कानूनी बहस काफी हो गई है माननीय सदस्यों के द्वारा और स्पष्टीकरण भी काफी हो गया है। मैं, इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं करता हुआ यही समझता हूं कि मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं; वे उन्हें स्वीकार कर लें और मुझे भी वे स्वीकार हैं।

श्री सभापति—क्लॉज़ १२४ पर श्री नाथूराम मिर्धा के अमेंडमेंट जो उन्होंने मूव किये हैं, वे मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल भी स्वीकार करते हैं। तो प्रश्न यह है कि श्री मिर्धा द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२४, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२४, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२४ ए, श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १२४ ए जो मौजूदा हमारे इस बिल में है वह इस प्रकार है कि :

"Order that may be passed in certain cases.— If in a case to which the provisions of sub-section (2) of section 124 apply, the court or any court which passes orders in appeal, reference or revision finds that no part of arrear specified in the notice was due by the tenant as arrears of rent on the date on which the

[श्री नाथूराम मिर्धा]

notice was issued or the application for a notice was made under sub-section (1) of section 123, it shall dismiss the suit and cancel with effect from the date of such dismissal the order of the Tehsildar passed under that section directing the tenant to pay the instalments of rent."

इसमें मेरा जो संशोधन है वह संशोधन यह है कि इस क्लॉज़ को यहां से बिल्कुल हटा दिया जाय। यह जो संशोधन मैंने रखा है वह संशोधन भी कॉन्सीक्वेन्शियल संशोधन है, जो कि संशोधन हमने ऊपर के क्लॉजेज़ में अलग अलग मन्जूर किये हैं। उनको ध्यान में रखते हुए यह क्लॉज़ बेमायने हो जाता है। इसलिये इसको यहां से हटा देना जरूरी है। क्योंकि इस क्लॉज़ में "If in a case to which the provisions of sub-section (2) of section 124" का सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है :

"(2) If the tenant appears and contests the claim for arrears, the notice shall on payment of the proper court fee, be deemed to be a suit for arrears of rent."

तहसीलदार का नोटिस मिलते ही कि इतना लगान का एरियर बाकी है, वह कह देता है कि बाकी नहीं है तो फिर प्रोपर कोर्ट फी देने के बाद में सूट के रूप में परिणत हो जायगा। तो फिर इस क्लॉज़ में यह बात कही गई है कि : "the court or any court which passes orders in appeal, reference or revision finds that no part of arrear specified in the notice was due by the tenant as arrears of rent on the date on which the notice was issued or the application for a notice was made under sub-section (1) of section 123,..."

क्योंकि यह पहले हमने हटा दिया है फिर उसके लिये नोटिस का क्लॉज़ १२३ के तहत सवाल नहीं रह जाता है "It shall dismiss the suit and cancel with effect from the date of such dismissal the order of the Tehsildar passed under that section directing the tenant to pay the instalments of rent."

यह सूट के बाद की सारी कार्यवाही है। सूट जब बन जायगा तो वह सूट या तो तहसीलदार के पास रहेगा अगर उसका जुरिस्डिक्शन है। अगर उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो एस. डी. ओ. के पास चला जायगा। इसके बाद सूट के अपील, रफेरेन्स, रीविज़न आदि का सारा प्रोसीजर दूसरे क्लॉजेज़ में, दूसरी जगह कायम किया गया है। उसके लिये स्पेशल क्लॉज़ रखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये यह संशोधन है जो कॉन्सीक्वेन्शियल संशोधन है, जो कि हमने ऊपर के क्लॉजेज़ में स्वीकार किया है। वे क्लॉजेज़ जब हमने पास कर दिये हैं तो इस क्लॉज़ के यहां रख देने की आवश्यकता नहीं रहती।

आशा है माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

Page No.74

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि १२४ ए को डिलीट करने का जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है और जिसे माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह क्लॉज़ १२४ ए विधेयक से हटाया गया।

श्री सभापति—१२४ बी, श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I do not want to move my amendments.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमैन, क्लॉज़ १२४ बी जो मौजूदा इस बिल में है, उसके पांच सब क्लॉजेज हैं और उनमें मेरा संशोधन जो है वह इस प्रकार है:

(a) Omit sub-clause (1).

(b) In sub-clause (2)

(i) For the words 'three months' substitute 'one year'.

(ii) After the word 'Tehsildar' insert the words 'or the court executing the decree, as the case may be"

यह मैंने जो संशोधन रखा है, वह अगर हम इस पूरे क्लॉज को पढ़ें तो आपको पता चल जायगा कि यह संशोधन मैंने क्यों रखे हैं। इसके कारण भी मैं साथ में बता हूं:

"124 B Consequences and cancellation of order passed under section 124-(1) If during the currency of an order passed by the Tehsildar under the provisions of section 124 directing the tenant to pay the instalments of rent the tenant fails by the 31st day,

(१०,५५ पर श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष, पदासीन)

of May in any agricultural year so to pay the instalments which feel due in that agriculture year, with interest thereon, the Tehsildar shall forthwith order that he be ejected from the whole or a part of the holding and he shall forthwith be ejected accordingly"

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन मैंने रखे हैं उन में यह रखा है कि उपरोक्त सब क्लॉज़ को हटा दिया जाय। यह संशोधन कान्सोक्वेन्शयल संशोधन है, जैसा कि हमने ऊपर सारे क्लॉजेज़ में तयकर दिया है। पिछले इन्स्टालमेन्ट्स के बारे में न तो नोटिस जायगा और न इन्स्टालमेन्ट्स जमा होंगे और न उसके बारे में अपील रेफरेन्स और रिवीजन होगा। ऐसी सूरत में सब क्लॉज (१) में जो बात कही गई है, वह इन्स्टालमेंट जो ड्यू रह जायगा। जिसका कि जिक्र किया उसके बारे में पार्ट आफ दी होल्डिंग या फुल होल्डिंग को इजेक्ट किया जा सकता है। जब हमने प्रोसीडिंग के क्लॉजेज को पास कर दिया हैं, इसलिये इन क्लॉज़ेज़ को बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिये।

इसके बाद में क्लॉज (२) में मेरा जो संशोधन है, वह तीन महीने के बजाय एक साल का पीरियड रखने का है और जहां Tehsildar शब्द आया हुआ है उसके बजाय "or the court executing the decree, as the case may be" कर दिया जाय। इस संशोधन के रखने के बाद यह सब क्लॉज इस प्रकार से पढ़ा जायगा:

"(2) If the tenant fails to pay the amount of the arrers as ordered by the Tehsildar under the provisions of sub-section (1) of section 124 or as decreed by the Court under the provisions of sub section (3) of that section together with interest thereon and the cost of the application or the costs, if any, awarded by the decree by the 31st day of May next following the expiry of the period of three months..." Here insert 'one year'..." from the date of the passing of such order or of the decree becoming final the Tehsildar or the Court executing the decree, as the case may be, shall forthwith order etc. etc.

'तहसीलदार' के आगे ये शब्द जोड़ने का मतलब यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि तहसीलदार के अलावा दूसरे भी कोर्ट हैं। जिनमें इजेक्टमेंट्स की डिक्री एरियर्स आदि के बारे में पेश कर सकते हैं। तहसीलदार की पर्टिक्यूलर लिमिट तक जुरिस्डिकशन है, अगर उसके द्वारा एरियर्स का नोटिस दिया गया, अगर वह उसका जुरिस्डिकशन नहीं है तो वह एस० डी० ओ० के पास भेजा जायगा। यहां 'तहसीलदार' शब्द रख देने से दूसरी अदालतों का समावेश नहीं होता, इसलिये ये शब्द जोड़ने के लिये कहा गया है "or the court executing the decree, as the case may be"

इन संशोधनों के रखने के बाद यह जो बाकी का क्लॉज है, वह इसी प्रकार कायम रहेगा। इस रूप में इस क्लॉज को पास करने से ऊपर के क्लॉजों में जो संशोधन रखे हैं, उनकी कोन्सीक्वेन्सेज को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है।

श्री जवानसिंह—मैं इस क्लॉज में अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री गोपीलाल यादव—"These sub sections should be numberd accordingly" यह संशोधन तो रह गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा इसमें एक संशोधन और है जिसको मैं मूव करना भूल गया, वह यह है। इसका सब क्लॉज (३) जो है उसको हटाने के लिए रखा। सब क्लॉज (३) यह है :

"(3) If on any date before an order of ejectment is passed under the provisions of th is section, the tenant pays into court the amount of the arrear, which he was ordered to pay under the provisions of sub-section (1) of section 124 or which was decreed under the provisions of sub-section (3) of that section...as they fall due

इस प्रोविजो में मैंने यह संशोधन रखा है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, यह कोन्सीक्वेन्सल चेन्ज है। जब सारे इन्स्टालमेंट, सारे प्रोविजन काट दिये गये हैं तो इसके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।

श्री जवानसिंह—यह समझ में नहीं आया कि क्लॉज़ १२४ बी के कौन कौन से पार्ट्स दिये गये हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आधे काटे गये हैं।

(हंसी)

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा संशोधन इस प्रकार है :

" In sub-clause (4) of clause 124B after the Word 'full amount' add the following: 'Plus 5%and the cost of Cultivation if any.' "

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२४ बी में सब क्लॉज़ेज (१) और (३) को डिलीट कराया गया है। इसके साथ जो कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स होने चाहिये थे वे नहीं कराये गये हैं। वे करा लिये जाते तो अच्छा था। (दो) का (एक) हो जाता, (चार) का (दो) हो जाता और (पांच) का (तीन) हो जाता। खैर।

इसमें सब-क्लॉज् (४) इस प्रकार है:

"If within one month after the delivery of possession the tenant deposits the full amount in respect of which he has been ejected, the ejectment order shall be cancelled and possessian restored forthwith to the tenant."

[श्री श्यामलाल गोयल]

सब-क्लॉज़ (२) इस प्रकार है कि "31 st day of May" को वह पेमेंट कर देंगे यानि ३१ जून तक पेमेंट वह कर सकते हैं, टीनेन्ट्स जो बेदखल हुए हैं उनको और अगर ३१ जून तक पेमेंट कर दें तो पजेशन रैस्टोर हो जावेगा। लेकिन इस सब-क्लॉज़ में यह कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया है कि उस बीच में अगर लेंड होल्डर उस जमीन को काश्त कर ले तो क्या होगा? एक लैंड होल्डर को एरियर का पेमेंट होता। टीनेन्ट जमीन से इजेक्ट हो जाता है एरियर्स का पेमेंट नहीं होने की वजह से और इजेक्ट होने के बाद काश्त कर सकता है। लैंड होल्डर और इजेक्ट होने के एक महीने बाद लैंड होल्डर के पास अगर टीनेन्ट एरियर्स जमा करा देता है और उस जमीन का पजेशन चाहता है, पर उस एक महीने के समय में वह लैण्ड होल्डर काश्त कर लेता है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सब सेक्शन (४) में यह प्रोवाइड होना जरूरी था कि इस बीच में अगर लैंड होल्डर उस जमीन में काश्त कर ले तो उस जमीन के काश्त करने में लैंड होल्डर का जो खर्चा हुआ है वह लैंड होल्डर को टिनेन्ट की ओर से और देना होगा जमीन का पजेशन लेने के लिए।

अब यह कोई कहे कि काश्त क्यों कर ली उसने? तो यह नहीं होने से लैंड होल्डर सफर करता है। तो इसलिये मैं कह रहा था कि यह इनकम्पलीट प्रोविजन है। इसमें यह होना चाहिये था कि टीनेन्ट उस लैण्ड होल्डर को उसके जोतने में जो खर्चा हुआ है दे और यही नहीं बल्कि वह उसके इन्वेस्टमेंट का इन्टरेस्ट वगैरह भी सब पूरा दे और इसके अलावा पांच परसेन्ट और दे, जैसा कि हमारे सी. पी. सी. में भी प्रोवीजन है कि जिसमें अगर किसी डिग्री की इजरामें कोई चीज ऑक्शन होती है, अब अगर इसके बाद यह प्रश्न आकर उस ऑक्शन को हटाना चाहता है तो उसको ५ पर्सेन्ट देना पड़ता है इसके लिए। तो इस टिनेन्सी एक्ट में काफी टाइम दिया गया है, एक टीनेन्ट को कि वह अपने एरीयर्स को दे। उसको मुकद्दमा लड़ने की छूट दी गई है, साल दो साल की मियाद दी गई है, कहा गया है कि जितना चाहे लड़ले; इसके बाद अगर डिक्री फाइनल हो गई है और बेदखल कर दिया है और इसके बाद भी अगर वह एरियर देना चाहे तो एक महीना इसके लिए और दिया है कि वह इस एक महीने के अन्दर तक फिर वह एरियर चुका कर अपनी जमीन पर कब्जा वापिस पा सकता है। तो इसके बाद जब वह लैण्ड होल्डर उसमें खेती कर ले तो इसके लिए जरूर उस पर पेनल्टी होनी चाहिये। यह नहीं कि किसान (टिनेन्ट) अपनी मनमानी करता रहे, लैण्ड होल्डर के साथ हर स्टेज पर खिलवाड़ करे। तो कुछ अन्कुश टिनेन्ट पर भी होना चाहिये और यह खिलवाड़ करना उसका भी बन्द होना चाहिये। तो इसलिए यह होना चाहिये कि उस एरियर के साथ साथ वह ५ पर्सेन्ट पेनल्टी के रूप में और लैंड होल्डर को दे, यह मेरा सुझाव है।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी गंगापुर बी से आने वाले मेरे माननीय सदस्य साथी ने इस क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ (४) पर कुछ कहा है। बी के सब क्लॉज (४) पर उन्होंने संशोधन रक्खा है कि पैनल्टी देनी चाहिये, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। (हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह मेरा स्पेशलाइज्ड वर्ड है, इसे इतनी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—कॉपी राईट है न आपका ?

श्री मोतीलाल चौधरी—यह नई उलझनें पैदा करने वाला इनका सुझाव है। और मैंने तो यह पहले भी कहा था कि यह वकिलों का काम है, उलझनें पैदा करना। इसमें यह साफ प्रोवीजन है कि एक महीने के बाद में, डिक्री होने के, अगर वह एरीयर का सारा रुपया दे देगा तो किसान को उसकी जमीन का पेज़ेशन वापिस मिल जावेगा। तो फिर यह कहना कि लैण्ड होल्डर उस पर इस एक महीने के अर्से में खेती कर लेगा तो क्या होगा ? क्यों कर लेगा वह खेती ? जब कि इसमें साफ एक महीने का प्रोवीजन है तो उसको इस एक महीने में उस जमीन में कुछ भी नहीं करना चाहिये। मैं बताऊं आपको वैसे भी किसी की डिक्री हो जाती है तो उसकी अपील करने का १९ दिन या २५ दिन, जैसा नियम होता हैं उस अवधि में अधिकार होता है हरेक को। तो डिक्री होल्डर भी यह सोचता है कि इस अवधि के बीच उसे कुछ नहीं करना चाहिये; इस अवधि के निकलने के बाद कुछ करना है। तो इस अवधि के अन्दर वह डिक्री होल्डर कुछ गड़बड़ी नहीं करता है। तो इसी तरह से जब कि वह लैंन्ड होल्डर यह जानता है कि इस एक महीने के अन्दर अन्दर एरीयर का पेमेंन्ट कर देने पर उसको फिर लेने का अधिकार है तो उसको पजेशन लेने के तीस दिन बाद तक इसके लिए उडीकना (प्रतीक्षा करना) पडेगा। ३० दिन तक उसे सोचना पड़ेगा कि वह वहां कुछ काम नहीं करे, जैसे कि अपील के पीरियड में वह कुछ नहीं कर सकता है, उसी तरह से इसमें भी उसको कुछ नहीं करना चाहिये। इसके बाद ही पक्का अधिकार अपना उस पर समझना चाहिये।

इसलिये मेरी अर्ज यह है कि; इन्टरेस्ट भी मिलना चाहिये, वह ५ परसेन्ट पैनल्टी भी मिलनी चाहिये, तो मिलना तो यह सब चाहिये पर खातेदार ने क्या कसूर किया कि जिसने बारह-बीस गुना रेन्ट लिया है उसको तो यह आप देने की बात नहीं कर रहे हो, पर पजेशन जो अपनी जमीन का फिर से ले रहा है तो उसको यह सब देना चाहिये। यह क्यों देना चाहिये ? उसने वैसे कौनसा पाप किया है और इसने ऐसा कौनसा पुण्य कर लिया है कि उसको तो नही मिलना चाहिये और इसको मिलना चाहिये ? तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसमें कोई इन्टरेस्ट का और पैनल्टी का सवाल नहीं। वह भी इललीगल पैनल्टी होगी। तो इसलिये यह जैसा है वैसा ही रहना चाहिये। कोई संशोधन इसमें नही करना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, जो सुझाव नादौती से आये मेरे माननीय साथी ने दिया है, वह बहुत ही उचित है। सुझाव उनका यह है कि अगर एकटिनेन्ट इजेक्ट हो जाता है और उस पर लैंड होल्डर काश्त कर लेता है तो अगर इसके बाद वह सारा अमाउन्ट जमा करा देता है तो जैसा कि सब क्लॉज़ (४) में है और उसका पजेशनरेस्टोर किया जाता है तो जिस लैन्ड होल्डर ने कानून से इजेक्ट कराकर जिस जमीन पर कब्जा हासिल किया है और इसके बाद में इस पर अपनी काश्त की है तो उसको इसकी कीमत क्यों नहीं दी जानी चाहिये ? अब इसको दिया जाना चाहिये या नहीं दिया जाना चाहिये, इसका साफ प्रोवीजन अवश्य इसमें किया जाना चाहिये। इस बारह

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

महीने, दो बरस के झगड़े के बाद अगर टिनेन्ट को कोर्ट पजेशन से रिजेक्ट कर देता है तो इसके बाद भी सेफगार्ड पर सेफगार्ड उसको दिये ही जाते रहे हैं। इसके बाद भी उसको सेफगार्ड देने के लिये यह प्रोवीजन रक्खा है कि कोर्ट से डिक्री हो जाने के बाद भी अगर महीने भर के अन्दर वह एरियर का रुपया जमा करा देता है तो उसको कब्जा वापिस दे दिया जावेगा। मेरे एक मित्र ने....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—यह सब क्लॉज़ डिलीट ही क्यों कर दिया जावे ?

श्री कपिलदेव—माननीय उपाध्यक्ष जी, १२४ बी क्लॉज़ (२) को अगर आप गौर से मुलाहिजा फरमायें तो उसमें लिखा है :

"If the tenant fails to pay the amount of the arrears as ordered by the Tehsildar under the provisions of subsection (1) of section 124 or as decreed by the court under the provisions of sub-section (3) of that section together with interes thereon and the cost of the application or the costs, if any, awarded by the decree by the 31 st day of May next following the expiry of the period of three months

तो थ्री मन्थ्स की जगह एक साल कर दिया है तो उस प्रोवीजन का इसमें फायदा दे रहे थे। इस सब-क्लॉज़ (४) में यह व्यवस्था थी कि ३ महीने का मौका दिया तो एक मौका कब्जे के बाद भी दे दिया जाय। तीन महीने के बजाय १२ महिने कर दिये हैं तो एक मुनाफा और देने की खास आवश्यकता नहीं रह जाती। इससे कई कॉम्प्लीकेशन पैदा हो सकती हैं। लेन्ड होल्डर इम्प्रूवमेंट कर लेगा, उसको बढ़ा लेगा और क्या पता क्या कर लेगा ? फिर तहकीकात होगी कि खर्चा कौन देगा, कितना खर्चा देगा, उस खेत पर कब्जा कौन रखेगा, कौन इसका रिसीवर होगा, इस प्रकार की बीसों मुश्किलें कानूनी सामने आवेंगीं। इसलिए एक दफा कब्जा फर्मली (Firmly) उसका होगया कोर्ट के आर्डर से तो होगया, उसके लिए क्या ? अभी माननीय मंत्री जी ने खुद ने फरमाया था कि उनके देखने में कोई ऐसा केस नहीं आया, फिर बात समझ में नहीं आई कि सेफगार्ड, सेफगार्ड और फिर सेफगार्ड आखिरी सेफगार्ड है तो इतने सेफगार्ड की क्या आवश्यकता है। फॉर्मल इजेक्टमेंट होगया तो हो गया।

दूसरी बात यह है कि सी. पी. सी. में इसी किस्म के प्रोवीजन २१ रूल ९० में स्पष्ट बात बताता है कि सेल होने के बाद भी जजमेंट डेटर या जजमेंट डेटर की प्रापर्टी में इन्ट्रेस्ट रखता है वह सारी टोटल संपत्ति प्लस ५ परसेन्ट आफ दी टोटल amount as जो कि सेल के अटेचमेंट में हुई है, वह जमा करवावे तो सेल सेट एसाइड हो सकता है, लेकिन वह प्रोवीजन नहीं रखा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसेक्शन (४) को डिलीट कर दिया जाय। उसके बाद जहां नादोती से आये हुए माननीय सदस्य के सुझावों की आवश्यकता नहीं रहेगी, वहां कोई कम्प्लीकेशन्स पैदा नहीं होगें और जिन माननीय सदस्यों ने वह आपत्ति उठाई है वह ......

श्री जवानसिंह—वह आपत्ति बनी रहेगी।

श्री कपिलदेव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) तो डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य जो कि इस इजेक्टमेंट के प्रोविजन्स को बड़े गौर से, ध्यान नहीं देते हुए भी उसके बड़े खिलाफ हैं, इजेक्टमेंट होगें उनका ध्यान है कि दूसरे इजेक्टमेंट इसमें होने वाले हैं; जहां कि कोई संभावना इसमें है ही नहीं। इसमें नौदेहिन्द टिनेन्ट्स बना सकते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं माननीय सदस्य जहां से आते हैं उस कॉन्स्टीटुएन्सी में जरूर होगें तो जो बोनाफाइड टिनेन्ट्स हैं उनको फुल प्रोटेक्शन इसमें मिला है। उनकी जितनी शंकाएं हैं, वे निराधार हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका विचार नहीं है कि जो टिनेन्ट्स मेलाफाइड्स हैं, वे सरकार को जो लगान मिलने वाला है उस लगान के देने में जानबूझकर कुछ न कुछ आपत्ति खड़ी कर सकते हैं। उनको प्रोटेक्शन देने का माननीय सदस्य का इरादा नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा खयाल है। इसलिए में यह समझता हूं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—उनका ख्याल ऐसा नहीं है।

श्री कपिलदेव—यह भ्रम है आपका। उनका वाकई ऐसा ख्याल है। (हंसी) इसलिए मैं यह समझता हूं कि सबक्लॉज (४) को डिलीट कर दिया जाय।

माननीय सदस्य के एक बात और ध्यान में नहीं आई होगी कि वह १२ महीने का पीरियड नहीं है, लेकिन १२ महीने से बहुत ज्यादा है:

"if any awarded by the decree by the 31 st day of May next following" यानी इतना ही सिर्फ नहीं है कि वह १२ महीने ही हो डेट ऑफ फाइनल डिक्री और ऑर्डर (data of final decree or order) तो वह १२ महीने ३१ मई को खत्म होने चाहिए। यदि १२ महीने जुलाई में खत्म होते हैं तो फिर ३१ मई तक बारह महीने होगये यानी वर्चुअली यह नोटिस २ साल का होगया। ३ महीने में कोई फर्क नहीं होता है। २ महीने के यह डिक्री, ऑर्डर्स की जगह जब १२ महीने का प्रोवीजन लगा दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि ३१ मई को वह डिक्री या फाइनल ऑर्डर असर रखेगा। १२ महीने के लिए कोई भी डिक्री या फाइनल ऑर्डर होगा तो दो साल का मसाला मिलता है। मान लीजिये कि फाइनल ऑर्डर अप्रेल में हुआ तो वह १२ महीने ३१ मई के पहले ही होजायगा। ऐसी सूरत मैं यह नोटिस दो साल तक का नहीं होगा।

इतनी ही नहीं मैं क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ (१) के प्रोवीजो की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर यह लिखा है कि "Provided that if the order ia passed ex-parte, the tenat may apply for setting aside such order, and if he satisfies the court that either the notice was not served on him or that he had sufficient cause for non-appearance on the date fixed." नहीं क्लॉज़ १२४ का सब क्लॉज़ (१) का प्रोवीजो नहीं, सब क्लॉज़ (१) में लिखा है:

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"If the tenant does not appear or appears and admits the arrear claimed and the instalments of rent specified in the notice issued under section 123, the Tehsildar shall pass an order directing him to pay such arrear within such period, not exceeding three months" तो इसका मतलब क्या हुआ साहब ? हमने क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ (१) में एक ऑर्डर दिया कि टिनेन्ट को नोटिस दिया कि फलां दिन आये और एरियर्स दे, फिर भी उसमें लिखा है कि तहसीलदार अधिक से अधिक ३ महीने तक यह हुक्म दे कि तुम दो। मान लीजिये कि वह नहीं देता है तो यह कह सकते हैं कि तीन महीने की कोई बात नहीं है। उसके बाद वह ऑर्डर तहसीलदार को देना पड़ेगा "not exceeding three months" वह ऑर्डर है कि ३१ मई को बारह महीने होने चाहिए। अगर ३१ मई को १२ महीने नहीं होगें तो वह इजेक्टमेंट नहीं होगा।

इतना ही नहीं, आगे क्या है ? एक तहसीलदार इजेक्ट नहीं कर सकता है। क्लॉज़ १२४ बी की सब क्लॉज (२) में "The Tehsildar has no jurisdiction to eject a tenant." जब एक साल गुजर जायगा तो टिनेन्ट इस बात के लिये लाइबल हो जायगा कि वह इजेक्ट हो तो उस तहसीलदार गरीब को सारे पेपर्स एस. डी. ओ. को भेजने पड़ेंगे और सारे का सारा प्रोसीजर रिपीट हो जायगा। अगर ऐसी खामियों रहती हैं तो यह प्रोवीज़न्स मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहे हैं कि क्या प्रोवीज़न्स हैं, क्या साइकल है, कैसे इजेक्टमेंट होने की व्यवस्था करें, दरअसल करना चाहते हैं या नहीं ? क्या इन प्रोविज़न्स का मतलब है ? यह कुछ समझ में नहीं आता। माननीय मंत्रीजी इसको स्पष्ट करेंगे कि दरअसल मतलब क्या है इन प्रोवीजन्स का ? तीन महीने, फिर दो वर्ष हो, तहसीलदार डिटर्मिन नहीं करेगा, कम्पेन्सेशन डिटर्मिन करेगा एस. डी. ओ.। एस. डी. ओ. इजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि टाइम देगा। वह पीरियड क्या होगा ? इन बातों का मतलब क्या है माननीय मन्त्रीजी सदन के सामने स्पष्ट करेंगे ? जितना जो कुछ मैं समझ सका उसका मतलब यह है कि एक प्रोवीज़न के बाद दूसरा प्रोवीज़न लगा दिया है, जिसका कोई खास मतलब आकर नहीं बैठता है कि दरअसल में हम चाहते क्या हैं ? क्या असली मकसद है ? इन प्रोवीजन्स से स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज करता हूं कि कम से कम इस क्लॉज़ के सबक्लॉज़ (४) को अवश्य डिलीट कर दें। इसमें कोई फायदा नहीं है और बाकी जिस तरह का है कि माननीय सदस्य ने जो तरमीम पेश की है मेडता से आने वाले सदस्य ने, वह मन्जूर कर ली जाय।

श्री गोपीलाल यादव—उनकी जिस तरमीम पर मेरे माननीय मित्र श्री कपिलदेव ने जो बातें कही हैं उनके ऊपर सदन का समय ज्यादा नहीं लेकर उनकी ताईदि करता हूँ। I second his arguments.

श्री सोहनलाल भटनागर—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सबक्लॉज़ (४) पर कोई एमेंडमेंट है या ऐसे ही सुझाव पेश किये जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो सुझाव ही हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इस सब क्लॉज़ के ऊपर भी काफी चर्चा हुई और ३ महिने का जो प्रोविजन पहले रखा हुआ था, उसको बढ़ा कर १ साल के बारे में एक संशोधन रखा गया और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं समझता हूं उसको स्वीकार करने के बाद फिर १ महिने का समय जो सब क्लॉज (४) में दिया गया है, मैं नहीं समझता कि वह एक साल तक टाइम को एक्सटेन्ड किया गया है, उसमें १ महीने का समावेश क्यों नहीं किया जाय। इसमें अलग से १ महीना रहता है तो यह झगड़े की बात है। फिर दूसरे माननीय सदस्य की बात का समावेश करना आवश्यक होगा। जहां जहां पर गवर्नमेंट की भूमि है, उसको लेकर दूसरों को अलॉट कर दें या जहां खुदकाश्त की भूमि है, जहां उसे वापिस लेने का सवाल आयगा तो १ महिने तक अलोट नहीं की जायगी, यह तय करना होगा, मई में इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो और १ साल तक अलॉट नहीं करने का मतलब यह होगा कि लैंड-लोर्ड उसे पड़ी रखें, इसलिए इसमें इतना लम्बा प्रोसेस दिया गया है कि इजेक्टमेंट नहीं होगा। मैं मानता हूं कि इजेक्टमेंट होना असम्भव है। एरियर ऑफ रेन्ट के लिये इजेक्टमेंट हो सकता है, यह मैं नहीं मानता सिवाय उस हालत के कि कोई टिनेन्ट विचार ले कि मुझे तो इजेक्ट होना ही नहीं है, तो पहले तहसीलदार नोटिस देगा, उसके बाद यदि कंटेस्ट होगा तो कोर्ट में एक-दो साल लग जायंगे। उसके बाद में यदि डिक्री हो जाय तो भी साल भर तक ठहरना जरूरी है और उसके बाद में भी मई का महीना आयगा तब इम्प्लीमेंट होगा; फिर भी यह गुंजाइश है कि उसके बीच में भी पे (pay) करना चाहे तो किसान कर सकता है और इजेक्टमेंट के बच सकता है। जब ३ महीने का प्रोवीजन था उस हालत में तो १ महीने का रखा जा सकता था। एक साल के बाद भी एक महीना और रखना आवश्यक है। इजेक्टमेंट के बाद भी १ महिना और रहेगा तो फर्दर कॉम्प्लीकेशन्स होंगी। फिर यह देखना पड़ेगा कि किसी ने इम्प्रूमेंट किया या नहीं; इसमें फिर कॉम्प्लीकेशन्स होंगी। बजाय फायदे के इससे झगड़ा बढ़ेगा। न इजेक्ट कराने वाले को लाभ होगा और न काश्त करने वाले को ही लाभ होगा। इससे अच्छा यह होगा कि जो अपोर्चुनिटी पहले देनी है दे दें। इसलिए मैं १ साल बढ़ाने की बात को स्वीकार करता हूं और साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (४) को डिलीट कर दिया जाय तो अच्छा होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। जहां तक अपोर्चुनिटी देने का सवाल है कोई नहीं कह सकता कि पूरी गुंजाइश नहीं दी गई। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप लोग मान लेंगे और नहीं तो ३ महीने का प्रोविजन रखें, साल भर का नहीं रखें। मैं साल भर वाले को ठीक समझता हूं। आप ज्यादा गुंजायश ले लीजिये लेकिन दो महीने की बात को कॉम्प्लीकेशन बाकी रखने के लिए रखना क्यों आवश्यक है ? जब एक साल को रखते हैं तो १ महीना और रखना ठीक नहीं होगा। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन जो है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—एक साल का प्रोवीजीन स्वीकार करते हैं तो मान लीजिये पीरियड खत्म होता है जुलाई में तो उसके बाद में नेक्स्ट १० महीने बाद आयगा, उससे पहले इजेक्ट नहीं हो सकेगा। ऐसा हो सकता है कि मई से ३ महीने पहले डिक्री उसके खिलाफ हो और ३ महीने बाद

[श्री गोपीलाल यादव]

मई आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो अगर दो महीना बाद ही मई आ गया और १ महिना बाकी रह गया तब तो फिर दूसरा मई हो जाता है; इस लिए सब-क्लॉज़ (४) को डिलीट कर दीजिये और ३ मन्थ्स रहने दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—मेरा ऑब्जेक्शन है। जैसा कि सदन को विदित है। शुक्रवार को निर्णय हुआ था कि एक एग्रीड फोर्मुला निकाला जायगा, उसके बाद तय करके एग्रीड फोर्म में अमेंडमेंट्स आये हैं; फिर आप सदन को कमेटी स्टेज़ जैसा क्यों बना रहे हैं। और जो अमेंडमेंट्स पेश किये जा रहे हैं, जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य थे उन्होंने रखा है, उसको डिलीट करने के लिए आपने कहा है। यह कन्वेन्शन के खिलाफ है।

श्री वेदपाल त्यागी—आप खुद कन्वेन्शन के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—सब क्लॉज़ (४) को रखने के लिए २५ आदमियों ने तय किया था, उसके बाद एक दम इस तरह से तय किया जा रहा है; जिसके लिए कोई फोर्मल अमेंडमेंट मूव नहीं किया गया है।

श्री गोपीलाल यादव—सब क्लॉज़ (४) हरगिज नहीं रहना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट श्री कपिलदेव का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि अमेंडमेंट नहीं मानेंगे तो फिर दूसरी तरह से करना होगा। आप चाहते हैं तो ३ महीने के बजाय १२ महिना कर दिया, अब सब-क्लॉज़ (४) को रख कर यह करेंगे, किसी ने काश्त कर दी है तो उसका कम्पेन्सेशन किस तरह होगा ? इसको रखने से मतलब क्या होगा ?

श्री गोपीलाल यादव—सब क्लॉज़ (४) हरगिज नहीं रहना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—इसका कारण बताइये।

श्री गोपीलाल यादव—कारण यह है कि एक टिनेन्ट क्यों पेमेंट करेगा ? वह कहेगा···

(घंटी)

मैं इजाजत से कह रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य—किस की इजाजत से ? नाथूरामजी इजाजत नहीं दे सकते।

श्री गोपीलाल यादव—यदि श्रीमान् इजाजत दें तो मैं निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज (४) क्यों डिलीट कर दें। एक टिनेन्ट यह कहता है कि मुझे लैंड होल्डर को तंग करना है, इसलिए उसको पैदा नहीं देना है। जिस दिन पजेशन लेगा उसके १ महीने बाद तक रहेगा तो बडा झगड़ा टंटा खड़ा होगा। इससे कोई फायदा नहीं है। जब इजेक्ट हो गया है तो फिर ऐसा क्यों होना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—पहले इस बात का निर्णय होना चाहिए कि अमेन्डमेंट मूव हुआ है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट जुबानी बोला है और फिर लिख कर दे दिया तो मूव हो ही गया। that Sub-clause (4) of clause 124--B be delete

प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री कपिलदेव अग्रवाल ने सब क्लॉज़ (४) ऑफ क्लॉज़ १२४ बी. में प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य—'ना' पक्ष जीता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, श्री कपिलदेवजी ने कोई अमेंडमेंट मूव नहीं किया है।

श्री सोहनलाल भटनागर—It has not been moved.

श्री गोपीलाल यादव—लिख कर दे दिया है।

श्री सोहनलाल भटनागर—No amendment was moved. He spoke Only on the principles of this clause.

श्री गोपीलाल यादव—An amendment has been given.

श्री सोहनलाल भटनागर—It was given after he spoke.

श्री गोपीलाल यादव—It has been accepted by the chair.

श्री जवानसिंह—अब तो मत ले लिये हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—आप डिविजन चाहते हैं ?

Page No.85

[श्री अध्यक्ष]

(विभाजन की मांग न करने पर)

श्री जसवानसिंह—अब डिविजन क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि मत ले लिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—हां पक्ष जीता, संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री श्यामलाल का भी संशोधन है।

(विराम)

(श्री गोयल से) क्या आप विदड्रा करते हैं ?

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन विदड्रा करने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर—कौनसा संशोधन है, कौनसे शब्द थे, न सकुलेट किया गया और न वर्डिंग ही बताये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन श्री गोयल का इस प्रकार है : "I move the following amendment to sub-clause (4) of clause 124 B:-

"after the words 'full amount' add the words 'plus 5% and the cost of cultivation, if any'."

यह जो श्यामलालजी बोले थे उसी को लिख कर संशोधन रखा है। चूंकि डिलीट का संशोधन हो गया है, इसलिए विदड्रा करने की इजाजत चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है कि विदड्रा करने की इजाजत दी जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्यामलाल गोयल—I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने १२४ बी. में पेश किया है, जिसके स्वीकार किये जाने के बाद में उसके साथ जो कोन्सीक्वेन्शियल चेन्जेज़ होंगे वह तो हो ही जायंगे; अब प्रश्न यह है कि वह संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२४ बी., संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२४ बी., संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२५, श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैंने तो पहले ही अर्ज कर दिया कि मैंने सब अमेंडमेंट मूव करने से माफी मांग ली है, मैं कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई है, किसी का अमेन्डमेन्ट? हां, श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२५ जो इस बिल में है, वह इस प्रकार है:

"Tenants claim for compensation on appearance:— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in sections 120 and 121, when the tenant appears in response to the notice served on him under section 123, he shall be asked wheather he makes any claim for compensation on account of improvements in case an order of ejectment is passed against him, and, if he makes such claim, the Tehsildar shall forward the case for decision to the Sub-Divisional Offieer."

इसके बाद सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है:

"No claim for compensation on account of improvements shall be entertained unless it is made in accordance with the provisions of this section;

Provided that if the tenant appears after the expiry of the period specified in the notice and satisfies the Tehsildar either that the notice was not

[श्री नाथूराम मिर्धा]

served on him or that he had sufficient cause for nonappearance with insuch time the Tehsildar shall entertain the claim made by the tenant for compensation," इसमें मेरा संशोधन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि सब क्लॉज़ २ को बिल्कुल यहां से हटा दिया जाय। यह जो मेरा संशोधन है, इसको रखने का मतलब यह है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले क्लॉज़ में जब तहसीलदार के सामने किसान जाता है तो तहसीलदार उसको पूछेगा कि जो तुमने इम्प्रूवमेंट्स किये हैं उनके कम्पेन्सेशन के लिये तुम्हें क्या कहना है ?

सब क्लॉज़ २ में लिखा गया है कि इस तरह के तरीके के अलावा दूसरा तरीका ठीक नहीं होगा। इस क्लॉज़ को रखने से यह होगा कि अगर तहसीलदार के सामने कम्पनसेसन की बात नहीं कहे तो आगे स्टेज पर वह दूसरे कोर्ट के सामने कम्पेन्सेशन की बात नही कर सकेगा। क्लॉज़ दो को रखा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि इस सब क्लॉज़ दो के तरीके से कम्पेन्सेशन की बात कहेगा तो वाजिब होगा, दूसरे तरीके से वाजिब नहीं होगा। इसलिये इसे हटा दिया जाना चाहिये। और कम्पेन्सेशन के पूछने की बात उस किसान के लिये खुली रहनी चाहिये, जिस जमीन से वह बेदखल हो रहा है। उसको हर वक्त यह अधिकार रहे कि जो इम्प्रूवमेंट्स उसने उस जमीन पर किये हैं, उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उन इम्प्रूवमेंट्स के कम्पेन्सेशन के तय कराने के लिये और लेने के लिये उस किसान को हक हो, जो कि जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और यह हक क्लॉज़ १२१ में है। १२० में साफ लिखा है कि "A court ordering ejectment of a tenant from his holding or any part thereof shall, if the tenant claims compensation for any improvement made by him and the claim is found to be admissible assess the amount of compensation due to the tenant on account of such improvement."

इस क्लॉज़ १२० के सब क्लॉज़ (२) में हमने कहा है कि जिस किसी अदालत के सामने जो उस किसान को इजेक्टमेंट का ऑर्डर दे चुके हैं, तो उनको वाजिब होगा कि उससे इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पूछें और इम्प्रूवमेंट्स का कम्पेन्सेशन तय करें और इम्प्रूवमेंटस का कम्पेन्सेशन उसको दिलाने की बात तय की जाय। यह बात हमने क्लॉज़ १२० में लिखी है। तो फिर क्लॉज़ १२५ में सब क्लॉज़ (२) का प्रोविजो, यह कह दें कि अगर कम्पेन्सेशन की बात नहीं करेगा तो इजेक्टमेंट के समय तो उसको कम्पेन्सेशन उसके इजेक्टमेंट के बाद नहीं दिया जायगा। अगर तहसीलदार के सामने कम्पेन्सेशन की बात करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा।

यह रेस्ट्रिक्शन कतई ठीक नहीं है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस क्लॉज़ के प्रोविजो के साथ साथ इसे मूल में से हटा दिया जाना चाहिये। ऐसा मेरा संशोधन है।

Page No.88

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरी इसमें एक आपत्ति है कि क्लॉज़ १२५ में १२१ का जिक्र है और क्लॉज़ १२१ को पास नहीं किया गया है, ११९ रख दिया गया है, इसलिये जब तक वे पास नहीं हो जांय तब तक क्लॉज़ १२५ पास नहीं किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्लॉजेज़ ११९ और १२१ बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—११९ क्लॉज़ पर श्री नाथूराम मिर्धा का एमेंडमेंट है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ११९ जो अभी मौजूदा हमारे बिल में है वह यह है : "Arrear demand satisfied upon ejectment: Subject to the provisions of sections 120, 121 and 122, when a tenant is ejected from the whole or any portion of his holding in execution of a decree or order for ejectment for non-payment of rent, all arrears of rent, whether decreed or not, due in respect of such holding on the date of the delivery of possession shall be deemed to have been paid." इस क्लॉज़ में मेरा संशोधन है वह माननीय उपाध्यक्ष, बहुत ही टेक्निकल है और बिल्कुल छोटा सा है। वह यह कहता है : "whether decreed or not."

ये शब्द इस क्लॉज़ में आये हैं, उनको इस क्लॉज़ में से हटा देना चाहिये। ये शब्द हटाने के लिए जो एमेंडमेन्ट है वह माननीय उपाध्यक्ष, इस वजह से है कि ये शब्द रिडन्डेन्ट हैं और उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। इस क्लॉज़ के जरिये माननीय उपाध्यक्ष, हमने यह कहा है कि क्लॉज़ १२०, १२१, १२२ इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो इजेक्टमेंट की डिक्री किसी किसान के फेवर में होने के लिए एरियर ऑफ रेन्ट को वजह से पास हो गई हो तो ऐसे किसान का बाद में जो एरियर रह जावेगा, वह अपने आप इजेक्टमेंट होने पर माफ मान लिया जावेगा। यह इस क्लॉज़ में रखा गया है।

जब किसान को जमीन से बेदखल होना पड़ता है, तो इसके लिए यह उसूल माना है कि जब वह किसान अपनी जमीन से बेदखल हो जाता है तो उसके पीछे कोई पूंछ नहीं लगी रहनी चाहिए। जो एरियर था और उसने नही दिया, उसकी वजह से उसको जमीन से हाथ धोना पड़ा। अगर हम इसके उपरान्त यह कहें कि उससे एरियर वसूल कर लिया जाना चाहिये और गवर्नमेंट के खजाने में जमा होना चाहिये या लेन्ड होल्डर को मिल जाना चाहिये, तो मैं यह कहूंगा कि यह वाजिब नहीं होगा। अगर किसान यह समझ सकता है कि वह लगान जमीन का अदा कर सकता है या आगे अदा करेगा तो वह जमीन से महरूम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस क्लॉज़ में यह रखा गया है कि जिस दिन वह जमीन से बेदखल कर दिया जावे तो जो उसके रेन्ट देने को हो या और भी रेन्ट को लाइबिलिटी हो वह खत्म हो जावेगी। चाहे वह गवर्नमेंट का एरियर हो या चाहे वह लैंन्ड होल्डर का हो। इसलिए अब इन शब्दों को रखने से कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता :

Page No.89

[श्री नाथूराम मिर्धा]

"Subject to the provisions of sections 120, 121 and 122, when a tenant is ejected from the whole or any portion of his holding in execution of a decree or order for ejectment for non-payment of rent, all arrears of rent whether decreed or not due in respect of such holding on the date of the delivery of possession shall be deemed to have been paid."

'whether decreed or not.' इस समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जैसे पुराने एरियर की डिक्री होगी और फ्युचर एरियर की बात आगे करते हैं कि "whether decreed or not" तो यह फ्यूचर की बात हुई। इन्हें रखने की जरूरत थी, लेकिन आगे आने वाले क्लॉजेज् में संशोधन करना है इसलिए प्रश्न नहीं रहता। क्योंकि जो डिक्री एरियर की होगी वह सब फिक्सड है तो ये शब्द बाद में रिडैन्डेन्ट रह जाते हैं। इसलिए इनको हटाने के लिए मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन श्री गोपीलालजी ने इस क्लॉज् को डिलीट करने के सम्बन्ध में दिया है और वे उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष,...

श्री सोहनलाल भटनागर—If we mistake not, this clause was passed.

श्री उपाध्यक्ष—बहस तो हुई थी, पास नहीं हुआ था; You mean this ?

एक माननीय सदस्य—आपको इससे क्या एतराज है ?

कु' श्री जसवन्तसिंह—दूसरे एमेंडमेंट भी तो आये हैं ?

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, अगर इस तरह से एमेंडमेंटों पर एतराज हुआ तो मैं यह कहूँगा कि बिल ठीक तरह से पास नहीं होगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ११९ की मंशा क्या है ? यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसकी मन्शा यह है कि कोई आदमी अगर रेन्ट न दे तो उसको जमीन से बेदखल किया जा सकता है। क्योंकि आगे जो क्लॉज़ेज़ पास कर चुके हैं, अभी२ उनमे यहां तक कह गये हैं कि ३ महिने डिक्री की बात थी। मैं यह कहूँगा कि दो साल मुकदमा चला। वह जमीन पर तीन साल तक काबिज रहा। उसने तीन साल का लगान नहीं दिया, दो साल मुकदमा चला। ५ साल हो गये और एक साल और लग गया। इस तरह से ६ साल लग गये। उसने ६ साल तक जमीन रखी और उसके बाद वह इजेक्ट हो जाता है और उसके बाद उसको यह सर्टिफि

[श्री गोपीलाल यादव]

केट मिल जावे कि उसको लगान का एक पैसा भी नहीं देना होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसने जमीन ली, एक कान्ट्रेक्ट की तहत में लगान देगा और जिस दिन से उसने जमीन ली उस दिन से एक पैसा भी लगान का नहीं दिया ? सवाल यह है कि उसका कौनसा इन्वेस्टमेंट था, उसकी कौनसी बपौती थी उस जमीन में, जिससे ७ साल तक जमीन रखने के बाद में भी एक पैसा लगान न दे और उस जमीन को फिर वापिस लौटा दे ? हां, मैं एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। 'टिनेंन्ट' की जगह यदि आप 'खातेदार टिनेन्ट' रखते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। खातेदार टिनेन्ट की वह बपौती है। कीमत उस जमीन की लगान से कहीं ज्यादा है। मान लीजिये कि लगान का सात साल में पांच सौ रुपया हुआ किन्तु खातेदार का इम्प्रूवमेंट आदि के हिसाब से उस पर असर हजार, दो हजार पांच हजार का हो सकता है, इसलिए उसको इजेक्टमेंट द्वारा लैंड लॉर्ड की मिलकियत की चीज मिलती है जो कि दरअसल उसकी नहीं है। इसलिए खातेदार टिनेन्ट के लिए यह शर्त रख दी जाय कि खातेदार टिनेन्ट इजेक्ट हो जायगा तो कोई लगान बाकी नहीं रहेगा उसके रीजन्स बताता हूं। खातेदार की जमीन है, लैंड होल्डर की नहीं है, क्योंकि उसके पास से जमीन जाती है। लगान हुआ पांच सौ सात सौ रुपया और जमीन की कीमत हो सकती है पांच हजार रुपया, दस हजार रुपया। इसलिए मान लीजिये कि इजेक्टमेंट के साथ सारे क्लेम्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन सब टिनेन्ट को दिया और ज्यादा से ज्यादा पांच साल उसको दे सकते हैं। वह सब टिनेन्ट सात साल मौज में रहता है और एक पैसा नहीं देता है। तो इसके माने यह हैं कि पांच साल के बाद तो वह इजेक्ट होगा ही वह लगान क्यों देगा ? वह लाने देता है इजेक्टमेंट की डिक्री और उसके बाद तीन साल हो जावेंगे, पांच साल हो जावेंगे, इजेक्टमेंट होगा और जमीन मेरे पास रह जायगी। तो इसका नतीजा यह होने जा रहा है कि कोई सब टिनेन्ट कभी किसी लैंड लोर्ड को लगान नहीं देगा और अगर देता है तो उसके बराबर उल्लू और बेवकूफ संसार में कोई नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे दो ऑलटर्नेटिव सुझाव हैं कि या तो इसको डिलीट कर दिया जाय या 'टिनेन्ट' के बजाय खातेदार टिनेन्ट आप स्वीकार कर लीजिये। यदि आप 'खातेदार टिनेन्ट' स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे ११६ में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय, उपाध्यक्षजी, जो संशोधन पेश किया है वह मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कारण उसका यह है कि यह जो टिनेन्सी एक्ट इस सदन में प्रस्तुत हुआ है बार २। इस सदन में यह बहस हुई है कि जो शख्स जमीन की काश्त करे वही जमीन का मालिक होना चाहिए और जहां तक हो सब-टिनेन्सी को हमें डिस्करेज करना चाहिए। जो बहस श्री यादव जी ने की, उस बहस से स्पष्ट यह मतलब निकलता है कि सब टिनेन्सी डिस्करेज होगी और अगर इस क्लॉज़ ११६ के पास होने से सब टिनेन्सी डिस्करेज होती है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यह एक कारण है जिसकी वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

दूसरा कारण और है, जिसकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूँ और वह यह है कि हमें व्यवहारिक रूप से देखना चाहिए कि यह दरअसल ऐसी बात है, होती आई है और होगी कि जो

[श्री श्यामलाल गोयल]

शिकमी काश्तकार हैं वे अपने काश्तकारों को लगान नहीं देंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। एक शख्स किसी से जमीन लेता है शिकमी काश्त के लिए और वह लगान नहीं देता है तो क्या वह गांव में फिर किसी से जमीन शिकमी काश्त के लिए ले सकता है? कभी नहीं ले सकता हैं। जमीन शिकमी काश्त के लिए उन्हीं आदमियों को मिल सकती है जो कि वक्त पर लगान देते हैं। यह एक मानी हुई बात है। अगर एक शख्स किसी बोहरे के पास आता है और अपना कर्जा नहीं देता है और आना कानी करता है, परेशान करता है तो दुबारा वह जायगा तो कभी कर्जा नहीं मिलेगा। इस तरह से जो शख्स अपने जमीन के मालिक को समय पर लगान नहीं देता है तो उसको फिर कभी जमीन नहीं मिलेगी और ऐसे आदमी बहुत कम होंगे। शिकमी काश्तकार यह चाहता है कि जमीन से उपज करवा कर अपना पेट भरें। वह अगर यह सोच ले कि मैं अपने काश्तकार को लगान न दूं, मालिक को लगान न दूं और मुकदमा बाजी लड़ता है तो कमायगा क्या ! जो कुछ कमायगा उससे तो वकीलों की जेबें भरेंगी। मैं समझता हूं कि ऐसी भावना, ऐसा ख्याल क्यों किया जाय? यह ठीक नहीं है। मैं इसके साथ साथ एक क्लॉज़ जो इस बिल में है और वह है १२७ उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें सब क्लॉज (४) है और उसनें चीज़ यह कि "The Sub-Divisional Officer may:— enforce the payment of the decretal amount by proceeding in acordance with law against other property of the tenant."

तो यह जरूरी नहीं है कि किसी टिनेन्ट को एरियर्स के लिए इजेक्ट किया जाय। एस. डी. ओ. चाहे तो उस टिनेन्ट की कोई दूसरी प्रोपर्टी हो उसके जरिये ये एरियर्स वसूल कर सकता है और इजेक्टमेंट रोक सकता है। क्लॉज़ १२७ में यदि आप चाहें तो 'may' की जगह 'shall' कर सकते हैं और इसमें अमेंडमेंट करके दूसरी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्लॉज़ ११६ जो है वह तो रहना ही चाहिये। जब एक शख्स की जमीन छिन गई और उसे कम्पेन्सेशन भी नहीं देते हैं तो उस सूरत में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट पेश किया गया है वह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इसको वापिस नई डिबेट बनाया जा रहा है। पहले बातें हो गई थी। मन्त्री महोदय का जवाब हो जाना चाहिये।

श्री वेदपाल त्यागी—अमेंडमेंट मूव हो चुका है और यह इम्पोंर्टेन्ट सबजेक्ट है, इसके लिये लोगों को रोकना नहीं चाहिये, जिससे कि अपने विचार न रख सकें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कचहरी से पहले का समय ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसी पर दस सदस्य पहले बोल चुके हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—अमेंडमेंट की वजह से गड़बड़ी पैदा हो गई है।

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है कि चूंकि यह महत्व का प्रश्न है इसलिये दस-पन्द्रह में निश्चित करना मुश्किल होगा।

('१२ बज गये हैं' ऐसी आवाज)

श्री लाल बहादुर—अमेंडमेंट पेश करने दिया गया तो फिर डिबेट होनी चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसमें सिर्फ दो ही बात का ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि इस अमेन्डमेन्ट के पेश होते ही उसके खिलाफ एतराज पेश कर दिया गया था और उसके ऊपर आपको बोलने की इजाजत दी गई थी। उस पर ऑब्जेक्शन यह हुआ था कि यह समय पर नहीं आया और उसका नोटिफिकेशन समय पर नहीं हुआ और लास्ट स्टेज पर रिवीजन शुरू कर देते हैं तो उस डिबेट का अन्त नहीं होगा और सदन का समय भी बेकार जायगा।

श्री गोपीलाल यादव—ओ न ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,......

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन की सम्मति लेना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट पर बहस करना चाहते हैं या नहीं।

(सब तरफ से आवाज 'बहस करना चाहते हैं')

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इम्पोटेन्ट पोइन्ट यह है कि जब किसी एक क्लॉज़ को डेफर कर दिया गया तो डेफर करने के मायने यह नहीं होते कि जो डिबेट है वह खत्म हो गई। डेफर करने का मतलब यह है....

कु० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, If there is a point of order the chair cannot escape the decision. There is a definite point of order. We are not at all anxious that there should be discussion on this clause and we want to speed our progress.

एक माननीय सदस्य—On a point of order, Sir,.....

कु० श्री जसवन्तसिंह—I am holding the floor on a point of order. When the amendment was accepted by the chair the question of objection does not arisen

[कुं श्री जसवन्त सिंह]

when it has been passed. The objection was as a matter of fact raised by Shri Sohanlal Bhatnagar, when the chair has rejected and for other members it is not the objection but it is opposition to what he says. And, therefore, if it was allowed I agree with the decision that, as you had said, 'There should not be any further debate,' Once you have been good enough to accept his amendment I do not know why other members question the chair's sright to accept. I hope the chair will uphold the right of the chair.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, जो ऑब्जेक्शन मैंने रेज किया उसपर कोई रूलिंग तो नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—रूलिंग तो उसपर नहीं दिया गया, लेकिन उसको एवार्ड एक तरह से कर दिया गया था।

चूंकि अब समय हो चुका है अतः आज की बैठक समाप्त की जाती है। कल सुबह आठ बजे फिर सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी। आगे भी टिनेन्सी बिल पर ही बहस होगी, इसलिये एजेन्डा भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५ मिनट पर दिनांक २१ सितम्बर, १६५४ के ८ बजे प्रातः तकके लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२० सितम्बर, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट ?

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज़ पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

१८५१ (२२४ एल.एल.एम) हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री एम.एल.ए डिविजन नम्बर ५६--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर सेन्ट्रल जेल के पीछे कच्चे मकानों को जयपुर गवर्नमेंट के समय में एक्वायर कर उसका मुआवजा चुका दिया गया था ?

(ख) यदि हां तो क्या उन गरीब लोगों को इसके एवजाने में कहीं कोई प्लाट भी दिये गये हैं ?

(ग) यदि नहीं तो उनको दूसरी जगह बसाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस बस्ती के समीप ही सैकडों प्लाट नये काट कर दूसरे लोगों को दे दिये गये हैं ?

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि वहीं के कुछ लोगों ने जिन्हें मुआवजा मिल चुका है प्लाट लेने के लिये सरकार के समक्ष कई दरख्वास्तें दे रखी हैं किन्तु उन्हें अब तक भी कोई प्लाट नहीं दिये गया है ?

(च) क्या सरकार इस विषय में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठा कर इन्हें प्लाट देने एवं बसाने का इन्तजाम करेंगी ?

उत्तर

क. जी हां ।

ख. अभी तक इनको प्लाट नहीं दिये गये हैं और नहीं अभी तक उन्हें उठाया गया है ।

ग. कई जगह मौके देखे गये है मगर जो जगह इन को बताई गई वह इनके पसंद नहीं आई। इनकी मरजी के मुताबिक जमीन देने की तजवीज़ की जा रही है।

घ. यह सत्य नहीं है कि प्लाट नये काट कर इस जगह दूसरे लोगों को दिये गये हैं और इनको न दिये गये हों।

ङ. कोई अलहदा दरख्वास्तें सरकार के पास नहीं आई।

च. जी हां।